रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2014/आषाढ़ 10, 1936
No. 165] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2014/ASADHA 10, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जूलाई, 2014

प्रारम्भिक जांच परिणाम

विषय: चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित इलैक्ट्रीकल इंसुलटरों के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच–प्रारंभिक जांच परिणाम

सं. 14/11/2013–डीजीएडी : समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

1. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे ''प्राधिकारी'' कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में आदित्य बिड़ला नूवो लि0 (''आदित्य बिड़ला'') भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि0 (''बीएचईएल''), इंसुलेटर्स एंड इलैक्ट्रीकल कं0 (''आईईसी''), मॉडर्न इंसुलेटर्स लि0 (''मार्डन'') और डब्ल्यूएस इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि0 (''डब्ल्यू एस आई'') (जिन्हें आगे ''आवेदक'' कहा गया है) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे ''सम्बद्ध देश'' कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित इलैक्ट्रीकल इंसुलेटरों के पाटन का आरोप लगाया गया है।

ख. आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछ कमियों का पता चला जिन्हें बाद में आवेदकों ने सुधार दिया था। आवेदकों ने एक अद्यतित याचिका दायर की, जिस पर प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत हेतु विचार किया । अतः आवेदन को समुचित ढंग से प्रलेखित माना गया था।

ग. जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया ।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पूर्व आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित चीन जन.गण. के दूतावास को अधिसूचित किया ।

ड. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए दिनांक 5 सितंबर, 2013 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को भेजी और उनसे लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

छ. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में सम्बद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को भी भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा भारत स्थित चीन जन.गण. के दूतावासं को उपलब्ध कराई। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।

झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए सम्बद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।

हुनान लिनिंग हुआक्सिन पोर्सिलेन इंसुलेटर एंड इलैक्ट्रिक एपरेट्स कं0 लि0, पुकोऊ इंडस्ट्रियल पार्क, लिनिंग, हुनान, चीन जन.गण.	डेलियन इंसुलेटर कं0 लि0, 88, ईस्ट लिआओहे रोड, डीडी पोर्ट, डेलियन–116600, चीन जन.गण.
एन जी के इंसुलेटर्स तांगशान कं0 लि0 तंगशान न्यू एंड हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जोन 3, हुओजू रोड, 188, हेबेई–063020, चीन जन. गण.	जियान एक्सडी हाई वोल्टेज पोर्सिलेन इंसुलेटर कं0 लि0, डेक्विंग रोड, जियान, शांक्सी–710077 चीन जन.गण.
एनकेजी सिरेमिक्स सुझोऊ कं0 लि0 एवं एनजी के टेक्नोसेरा सुझोऊ न्यू डिस्ट्रिक्ट जियांग्सु–215129 चीन जन.गण.	एनकेजी इंसुलेटर्स सुझोऊ कं0 लि0 401, जियानलिन रोड,सुझोऊ न्यू डिस्ट्रिक्ट, जियांग्सु–215151 चीन जन.गण.
चाइना इलैक्ट्रो–सिरेमिक इंप. एंड एक्स., 3/एफ यूनिट 05 सं0 333, हांगवू रोड, ननजिंग '21000 चीन जन.गण.	एमडब्ल्यूबी (शंघाई) कं0 लि0 (ट्रेंच चाइना) सं0 3658, जियानचेंग रोड, इकनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपिंग जोन, मिनहांग/शंघाई, चीन जन.गण.
ट्रेंच हाईवोल्टेज प्रोडक्ट्स लि0, शेनयांग (टीएचवीएस) सं0 2, झेजिलियांग ईआर रोड जिंग शेन xi सान स्ट्रीट, डाओयी इकनॉमिक डेवलपमेंट जोन–110135, शेनयांग, चीन जन.गण.	हुनान लिनिंग गुआओलियान पोर्सिलेन इंसुलेटर, 13/एफ तियानजिन हाउंटिंग बिल्डिंग, 48, काई रोड–410005, चेंगशा, हुनान, चीन जन.गण.
ननजिंग इलैक्ट्रिक ग्रुप कं0 लि0 63, ताइक्सिन रोड, नानजिंग सिटी, जियांग्सु प्रोविंस, चीन–210038	सेवेस सेडिवर इंसुलेटर (बीजिंग) कं0 लि0 , 7वां तल नं0 2, बिल्डिग, चाइना सेंट्रल प्लेस, 79 जियांगुओ रोड, चओयांग डिस्ट्रिट, बीजिंग–100025–चीन
जिगोंग सेडिवर टफंग ग्ला इंसुलेटर कं0 लि0 162, हुतोऊ एसटी, गांगजिंग डिस्ट्रिक्ट, जिगोंग, 643020 चीन	यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0 ग्लास इंडस्ट्रियल पार्क, यीबिन बुलांगयी ग्रुप, सिचुआन 6444007, चीन

ट. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में चीन के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया है :–

क. नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0

ख. जिगांग सेडिवर टफंड (शंघाई) कं0 लि0

ग. सेडिवट इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0

घ. डेलियन इंसुलेटर ग्रुप कं0 लि0

ड. लिनिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नालॉजी कं0 लि0

च. लिनिंग हुआचेंग इंसुलेटर्स कं0 लि0

छ. सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0

ज. चेंग्डु ग्लोबल स्पेशल–ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कं0 लि0

झ. सेडिवर एस.ए. (फ्रांस)

मै0 काम्पटन ग्रीव्स लि0 ए–3, एमआईडीसी, एम्बाद, बीनासिक–422 01 महाराष्ट्र	मै0 अरेवा टी एंड डी इंडिया लि0, सं0 142, वंडालुर–वलजहाबाद रोड, सलामंगलम (गांव) पडप्पाई (पोस्ट), श्रीपेरूम्बदूर (तालुक) जिला कांचीपुरम–601301 तमिलनाडु
मै0 ए बी बी लि0 पीपीएचवी–सी केटी ब्रेकर्स, बड़ोदरा टी एच एस– लि0 (लाइव टैंक ब्रेकर), मनेजावर्क्स, बड़ोदरा 390013, गुजरात	मै0 सीमेंस लि0 ब्रेकर प्रभाग ई–76, वालुज, एमआईडीसी, औरंगाबाद–431136

	महाराष्ट्र
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0, सौदामिनी, प्लाट सं0 2, सैक्टर–29, गुड़गांव–122 001	मै. अडानी पावर लि0 शिखर, 9वां तल, मीठाखाली सिक्स रोड्स, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009 (गुजरात), भारत
मै0 टाटा प्रोजेक्ट्स लि0 ''मिथोना टावर्स–1'' 1–7–80 से 87, वेस्ले को–एड जू.नि. कॉलेज के सामने, पेंडरघास्ट रोड, सिकंदराबाद–500003 (आंध्र प्रदेश), भारत	मै0 कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि0, 101, पार्ट–III, जीआईडीसी इस्टेट, सेक्टर–28, गांधीनगर–382028 (गुजरात), भारत
मै0 केईसी इंटरनेशनल लि0 डीएलएफ इनफिनिटी टॉवर्स, 7वां तल, टावर–बी, डीएलएफ सिटी, फेस–।।, गुड़गांव–122002 (हरियाणा), भारत	मै0 रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 धीरूभाई अम्बानी नॉलेज सिटी, विंग–6, भूतल, डी–ब्लॉक, महाराष्ट्र, भारत

ठ. संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने न तो प्रश्नावली के उत्तर के रूप में कोई उत्तर दिया है और न ही जांच की शुरूआत पर टिप्पणियां उपलब्ध कराई हैं ।

ड जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रति विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों/एसोसिएशन को भी भेजी गई थीं :

इंडियन इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, रिस्यामोक बिल्डिंग, प्रथम तल, 85 ए, पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली–110001	पी आर इंडस्ट्रीज सी–4, इंडस्ट्रियल इस्टेट एन एच 91, जी.टी. रोड, खुर्जा–203131
एलाइड सेरेमिक्स प्रा0 लि0 91, लेनिन सरनी, कोलकाता 7000013	तरूना डेकहोम प्रा0 लि0 एफ–51, बिचवाल इंडस्ट्रियल एरिया फेज–II, बीकानेर–33006
भटिंडा सेरेमिक्स प्रा0 लि0 गांव–जोधपुर रोमाना, डाबवाली रोड, भटिंडा, पंजाब–151001	बीकानेर सेरेमिक्स प्रा0 लि0 रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर–334001
ब्कानेर पोरसीलेन प्रा0 लि0 एफ–179/180, बिचवाल इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर–334 006	सीजेआई पोर्सिलेन (प्रा0) लि0, एम–17, धोहिल हाऊस, चौथी मंजिल, एम ब्लॉक मेन मार्किट, ग्रेटर कैलास–II, नई दिल्ली–110048
डेक्कन इंटरप्राइजेज प्रा0 लि0 बी–58,59 एवं 60 एपीआईई, बालननगर, हैदाबाद–500037	गोल्डस्टोन टेलीसर्विसेज लि0, अमरचंद शर्मा कॉम्पलैक्स, एस डी रोड, सिकंदराबाद–500037
मयूर इलेक्ट्रो सेरेमिक्स प्रा0 लि0 पो.आ. प्रतापगढ़, रायरंगपुर, जिला–मयूरभंज, मयूरभंज–757 050	सरवाना ग्लोबल एनर्जी लि0 विरूद्धाचलम रोड, पी.एन. कुप्पम, कुरिंजीपाडी पोस्ट–कुड्डालोरेन जिला–607 302
प्रेसगेल इंसुलेशन प्रा0 लि0 डी–52, सरदार इंडस्ट्रियल इस्टेट अजवा रोड, रोड नं0 5, वदोदरा–390019	श्रीजी पावर एंड इंसुलेटर्स प्रा0 लि0, सर्वे नं0 321 नानी चिराई जिला, भचाऊ, गुजरात
रविकिरन सेरेमिक्स प्रा0 लि0 स्टेशन रोड, क्रनी–387325	ए के इंडिया सेरेमिक्स (प्रा0) लि0 एनएच 15, 15 केएम स्टोन, जयपुर रोड, गांव रायसाई, बीकानेर

त. इसके प्रत्युत्तर में निम्नलिखित ने याचिका का समर्थन करते हुए अपने पत्र दायर किए हैं :–

क. इंडियन इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
ख. श्रीजी पावर एंड इंसुलेटर्स प्रा0 लि0
ग. बीकानेर सेरामिक्स प्रा0 लि0
घ. ए.के. सेरामिक्स प्रा0 लि0

ड. बीकानेर पोरसीलिन प्रा0 लि0
च. एलाइड सेरेमिक्स प्रा0 लि0
छ. तरूणा डिकोप प्रा0 लि0
ज. प्राइम इंसुलेटर्स
झ. सर्वाना ग्लोबन एनर्जी लि0
ट. जयपुरिया ब्रदर्स
ठ. जर्नल पावर कंपनी प्रा0 लि0
ड. हिंदुस्तान कैमिकल्स
ढ. राष्ट्रीय इलैक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कार्पोरेशन

ध. प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण इच्छुक पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराई । सभी इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुति को वर्तमान निष्कर्षों में ध्यान मे रखा गया है ।

न. गोपनीय आधार पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई । संतुष्ट होने पर जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा दूसरे इच्छुक पक्षकारों को नहीं बताई गई है । जब भी संभव होता है गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर फाइल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे ।

प. आवेदक से और अन्य इच्छुक पक्षकारों से आवश्यक समझी जाने वाली और भी सूचना मांगी गई थी । प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन से आवश्यक समझा जाने वाला घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था ।

ब. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में उत्पादन लागत तथा निर्माण लागत और विषयगत सामान को बेचने की लागत के आधार पर गैर हानिकारक (इसके बाद ''एनआईपी'' लिखा गया है) निकाली गई है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाला नुकसान हटाने के लिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम है । चूंकि ग्लास इंसुलेटर्स भारत में उत्पादित नहीं किए जाते अतः पोर्सलेन इंसुलेटर की एनआईपी मानी गई है । साथ ही विभिन्न उत्पाद किस्मों के लिए अलग एनआईपी निर्धारित की गई है ।

भ. 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (12 माह) की अवधि के लिए जांच की गई (इसके बाद इसे ''जांच की अवधि'' अथवा पीओआई) कहा गया है । हाल ही के विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्ति की जांच में 2009–10, 2010–11, 2011–12 तथा पीओआई शामिल है ।

म. अमरीकी डॉलर को रूपए में बदलने के लिए विनिमय दर सीमाशुल्क के आंकड़ों के अनुसार 54.65 रूपए के रूप में पीओआई के लिए मानी गई है ।

य. *** गोपनीय आधार पर आवेदकों द्वारा दी गई सूचना इस अनंतिम निष्कर्ष को दर्शाती है और इसीलिए नियमों के अधीन प्राधिकारी ने इसे माना है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लास के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, अथवा सिरामिक्स/पोर्सलेन है, वह चाहे असेंबल किया हुआ हो अथवा असेम्बल न किया हुआ हो जिसमें (क) टेलीफोन अथवा 1 केवी तक की वोल्टेज के टेलीग्राफ इंसुलेटर्स, (ख) 1 केवी तक की वोल्टेज के इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक उपकरण/डिवाइस इंसुलेटर्स तथा (ग) कंपोजिट इंसुलेटर्स (जिन्हें इसके बाद ''इलैक्ट्रिक इंसुलेटर्स'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' कहा गया है) शामिल नहीं है ।

निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

3. इच्छुक पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :

क. याचिका के भाग 2 में डी आई द्वारा उत्पादित विषयगत सामान के आकार, किस्म, रेंज, मॉडल के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । डीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसे डीआई द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता है, क्योंकि इस पर नियंत्रण अथवा मानीटरिंग के लिए कोई तंत्र नहीं है । डीआई की वैबसाइट अविश्वसनीय है क्योंकि उनकी वैबसाइट पर उनकी क्षमताओं के संबंध में बढ़ाने–चढ़ाने के लिए कंपनियों के लिए बहुत सामान्य बात है ।

ख. भाग 2 के पैरा 5 में उत्पाद सूची बिना किसी सहायक साक्ष्य के दी गई है जिस पर डी आई वास्तव में इन उत्पादों का उत्पादन करता है । प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के नियम 5 (3) (ख) के अनुसार डीआई द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता और शुद्धता पर विचार करने के लिए बाध्य है ।

ग. आवेदक को जांच के तहत शामिल किए गए सामानों के आयात का विश्लेषण करने के लिए विषयगत उत्पाद के 8 अंक तक के स्तर तक आंकडे वर्गीकृत करते हुए पंक्ति दर पंक्ति निर्यात के आंकड़े प्रदान करने चाहिए ताकि प्राधिकारी और इच्छुक पक्षकारों को विषयगत उत्पाद की स्पष्ट और समुचित समझ हो ।

घ. याचिकाकर्ता ने याचिका के पृष्ठ 67 पर एच एस कोड 854610 और 854620 के लिए चीनी सीमाशुल्क से निर्यात आंकड़ों का विवरण प्रदान किया है तथा बाद में एच एस कोड 854620 1000, 854620 9001 और 854620 9090 भी दिया है जिसमें पारेषण और वितरण दोनों के लिए तथा प्रत्येक किस्म के ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स के लिए इलैक्ट्रिक इंसंलुटर्स शामिल हैं और उन निर्यात आंकड़ों का विश्लेषण करना अत्यधिक कठिन है जो सारांश रूप में प्रदान किए गए हों ।

ड. अलग किए गए उत्पादों के आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि वे पीओआई के अनुसार भी नहीं हैं । अतः इन अधूरे आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यूएन कामट्रेड के आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्लास इंसुलेटर्स भारत से पुनः निर्यात किए जा रहे हैं जबकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घरेलू उद्योग उनका विनिर्माण नहीं करता । यह अनुरोध किया जाता है कि चीन से आयात और भारत का बाजार आकार ऐसे आयातित सामानों के पुनः निर्यात के लिए केवल समायोजन करने के बाद ही निर्धारित किया जाए ।

च. मै0 नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कंपनी लि0 (चीन में उत्पादक और निर्यातक) और सीसीसीएमई का दावा है कि इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर समान नहीं है क्योंकि सभी इंसुलेटर्स का भिन्न–भिन्न अंतिम प्रयोग है और भौतिक विशेषताएं हैं । यथा आकार, क्षमता आदि । तथा प्रत्येक प्रकार के इंसुलेटर के लिए व्यापक रूप से भिन्न हैं । इंसुलेटर निम्नलिखित में इस्तेमाल होते हैं :

i. विद्युत पारेषण एवं वितरण लाइनें
ii. विद्युत उप पारेषण लाइनें
iii. सर्किट ब्रेकर
iv. डिस्कनेक्टर
v. पावर सब–स्टेशन
vi. इंस्ट्रुमेंट्स एवं ट्रांसफामर
vii. रेलवे

छ. पाटन, क्षति एवं आकस्मिक संपर्क की वस्तुपरक जांच में, जो कि घरेलू कानूनों के तहत तथा डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के तहत अनिवार्य है, उत्पादों के एक समूह की दूसरे समूह के साथ तुलना के बजाए एक मद की दूसरे मद के साथ तुलना किए जाने की आवश्यकता है । यह तर्क दिया जाता है कि क्षमता में महत्वपूर्ण अंतरों तथा विषयगत उत्पाद के अन्य अभिलक्षणों की दृष्टि से एक पीयूसी के रूप में सभी क्षमताओं के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स को एक साथ इकट्ठा करना अनुचित और गलत है ।

ज. उनके तर्कों का आधार बनाने के लिए इच्छुक पक्षकार ई यू तथा यूएसए जैसे अन्य देशों में चल रही परिपाटियों पर विश्वास करते हैं जहां विशेष रूप से इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स से संबंधित पाटनरोधी जांचें की जाती हैं, पीयूसी उत्पाद की भौतिक, तकनीकी तथा रासायनिक विशेषताओं पर आधारित थीं, उनका मुख्य उपयोग तथा अनुप्रयोग एक–दूसरे के स्थान पर लाए जाने की मात्रा तथा उपभोक्ता की संकल्पना पर आधारित थी । उदाहरण के लिए इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के संबंध में अमरीकी पाटनरोधी जांच संख्या 731–टीए–1023 में उत्पाद क्षेत्र "उच्च एवं अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सिरामिक स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर्स" तक सीमित थी । रिलायंस भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले इंडोनेशिया के कतिनस उपायों में डीएस 54/55/59/64 में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में रखा गया है जहां डब्ल्यू टी ओ पैनल ने यह मानते हुए सभी छोटे–मोटों को मिलाकर एक जगह रखने से इंकार किया है कि यद्यपि, ये छोटे–मोटे उत्पाद आधारभूत भौतिक विशेषताओं और अंतिम प्रयोग में हिस्सा ले सकते हैं । तथापि, वे बहुत भिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जो आकार, वजन, ईंधन पावर, प्रौद्योगिकी और अभिलक्षणों की दृष्टि से अत्यधिक भिन्न हो सकते हैं ।

झ. सभी इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करना अनुचित है क्योंकि वस्तु निर्धारण, सामान्य मूल्य का भारित औसत लेते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण तथा निर्यात लागत, क्षति दावों का समाधान आदि जैसी घरेलू उद्योग की स्थिति पर इच्छुक पक्षकारों के लिए अपनी बात रखना संभव नहीं है । यहां तक कि घरेलू उद्योग विभिन्न इलैक्ट्रिक इंसुलेटर्स को अपने ब्रॉशरों में और अपनी वैबसाइटों पर भिन्न बताते हैं । निर्यातक और इच्छुक पक्षकारों ने भी विभिन्न इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों के संबंध में विस्तृत लेख दिए हैं ।

ट. इलैक्ट्रिकल इंसुलुटर्स समान नहीं हैं क्योंकि सभी इंसुलेटरों का अलग–अलग अंतिम प्रयोग, भौतिक विशेषताएं–जैसे आकार क्षमता आदि और प्रत्येक प्रकार के इंसुलेटर व्यापक रूप से भिन्न है । वे तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एक–दूसरे का स्थान लेने योग्य भी नहीं हैं ।

ड 765 केवी की क्षमता के इलैक्ट्रिक इंसुलेटर्स और एचवीडीसी लाइनों के लिए इंसुलेटर्स को जांच के क्षेत्र से अलग कर दिया जाए क्योंकि घरेलू उद्योग के कुछ ही घटक उपर्युक्त इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर का उत्पादन करते हैं । मै0 मॉर्डन इंसुलेटर्स और मै0 आईइसी ने उपर्युक्त इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के उत्पादन के संबंध में अपनी योग्यता की पुष्टि करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया है ।

ढ. प्राधिकारी ने उत्पादों की किस्म, अंतिम प्रयोगों, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, उपभोक्ता अवधारणा आदि जैसे कारकों पर आधारित एकल जांच में उत्पादों को पृथक रूप से परिभाषित करने की निरंतर अच्छी परिपाटी अपनाई है और यही परिपाटी इस मामले में भी अपनाई जाए । रिलायंस को निम्नलिखित जांचों में रखा गया है जिनमें पीयूसी में विभिन्न सामान पूर्णतः भिन्न थे और तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय नहीं थे । उदाहरण निम्नलिखित हैं :

i. चीन जन.गण. तथा यूरोपियन यूनियन से निर्यातित अथवा वहां से आने वाले रासायनिक मिश्रणों पर आधारित कतिपय फॉस्फोरस के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच ।
ii. चीन से एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी जैसे रबड़ रसायन तथा चीन और कोरिया जन.गण. से पीएक्स–13 के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच
iii. डेनमार्क से उत्प्रेरकों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

ण. इन जांचों में पीयूसी का क्षेत्र विभिन्न उत्पादों में अलग कर दिया गया था और पाटन, क्षति तथा उत्पादों के आयात तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच आकस्मिक संपर्क की पृथक जांच की गई ।

त. मै0 ट्रेंच हाइवोल्टेज प्रोडक्टस लि0 (टीएचवीएस), शेनयांग, चीन बशिंग का उत्पादक है और मै0 एमडब्ल्यूबी (शंघाई) कं0 लि0, शंघाई, चीन (एमडब्ल्यूबी) चीन जन.गण. से गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स के लिए एसएफ 6 इंसुलेटेड वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उत्पादक है । टीएचवीएस और एमडब्ल्यूबी याचिका में विषयगत उत्पादों के प्रसिद्ध उत्पादक/निर्यातक के रूप में सूचीबद्ध किए गए थे । दोनों कंपनियों ने विषयगत जांच के संबंध में प्राधिकारी से 9 सितंबर, 2013 का पत्र प्राप्त किया ।

थ. प्राधिकारी से पत्र प्राप्त होने पर दोनों कंपनियों ने पीओआई के दौरान भारत को निर्यातित अपनी उत्पादों की बारीकी से समीक्षा की और निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचे :

i. टीएचवीएस ने भारत को कोई इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर निर्यात नहीं किए परंतु पीओआई के दौरान भारत को केवल बुशिंग का निर्यात किया । टीएचवीएस ने अपनी वह उत्पाद सूची दी है जो पीओआई के दौरान भारत को निर्यात की गई ।
ii. एमडब्ल्यूबी ने भारत को कोई इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर निर्यात नहीं किया परंतु पीओआई के दौरान भारत को केवल वोल्टेज ट्रांसफार्मर निर्यात किए । एमडब्ल्यूबी ने अपनी वह निर्यात सूची दी है जो पीओआई के दौरान उसने भारत में निर्यात की ।

द. टीएचवीएस और एमडब्ल्यूबी ने सामूहिक रूप से 15 जनवरी, 2014 की अपनी बात रखते हुए विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से उनके उत्पादों को खास तौर पर हटाए जाने तथा विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है ।

ध. इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर बुशिंग के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले घटक हैं । जिस तथ्य को भी घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में स्वीकार किया जाता है । दूसरी ओर वोल्टेज ट्रांसफार्मर इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स से पूरी तरह भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त वोल्टेज ट्रांसफार्मरों में प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर खोखले संयुक्त इंसुलेटर हैं जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद से पहले ही अलग कर दिया गया है ।

न. विषयगत उत्पाद, बुशिंग और एसएफ–6 वोल्टेज ट्रांसफार्मरों के बीच विस्तृत अंतर टीएचवीएस और एमडब्ल्यूबी द्वारा दे दिए गए हैं । चर्चा से यह स्पष्ट है कि इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों का प्रयोग बुशिंग्स और वोल्टेज ट्रांसफार्मरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक घटक के रूप में किया जाता है तथा उनके बिना बुशिंग्स तथा वोल्टेज ट्रांसफर्मरों का विनिर्माण करना संभव नहीं है ।

प. प्रयोग, अंतिम उपभोक्ता, निवेश, उत्पादन प्रक्रियाआदि में महत्वपूर्ण अंतरों के आलोप में यह स्पष्ट है कि बुशिंग्स और वोल्टेज ट्रांसफार्मर इलैक्ट्रिकल इुसंलेटरों से भिन्न हैं और तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं । टीएचवीएस और एमडब्ल्यूबी का अनुमान है कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने उस समय उनके उपर्युक्त उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है जब वे भारत को निर्यात किए गए थे । अतः उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बुशिंग्स और वोल्टेज ट्रांसफार्मरों को विशेष रूप से अलग कर दें ।

फ. साथ ही पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी पीयूसी में संशोधन करने अथवा स्पष्ट करने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी करे । पिछले जिन उदाहरणों में पीयूसी कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए शुद्धि पत्र जारी किए गए थे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. चीन जन.गण. से फॉस्फोरिक एसिड के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच

ii. रूस, चीन जन.गण. और यूक्रेन से कतिपय ग्रेड की मिश्र धातु तथा गैर–मिश्र धातु इस्पात बिलेट्स, छड़ें और राउंड के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

iii. पोलेंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सउदी अरब, रूस, ईरान, अमरीका तथा यूरोपियन यूनियन से ऑक्सोअल्कोहल के आयात से संबंधित पाटनरोधी समीक्षा जांच ।

iv. रूस और चीन जन.गण से कतिपय किस्म/ग्रेड की मिश्र धातु तथा गैर मिश्र धातु इस्पात बिलेट, छडें तथा राउंड के आयात से संबंधित मध्यावधि समीक्षा पाटनरोधी जांच

ब. गोल्ड स्टोन इन्फ्राटेक लि0 ने दावा किया कि पोलीमर/कंपोजिट इंसुलेटर का कार्य एक समान है और ग्लास तथा पार्सलेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं तथा इसीलिए बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा एक–दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाए जा रहे हैं । कंपोजिट/पॉलीमर इंसुलेटर्स के घरेलू विनिर्माता चीन से इस प्रकार के आयातों के कारण भी पीड़ित हैं । अतः चाहे पोर्सलिन हो अथवा ग्लास हो अथवा कंपोजिट/पॉलीमर हो, चीन से सभी इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगना चाहिए ।

भ. सिलेमिक और ग्लास इंसुलेटर्स कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रकिया, इंसुलेटर का उत्पादन करने में लिए जाने वाले समय, कच्ची सामग्री की लागत (ग्लास इंसुलेटर के लिए लगभग 600 आरएमबी/टन है, जबकि पोर्सलेन इंसुलेटर की लागत लगभग 910–1160 आरएमबी/टन है), भार, निष्पादन, टनेज, जीवनकाल, सीमाशुल्क वर्गीकरण, आदि में अंतरों के कारण समान वस्तु नहीं है। । सिरामिक और ग्लास इंसुलेटर निम्नलिखित कारणों से डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छे 2.6 में दी गई परिभाषा के अर्थ के अंतर्गत ''समान वस्तु'' नहीं हैं :

(i.) प्रयोग में लाई गई कच्ची सामग्री भिन्न है ।

(ii.) उत्पादन प्रक्रियाभिन्न है । पोर्सलेन इंसुलेटर्स का उत्पादन शेपिंग–ड्राइंग–ग्लेलिंग–सिंटरिंग प्रक्रियाके माध्यम से किया जाता है । कच्ची सामग्री को 14 दिन तक 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, पिघलाया नहीं जाता और इसकी विनिर्माण प्रक्रियामें 45 दिन लगते हैं ।

ग्लास इंसुलेटर्स : कच्ची सामग्री को 1450 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है, फ्यूजन मोल्ड प्रेसिंग, टफनिंग और उच्च दाब की वायु शीतलन में रखा जाता है । कोई क्योरिंग प्रक्रियानहीं होती । एक दिन में उत्पादन किया जा सकता है ।

भौतिक रूप से देखने पर दो भिन्न उत्पादक प्रकियाओं के कारण क्रिस्टल रूप में अंतर साफ हो जाता है ।

(iii.) लागत, तुलना तथा तकनीकी विशेषताओं की तुलना अंतर बता देती है ।

(iv.) सीमाशुल्क वर्गीकरण ग्लास : एचएस कोड 854610: सिरामिकः एचएस कोड 854620

(v.) ग्लास इंसुलेटर्स का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता ।

(vi.) अतः उत्पाद तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं ।

य. कतिपय उत्पादों को अलग करने के लिए प्राधिकार चीन, जापान, कोरिया, ईयू, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और यूएसए के स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स में पाया जाता है जहां निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत अपनाए जाते हैं :

i. जहां इच्छुक पक्षकारों द्वारा पेश की गई उत्पादन प्रक्रियाके परिणामस्वरूप भिन्न उत्पाद होते हैं जहां स्पष्टता और पूर्व निर्धारण से भिन्नता स्थापित की जा सकती है।

ii. चाहे डीआई पीओआई के दौरान ऐसी विशिष्ट मदों के विनिर्माण/आपूर्ति कर रहा है।

iii. चाहे पीओआई के लिए डीआई द्वारा विनिर्मित ग्रेड अलग किए जाने के लिए माने गए ग्रेडों के समान हों ।

iv. इस मामले में इन सिद्धांतों को अपनाकर यह स्पष्ट है कि ग्लास एवं सिरामिक इंसुलेटर समान वस्तुएं नहीं हैं ।

र. डीआई द्वारा उत्पादित न किए गए ग्रेडों को बाहर करने के संबंध में न्यायिक घोषणाए :

i. बिड़ला पेरिक्लेस बनाम डीए (2000 116 ईएलटी 336 ट्रिब्युनल):
''सिन्टर्ड मैनेशिया के साथ अपरिवर्तनीय फ्यूज्ड मैग्नेशिया, अतः समान उत्पाद नहीं''

ii. इंडियन रिफ्रेक्टरी मेकर्स एसोसिएशन बनाम डीए (2000 119 ईएलटी 319 (ट्रिब्युनल):
''यदि पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता तो पाटनरोधी शुल्क लगाना जरूरी नहीं है''

iii. ऑक्सो एल्कोहल इंडस्ट्रीज एसो. बनाम डी ए (2001 130 ईएलटी 58 ट्रिब्युनल दिल्ली) :
''सामान्य हैक्सानल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित या विनिर्मित नहीं किया जाता । अतः इसके आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती । ''

iv. मैग्नेट यूजर्स एसो0 बनाम डीए (2003 157 ईएलटी 150 ट्रिब्युनल दिल्ली) :
'' पाटनरोधी शुल्क लगाने के उद्देश्य से रिंग मैग्नेट के ग्रेडों को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है जो कि भारत में उत्पादित नहीं किए जाते हैं ।''

v. वीडियोकॉन नर्मदा ग्लास बनाम डीए (2003 151 ईएलटी 80 ट्रिब्युनल दिल्ली) :
''हम यह नहीं मान सकते कि ग्रेन्युलर रूप में आयातित स्ट्रोंनटीएम कार्बोनेट पावडर के रूप में घरेलू तौर पर उत्पादित स्ट्रोंनटीएम कार्बोनेट से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में है..... अतः स्पष्ट है कि आयातित वस्तु घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकती''

व. प्राधिकारी ने अपने दिनांक 11 फरवरी, 2014 के पत्र द्वारा सभी इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध किया था कि वे 21 फरवरी, 2014 तक पूरक सूचना प्रस्तुत करें । यह पूरक सूचना की आवश्यकता घरेलू उद्योग के साथ विचार–विमर्श के बाद प्राप्त हुई । मै0 नैनजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कंपनी लि0 ने प्राधिकारी के इस अनुरोध पर आपत्ति व्यक्त की और अपना आंकड़ा नियम तारीख तक प्रस्तुत किया जिसमें यह विरोध किया कि वे उसको चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं । मै0 नैनजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रप) कं0 लि0 ने निम्नलिखित आधार पर विरोध किया :

i. 10 दिन के कम समय में नए प्रारूप के अनुसार आंकड़े का प्रावधान एक जल्दबाजी की प्रक्रियाहै और इससे इच्छुक पक्षकारों पर दुस्सह भार पड़ता है ।

ii. घरेलू उद्योग ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि इसमें शामिल विभिन्न उत्पाद किस्मों के कारण भारित औसतों के आधार पर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन निर्धारित करना उपयुक्त नहीं है । घरेलू उद्योग को अपनी याचिका दायर करते समय इस प्रक्रियाको आदर्श रूप से अपनाना चाहिए था ।

iii. घरेलू उद्योग के आंकड़े पर आधारित जांच की शुरूआत पर ही प्रश्न लग सकता है क्योंकि प्राधिकारी ने अब यह पाया है कि आंकड़े समुचित नही हैं और सभी पक्षकारों से नए सिरे से आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है । इन अनुपयुक्त साक्ष्य के आधार पर पहल में डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के तहत पर्याप्तता और शुद्धता की आवश्यकताएं कम पड़ती हैं ।

iv. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की संशोधित याचिका नहीं दी है जो आंकड़ों के लिए प्राधिकारी के उपर्युक्त अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी को पहले ही दायर कर दी गई होती । मै0 नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप कंपनी लि0) संशोधित याचिका का अवलोकन किए बिना अपने आंकड़े देने में असमर्थ हैं क्योंकि उसे समान उत्पाद और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद के लिए विश्लेषण करने हेतु संशोधित याचिका की आवश्यकता है ।

v. प्राधिकारी को विभिन्न विशेषताओं के अनुसार उत्पादों की पहचान करने के लिए एक पीसीएन प्रणाली तैयार करनी चाहिए थी क्योंकि इस जांच में कई विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं । इस स्तर तक प्राधिकारी ने वह सब नहीं किया है ।

vi. नए सिरे से आंकड़े दिए जाने के लिए प्राधिकारी का अनुरोध नई प्रश्नावली के उत्तर तैयार करने संबंधी है जिसके लिए 40 दिन का समय दिया जाना चाहिए था क्योंकि इसके लिए प्रश्नावली के सभी परिशिष्टों में संशोधन करने और उसे पुनः भरने की आवश्यकता होती है ।

vii. जांच के इस स्तर पर नई एवं दुस्सह प्रक्रियागत आवश्यकताएं शुरू करना स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है । और मै0 नैंनजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कंपनी लि0 को उचित प्रक्रियासे वंचित करता है ।

viii. वैकल्पिक रूप से प्राधिकारी इस जांच को निरस्त कर सकते हैं और उपयुक्त एवं पर्याप्त तरीके से सही उत्पाद क्षेत्र का पता लगाने के बाद नई जांच शुरू कर सकते हैं ।

कक. 11 फरवरी, 2014 के पत्र के उत्तर में मै0 जिगोंग सेदिवर टफंड कंपनी लि0, मै0 सिदिवर (शंघाई) कंपनी लि0 और सेदिवर एसए (फ्रांस) ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख किया है ।

i. निर्यातकों ने बिक्री और लागत संबंधी आंकड़े के भाग के रूप में उत्पाद की किस्म के संबंध में पूरे आंकड़े दायर कर दिए हैं । साथ ही आधारभूत उत्पाद कोड का विस्तृत विवरण भी दे दिया गया है क्योंकि आरंभिक नोटिफिकेशन अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी के पत्र में किसी विशिष्ट पीसीएन का उल्लेख नहीं है ।

ii. जब तक अनुरोध किए गए मानदंडों पर आधारित आयात आंकड़ों, सामान्य मूल्य, लागत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और आकस्मिक संपर्क की लेन–देन वार प्रविष्टियां जैसी सूचना घरेलू उद्योग द्वारा नहीं दी जाती, यह उपयुक्त नहीं होगा कि विरोधी पक्षकारों को यह जटिल प्रक्रियाकरने के लिए कहा जा रहा है ।

खख. याचिकाकर्ता इंसुलेटर ≥ 420 केएन का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसे सामानों की मांग भारतीय बाजार में बनी हुई है । याचिकाकर्ताओं को इंसुलेटर ≥ 420 केएन का उत्पादन करने की क्षमता वाले उत्पादकों के रूप में नहीं जाना जाता है । वे सामान्य रूप से 70 केएन से 300 केएन की श्रृंखला के इंसुलेटर की आपूर्ति करते हैं । इंसुलेटर ≥ 420 केएन की उपलब्धता न होने के कारण प्रयोक्ताओं को उनका आयात करना होता है ।

गग. चूंकि घरेलू उद्योग में इंसुलेटर ≥ 420 केएन की आपूर्ति घरेलू बाजार में करने की क्षमता नहीं है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई इंसुलेटर ≥ 420 केएन के संबंध में हुई क्षति कहां है ।

घघ. कीमतें इंसुलेटर की वास्तविक विशिष्टि पर निर्भर करते हुए बहुत ज्यादा भिन्न हैं । प्रत्येक इंसुलेटर का आदेश बहुत ही खास समारोह के लिए दिया जाता है और एक इंसुलेटर को दूसरे इंसुलेटर के स्थान पर नहीं बदला जा सकता जो कि वास्तव में सभी माइनों में समान नहीं होते जैसे कि ईएंडएम फेलिंग लोड ।

ड.ड. निर्दिष्ट उत्पाद की किस्म के रूप में, यह कि क्या मशीन का आयात किया गया है अथवा उसे घरेलू तौर पर खरीदा गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात खरीद के लिए ''तकनीकी योग्यता'' है । इस प्रकार पावरग्रिड कॉर्पोरेशन जैसे केता उस कंपनी को अपनी अपेक्षित तकनीकी विशिष्टियां देंगे जो आदेश में दी गई तकनीकी विशिष्टि के अनुसार इंसुलेटर का विनिर्माण कर सके । गुणवत्ता, सुर्पुदगी कार्यक्रम के

अनुसार विनिर्माण की योग्यता तथा अपेक्षित विशिष्ट इंसुलेटर विनिर्माण करने की उसकी योग्यता महत्वपूर्ण निर्णायक कारक हैं जो खरीददारी के निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं ।

चच. जब हम इंसुलेटर ≥ 420 केएन की तुलना विचाराधीन उत्पाद से करते हैं तो यह ''समान उत्पाद'' नहीं है क्योंकि इसमें कई अंतर हैं । वास्तव में कोई भी यह नहीं कह सकता कि इंसुलेटर ≥ 420 केएन, 210 केएन के रेटेड ईएंडएम फेलिंग लोड के समान है । अतः इंसुलेटर ≥ 420 केएन को जांच के कार्य क्षेत्र से निकाल देना चाहिए ।

घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पादों के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित बातें रखी हैं :

क. इंसुलेटर या तो पोर्सलेन/सिरामेक या ग्लास का हो सकता है। पोर्सलेन इंसुलेटर का उत्पादन मिट्टी, सिलिका, एल्युमिना, फ्रेड्सपार और धातु के पुर्जों का प्रयोग कर किया जाता है। जबकि ग्लास इंसुलेटर का उत्पादन सिलिका और धातु के पुर्जों का प्रयोग कर किया जाता है । दोनों एक ही वस्तु हैं यदि इन दोनों किस्मों की विशेषताओं पर विचार किया जाए, इनकी विनिर्माण प्रक्रिया देखा जाए, इनके प्रयोग देखे जाएं या इनकी कीमतें देखी जाएं । वस्तुतः ये उत्पाद प्रौद्योगिकी निष्क्रिय उत्पाद है । पावरग्रिड कार्पोरेशन ने ऐसे इंसुलेटरों की खरीद के लिए निविदाएं जारी की हैं जो ग्लास या पोर्सलेन के हों । कॉर्पोरेशन ने ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स के बीच कोई भेद नहीं रखा है और पूर्णतः कीमतों में अंतर के आधार पर आदेश दिया है । कॉर्पोरेशन ने दोनों उत्पादों के बीच कोई तकनीकी भिन्नता नहीं की है । साथ ही कभी–कभी उत्पाद ग्लास या पोर्सलेन के संदर्भ के बिना आपूर्तिकर्ता द्वारा सूची में दिया जाता है । ग्लास इंसुलेटर के विनिर्माओं के संबंध में उपलब्ध वाणिज्यिक सूची में ग्लास नहीं होता है । विचाराधीन उत्पाद के आात आंकड़ों में भी कई बार ग्लास नहीं लिखा होता ।

ख. पोर्सलेन/सिरामिक तथा ग्लास इंसुलेटर दोनों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं ।

i. आयाम/परीक्षण के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक समान हैं ।
ii. आयाम समान हैं ।
iii. कैप तथा बॉलपिन सामग्री समान है ।
iv. उत्पादों की शेपिंग, विट्रीफिकेशन (ग्लास जैसे पदार्थ में तब्दील करने के लिए तापन के जरिए अपरिष्कृत इंसुलेटरों को भेजा जाता है) और संयोजन जैसे विनिर्माण में प्रमुख चरण समान हैं ।
v. असेम्बली के लिए प्रयुक्त सीमेंट समान है ।
vi. एसेम्बली प्रक्रियासमान है ।
vii. क्योरिंग प्रक्रियासमान है ।
viii. सभी प्रकार/स्वीकार्यता और नेमी परीक्षण प्रयुक्त कच्ची सामग्री की विशेषता को छोड़कर समान हैं ।
ix. पैकिंग किस्म भी समान है ।
x. इलैक्ट्रिकल/मकेनिकल/थर्मल स्ट्रेस संबंधी आवश्यकताएं समान हैं ।
xi. निष्पादन संबंधी आवश्यकताएं समान हैं ।

ग. ग्लास/पोर्सलेन की विनिर्माण प्रक्रियामें शामिल प्रमुख कदम हैं : कच्ची सामग्री को मिलाना, स्लरी की तैयारी (सिरामिक और पोर्सलिन में) तथा पिघलाना (ग्लास के मामले में), शेप देना, सुखाना, मेटल असेम्बली तथा परीक्षण । ग्लास इंसुलेटर के संबंध में उत्पादन प्रक्रियापोर्सलेन इंसुलेटर के संबंध में उत्पादन प्रक्रियाके समान है । तथापि, इसमें शामिल प्रौद्योगिकी कच्ची सामग्री में अंतर की दृष्टि से कुछ हद तक भिन्न है ।

घ. चीन से निर्यातित विषयगत सामान में और याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित सामान में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पोर्सलेन/सिरामिक इंसुलेटर्स तथा चीन से आयातित यही इंसुलेटर समान वस्तुएं हैं तथा भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाऔर प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियां, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामान का किराया वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से समान वस्तुएं एवं तुलनीय हैं । उपभोक्ता इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को आपस में बदलकर इस्तेमाल कर रहे हैं । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

ड. जहां तक 765 केवी और एचवीडीसी इंसुलेटर को निकालने का दावा है, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के किसी एक घटक द्वारा किसी विशेष उत्पाद किस्म का उत्पादन नहीं किया जाता, नियमों के तहत पूर्णतः अवास्तविक है । यह उद्योग तब तक संरक्षण का हकदार है, जब तक घरेलू उद्योग के किसी घटक द्वारा इस उत्पाद का उत्पादन किया गया है और आपूर्ति की गई है । घरेलू उद्योग के घटकों में पर्याप्त क्षमता है और देश की मांग को 1200 के.वी. तक पूरा कर सकते हैं । जहां तक 420 के.एन. को हटाने का संबंध है, इन इंसुलेटरों की आपूर्ति घरेलू उद्योग के सभी प्रमुख व्यापारियों द्वारा की गई है ।

च. याचिकाकर्ताओं ने 854620 के लिए आयात आंकड़ों पर पंक्ति दर पंक्ति विचार किया है और उन सभी प्रविष्टियों को अलग कर दिया है जो विचाराधीन उत्पाद में नहीं हैं । याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन गैर उत्पाद को हटाए बिना समरी आंकड़ों को नहीं अपनाया है ।

छ. याचिकाकर्ता ने इस वजह से उत्पाद के लिए 6 अंकीय वर्गीकरण विनिर्दिष्ट किया है कि याचिकाकर्ता ने उस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध किया है जो 6 अंकों के तहत नहीं आते । कई देशों ने अपनी एच एस कोड प्रणालियों में वोल्टेज डेटिंग के आधार पर अलग–अलग उत्पादों को विशिष्ट बनाया है । इस प्रकार भारतीय सीमाशुल्क वर्गीकरण ने वोल्टेज रेटिंग में अंतर का अर्थ यह नहीं है कि अलग–अलग 8 अंकीय एच एस कोड वाले उत्पाद किस्म अलग–अलग उत्पाद हैं ।

ज. निर्यातकों के रूप में सूचीबद्ध किए जा रहे टीवीएचएस और एम डब्ल्यू वी के संबंध में क्रमशः कंडेन्शन बूशिंग और वोल्टेज ट्रांसफार्मर निर्यात करने के बावजूद तथा बीएचईएल एकमात्र घरेलू उत्पादक होने के नाते जो कि उनका विनिर्माणकर्ता है, कंडेंन्शर बुशिंग और ट्रांसफार्मर्स वर्तमान याचिका और जांचों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं ।

झ. खाली कंपोजिट इंसुलेटर्स होने के नाते वोल्टेज ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त इंसुलेटर्स के संबंध में यह स्वीकार किया जाता है कि कंपोजिट इंसुलेटर्स विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं ।

ट. शुद्धि पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के संबंध में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र निष्कर्षों में स्पष्ट किया जा सकता है ।

ठ. कंपोजिट इंसुलेटर्स निम्नलिखित कारणों से विशिष्ट रूप से भिन्न वस्तु है :–

i. आईइसी (इंटरनेशनल इलैक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) के अनुसार कंपोजिट इंसुलेटर्स ग्लास/पोर्सलेन इंसुलुटर्स से भिन्न श्रेणी में आते हैं तथा पृथक आईइसी मानकों के अध्यधीन हैं ।

ii. कंपोजिट इंसुलेटर्स के लिए कच्ची सामग्री, संघटन, विनिर्माण प्रक्रियाप्रति किलो उत्पाद लागत, बिक्री कीमत महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं ।

iii. पॉलीमर/कंपोजिट इंसुलेटर प्रौद्योगिकी सापेक्ष रूप से नई है और जहां तक प्रयोग का संबंध है, इन इंसुलेटर्स की कतिपय सीमाएं हैं । पालीमर/कंपोजिट इंसुलेटर्स उच्चतर झुकाव वाली शक्ति की अपेक्षा रखने वाले सब–स्टेशन पोस्ट इंस्टुलेटर्स अनुप्रयोगों के लिए अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं । कुछ देशों में पालीमर/कंपोजिट इंसुलेटरों को 230 के वी की वोल्टता और उससे अधिक अथवा उच्च यांत्रिक शक्ति के अनुप्रयोगों के लिए सामान्यतः प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।

iv. पावर ग्रिड कार्पोरेशन जैसे उपभोक्ताओं ने निविदाएं जारी की हैं जिनमें उन्होंने परस्पर परिवर्तनीय ग्लास एवं पोर्सलेन इंसुलेटर्स की खरीद की मांग की है परंतु कंपोजिट इंसुलेटर्स के लिए अलग टेंडर जारी किए हैं ।

v. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड जैसे उपभोक्ताओं ने एक निविदा जारी की है जिसमें ग्लास पोर्सलेन और कंपोजिट इंसुलेटर्स शामिल हैं । कंपोजिट इंसुलेटर्स के बोलीदाताओं ने संपूर्ण मात्रा के लिए दरें दी हैं और उनकी बोली कीमत सबसे कम थी । तथापि, विद्युत बोर्ड ने अपनी कुल निविदा मात्राओं के केवल 10 प्रतिशत के लिए कंपोजिट इंसुलेटर्स का आदेश दिया । 90 प्रतिशत का आदेश सिरामिक इंसुलेटर आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ।

vi. सामान्यतः कंपोजिट इंसुलेटर की कीमत प्रति इंसुलेटर कंपोजिट इंसुलेटर्स की कीमतों की अपेक्षा काफी कम (अधिक से अधिक 30–40 प्रतिशत) है । विरोधाभास से ग्लास इंसुलेटर्स के आपूर्तिकर्ताओं को, यदि आपूर्तिकर्ता आदेश प्राप्त करना चाहें, कंपोजिट इंसुलेटर्स की तुलना में प्रति इंसुलेटर तुलनीय कीमत पेश करनी चाहिए ।

vii. कंपोजिट इंसुलेटर्स की तुलना में अत्यधिक सस्ता होने के बावजूद सिरामिक और कंपोजिट इंसुलेटर्स के लिए प्रयोक्ता अधिमानता के कारण भारतीय उत्पादकों ने कंपोजिट इंसुलेटरों की महत्वपूर्ण अनुपयुक्त क्षमताएं हैं । अतः कंपोजिट इंसुलेटर्स वाणिज्यिक रूप से ग्लास/पोर्सलेन इंसुलेटर का स्थान नहीं ले सकते ।

ड. यद्यपि, विभिन्न प्रकार के ग्लास एवं पोर्सलेन इंसुलेटर एक ही उत्पाद होते हैं, तथापि याचिकाकर्ताओं ने स्वच्छ तुलना के प्रयोजन से अलग–अलग किस्म में विचाराधीन उत्पाद को अलग किए जाने के लिए पहले ही प्रस्ताव कर दिया है । निर्यातकों से अपेक्षा है कि वे अपनी प्रश्नावली के उत्तरों में अलग–अलग उत्पाद किस्म के लिए अलग–अलग सूचना दें ।

ढ. चीन, जापान, कोरिया, ईयू, साउथ अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और यूएसए से स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रॉल्ड फ़लैट स्टील उत्पादों में उत्तरदाता पक्षकार ने विश्वास किया, घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तु का अभाव था । इस मामले में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्त किए गए उत्पाद की विशिष्टियां समान हैं और उपभोक्ताओं ने किसी भी उत्पाद के लिए किसी भी अंतर वाली कीमत का भुगतान करने से मना कर दिया है ।

ण. वस्तुतः विरोधी इच्छुक पक्षकार द्वारा उल्लिखित मामलों से घरेलू उद्योग के इस आशय को समर्थन मिलता है कि यदि उत्पाद अंतर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग में लाया जाता है और एक–दूसरे के वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में है तो वह एक ही वस्तु है तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी उन दो को एक वस्तु में शामिल करने में औचित्यपूर्ण है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लास अथवा पोर्सलेन/सिरामिक का इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर है वह चाहे एसेंबल किया हुआ हो या असेंबल न किया हुआ हो । तथापि, (क) 1 के वी तक की वोल्टेज डेटिंग के टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ इंसुलेटर, (ख) 1 के वी तक की वोल्टेज डेटिंग के इलैक्ट्रिकल अथवा इलैक्ट्रोनिक उपकरण/डिवाइस इंसंलेटर्स, (ग) कंपोजिट इंसुलेटर्स वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र से हटाए जाते हैं ।

6. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पोर्सलेन/सिरामिक इंसुलेटर्स (सीमाशुल्क टैरिफ उप शीर्ष 8546.20 के अधीन वर्गीकृत तथा ग्लास इंसुलेटर्स उप शीर्ष 8546.10 के अधीन वर्गीकृत) है । वर्तमान जांच के उद्देश्य से एक ही वस्तु मानी जाती हैं । उन्होंने यह दावा ग्लास इंसुलेटर्स और पोर्सलेन/सिरामिक इंसुलेटर्स की अनिवार्य विशेषताओं, कार्यों तथा प्रयोगों, कीमत, वितरण एवं विपणन, तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक अंतर परिवर्तनीयता के आधार पर किया है ।

7. ''समान वस्तु'' की परिभाषा से संबंधित नियम 2(घ) मे विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु का अभिप्रया उस वस्तु से है जो जांचाधीन वस्तु के संबंध में हर प्रकार से समान अथवा उसी तरह की है अथवा किसी वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु जो जांच के अधीन आने वाली उस वस्तु से बारीकी से समानता वाली विशेषताएं रखती हो ।

8. ''समान वस्तु'' शब्द की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि समान वस्तु को जांच के अधीन आने वाली वस्तु के हर प्रकार से समान अथवा उसी तरह का होना चाहिए । समान वस्तु शब्द के कार्यक्षेत्र में वे वस्तुएं शामिल होंगी जो समान वस्तुओं अथवा हर प्रकार से उसी तरह की वस्तुओं के अभाव में जांच के अधीन आने वाली वस्तुओं से बारीकी से मिलती–जुलती विशेषताओं वाली हों । अतः ''के अभाव में'' शब्दों का प्रयोग संविधि के तहत समान वस्तु शब्द के निर्वचन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसमें कोई विवाद नहीं है कि ''के अभाव में'' शब्दों को केवल घरेलू उद्योग के संदर्भ में समझा जाना चाहिए । चाहे ''समान वस्तु'' का उत्पादन करने वाला ''घरेलू उद्योग'' विद्यमान हो या न हो । दूसरे शब्दों में यदि समान वस्तु का उत्पादन करने वाला घरेलू उद्योग नहीं है तो कानून इस शब्द के कार्यक्षेत्र में उन वस्तुओं को भी शामिल करने के लिए प्राधिकारियों को अनुमति देता है जो बारीकी से मिलती–जुलती विशेषताओं वाली हों ।

9. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्लास इंसुलेटर्स को शामिल करने और ग्लास तथा पोर्सलेन इंसुलेटर्स को एक वस्तु के रूप में मान्य का संबंध है, प्राधिकारी ने कई मानदंडों पर विचार किया है । यह विवादरहित स्थिति है कि ग्लास से बने इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भारत में उत्पादित नहीं किए जाते । घरेलू उद्योग ने यह बात रखी है कि ग्लास और पोर्सलेन दोनों से बने इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स सिरामिक इंसुलेटर्स की श्रेणी में आते हैं । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल इस तथ्य कि ग्लास से बने इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भारत में उत्पादित नहीं किए जाते, का मतलब यह नहीं होता कि उसे विचराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी को यह विचार करने की अपेक्षा है कि कि क्या घरेलू उद्योग आयातित उत्पाद के समान वस्तु पेश कर रहा है । अतः प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पोर्सलेन के इलैक्ट्रिक इंसुलेटर ग्लास के आयातित इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर के समान वस्तु है । अतः प्राधिकारी ने जांच की कि ग्लास और पोर्सलेन, दोनों के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स समान वस्तु हैं ।

10. (क) यह नोट किया जाता है कि ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्पाद विशिष्टयों में कोई अंतर नहीं दर्शाते । उत्पाद के क्रेताओं के निविदा दस्तावेज घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स में कोई अंतर नहीं देखते । उपभोक्ताओं द्वारा विनिर्दिष्ट ग्लास एवं पोर्सलेन इंसुलेटरों के लिए तकनीकी मानदंड समान हैं । प्राधिकारी ने पोर्सलेन और ग्लास इंसुलेटर के उत्पादन में शामिल उत्पादन प्रक्रिया की जांच की और यह पाया कि यद्यपि, कुछ उत्पादन प्रक्रियाएं भिन्न हैं, तथापि, कुछ प्रक्रियाएं समान हैं । दोनों उत्पादों के बीच सामान प्रक्रियाओं में आकार निर्माण प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया, असेम्बली प्रक्रिया, क्योरिंग प्रक्रिया, परीक्षण प्रक्रिया और पैकिंग पद्धति शामिल हैं । तथापि, यह नोट किया जाता है कि कई कच्ची सामग्रियों में और उत्पादन प्रौद्योगिकी के कुछ भाग में अंतर है । ग्लास इंसुलेटर्स के उत्पादन में प्रारंभिक रूप से आकार में मोल्डिंग मोल्टन सिलिका और उसके बाद धातु के हिस्से–पुर्जे जोड़ना शामिल है । पोर्सलेन इंसुलेटर्स के मामले में या तो मिट्टी का मिश्रण अपेक्षित आकार में दबाकर अथवा अपेक्षित आकार में औजारों का प्रयोग करके उसे आकार देकर अपेक्षित आकार में मिट्टी को ढाला जाता है । उसके बाद धातु के पुर्जे जोड़े जाते हैं । तथापि, इन अंतरों के बावजूद उत्पाद गुणधर्मों की दृष्टि से परिणामी उत्पाद समान होता है । प्राधिकारी यह पाते हैं कि उपभोक्ता उत्पाद को एक प्रौद्योगिकी निष्क्रिय उत्पाद के रूप में मानते हैं । घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य दिए कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ऐसे इंसुलेटर की खरीद के लिए निविदाएं जारी कीं जो ग्लास अथवा पोर्सलेन के हो सकते हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं रखा तथा आदेश देने के लिए पूरा मानदंड कीमत को रखा । अभिलेख में मौजूद सूचना यह दर्शाती है कि ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर समान कार्य करते हैं । उपभोक्ताओं ने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है कि ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स परस्पर परिवर्तनीय रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं । यह भी नोट किया जाता है कि दोनों इंसुलेटर्स की कीमतों में कोई अंतर नहीं है । वस्तुतः पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने कीमतों के पूर्ण मानदंड पर आदेश दिया है और ग्लास तथा पोर्सलेन इंसुलेटरों के बीच कोई अंतर नहीं किया है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों उत्पाद समान कार्य करते हैं तथा परस्पर परिवर्तनीय रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं । पावर ग्रिड ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और उसने घरेलू उद्योग के इस दावे पर कोई विवाद नहीं किया है कि पोर्सलेन और ग्लास इंसुलेटर्स तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और कंपनी ने इन दोनों का उपयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है ।

(ख) निम्नलिखित तालिका से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान ग्लास इंसुलेटर के आयातों में भारी वृद्धि हुई है । तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान पोर्सिलेन इंसुलेटर के आयात में गिरावट आई है । इससे ग्लास इंसुलेटरों और पोर्सिलेन इंसुलेटरों के बीच प्रतिस्थापनीयता की स्पष्ट तौर पर पुष्टि होती है । अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं कि ग्लास और पोर्सलेन इंसुलेटर्स समान वस्तु हैं और शुल्क की सिफारिश समग्र इंसुलेटर पर की जाएगी ।

विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2010–11	जांच अवधि
ग्लास इंसुलेटर					
मात्रा	मी.ट.	6,738	12,782	20,063	55,028
पोर्सीलिन इंसुलेटर					
मात्रा	मी.ट.	9,544	13,594	15,718	7,416

11. जहां तक विभिन्न प्रकार के लंपिंग इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का संबंध एक उत्पाद के रूप में है, प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में नोट करते हैं :

क. विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स भौतिक उत्पादन टेक्नोलॉजी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र एवं उपस्कर, प्रकार्य एवं प्रयोग आदि सहित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं ।

ख. विभिन्न उत्पाद किस्मों, दूसरी कंडेक्टिंग बॉडी से एक कंडेक्टिंग बॉडी में इंसुलेशन का समान सामान्य कार्य करती हैं ।

ग. यद्यपि, अलग–अलग इंसुलेटर्स के भिन्न–भिन्न विशिष्ट अंतिम अनुप्रयोग हैं, तथापि, यह नोट किया जाता है कि सभी इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स अनिवार्य रूप से समान कार्य करते हैं । विभिन्न श्रेणियां/किस्में विभिन्न अंतिम प्रयोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । इंसुलेटर्स का डिजायन और आकार अंतिम प्रयोग संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार अलग–अलग होता है । उदाहरण के लिए डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग पारेषण एवं वितरण लाइन में होता है जबकि खोखले और ठोस कोर का प्रयोग सब स्टेशन में होता है । तथापि, विनिर्माण के लिए प्रचालन एवं आवश्यक मशीनरी सभी प्रकार के इंसुलेटरों के लिए अनिवार्य रूप से समान हैं ।

घ. उत्पादक प्रायः उत्पादन, वितरण अथवा लेखा–जोखा की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के बीच भेद नहीं करते । घरेलू उद्योग और चीनी उत्पादकों, दोनों की उनकी सभी विभिन्न प्रकार के श्रेणियों/किस्मों के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के लिए समान विनिमार्ण प्रक्रियाहै । साथ ही सभी प्रकार की श्रेणियों/किस्मों के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के लिए समान वितरण चैनल प्रयोग में लाए जाते हैं ।

ड. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रश्नावली में निर्यातकों से यह अपेक्षा है कि वह प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए अलग–अलग सूचना दें । तथापि, यह नोट किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर्स के भारित औसत के साथ याचिका आगे बढ़ाने में घरेलू उद्योग के दावे पर विवाद करते हुए किसी भी निर्यातक ने अपने आरंभिक प्रश्नावली के उत्तरों में विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर्स के लिए अलग से सूचना नहीं दी है, फिर भी निर्धारित प्रश्नावली में निर्यातकों से अपेक्षा है कि वे प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग से सूचना दें । तथापि, बाद में यह सूचना उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्राधिकारी के अनुरोध पर प्रदान की गई ।

12. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उत्पाद किस्म, आकार, रेंज, मॉडल आदि के संबंध में सूचना याचिका में उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न किस्मों के विवरण प्रदान किए हैं । साथ ही याचिकाकर्ताओं ने अपनी वेबसाइटों का भी उल्लेख किया है । यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि इस संबंध में इन कंपनियों की वेबसाइट पर दी गई सूचना उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है जिसके लिए प्राधिकारी ने आवेदन प्रपत्र में यह सूचना मांगी है । इच्छुक पक्षकारों ने ये बात भी रखी है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पाद किस्मों से संबंधित सूचना याचिका में उपलब्ध नहीं कराई गई । प्राधिकारी नोट करते हैं कि साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा में जांच की प्रगति होने से सुधार आया है ।

13. जहां तक इस बात का संबंध है कि याचिकाकर्ताओं को चीनी सीमाशुल्क के अनुसार निर्यात का व्यापार दर व्यापार विवरण देना चाहिए ताकि उत्पाद की समुचित समझ बनाई जा सके, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी सीमाशुल्क के अनुसार निर्यात का व्यापार दर व्यापार विस्तृत विवरण

हर हालत में सीमाशुल्क टैरिफ में दिए गए अनुसार विवरण में है । इसके अतिरिक्त निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली में दिए गए उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि उत्पाद की कुछ किस्में ही पीओआई के दौरान निर्यात की गई हैं ।

14. जहां तक इस बात का संबंध है, कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाए गए सीमाशुल्क आंकड़ों में प्रत्येक किस्म के ग्लास अथवा पोर्सलेन इंसुलेटर शामल हैं, यह नोट किया जाता है कि भारतीय सीमाशुल्क आंकड़ों से प्राप्त की गई आयात सूचना के आधार पर जांचों के भाग में न आने वाले उत्पादों के आयात को अलग कर दिया है । जहां तक इस बात का संबंध है कि अलग किए गए उत्पाद का आंकड़ा पूरा नहीं है, प्राधिकारी ने इस निर्धारण में पीओआई के लिए आंकड़े स्वीकार कर लिए हैं । यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद की अलग की गई श्रेणी के आयात की मात्रा पीओआई के दौरान आयात की गई कुल आयात की मात्रा को देखते हुए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ।

15. प्राधिकारी यह मानते हैं कि सभी श्रेणियों/किस्मों के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की समानताएं उनकी तकनीकी और भौतिक विशेषताओं तथा उनके अनुप्रयोग और अंतिम उपयोग के संदर्भ में इन प्रक्रियाओं, किन्हीं अंतरों के प्रयोजन से उपयुक्त हैं और इसलिए वे समान वस्तुएं हैं । तथापि, पाटन मार्जिन, कीमत कम करने तथा क्षति मार्जिन विश्लेषण और इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई दलील की दृष्टि से के प्रयोजन से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को निर्देश दिया कि वे अलग–अलग प्रकार के इंसुलेटर्स के लिए अलग–अलग सूचना दें । घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करते हुए विभिन्न किस्मों में विचाराधीन उत्पाद के श्रेणीकरण का सुझाव दिया।

क. इंसुलेटर का प्रकार – इंसुलेटर डिस्क, खोखला, लंबी रॉड, ठोस कोर, पिन तथा एल टी इंसुलेटर

ख. मकेनिकल स्ट्रेंथ – इंसुलेटर में मेकेनिकल स्ट्रेंथ 4 केएन से 420 के.एन के बीच कहीं भी हो सकती है । 420 के.एन से अधिक के इंसुलेटर्स का अब तक भारत में उपयोग नहीं किया गया है । साथ ही मेकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए इंसुलेटर्स को निम्नलिखित समूह में रखा जा सकता है ।

डिस्क इंसुलेटर	क 90 kN तक ख 120 kN – 160 kN ग 210 kN घ 320 kN – 420 kN
खोखला इंसुलेटर	क. 5 kNm तक ख. 5.1 – 10 kNm ग 10.1 – 20 kNm घ. 20.1 kNm – 30 kNm ड. 30.1 kNm – 50 kNm च. 50.1 kNm तथा उससे अधिक
लंबी रॉड	क. 90 kN तक ख 120 kN – 160 kN ग. 210 kN घ. 320 kN – 420 kN
ठोस कोर	क. Upto 4 kN ख 6 kN ग 8 kN घ 10 kN ड. 12.5 kN च 15 kN तथा उससे अधिक
पिन एवं कम तनाव वाले इंसुलेटर	सभी मेकेनिकल स्टेंथ

ग. ध्रुवता – इंसुलेटरों का प्रयोग एसी अथवा डी सी करंट में किया जा सकता है ।

घरेलू उद्योग ने यह बात रखी कि यदि आंकड़े इनसुलेटर, मेकेनिकल स्टेंथ और ध्रुवता की किस्म पर विचार करते हुए अलग किए जाते हैं तो सही तुलना के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के इंसुलेटरों में अंतर करना तथा उन्हे विशिष्ट रूप से दर्शाना पर्याप्त होगा ।

16. प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों से अनुरोध किया कि वे पूरक सूचना दें तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों को उद्योग द्वारा बताई गई बातों की एक प्रति उपलब्ध कराएं । यह सूचना उपलब्ध कराते समय, यद्यपि कुछ इच्छुक पक्षकारों ने पूरक सूचना प्रदान करने के लिए उन्हें दी गई अल्पकालिक अवधि का उल्लेख किया तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसकी भी भी इच्छुक पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित उत्पाद को अलग करने के संबंध में काई आपत्ति नहीं उठाई । इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इच्छुक पक्षकारों ने एक तरह से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित श्रेणीकरण को स्वीकार कर लिया और संबंधित सूचना दे दी ।

17. जहां तक इच्छुक पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जाने के बाद यह सूचना मांगी, सूचना दिए जाने के लिए बहुत कम समय दिया गया, घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई संशोधित याचिका सभी इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा जांच रद्द की जानी चाहिए क्योंकि यह प्रक्रियाप्रारंभिक स्तर पर नहीं की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित प्रश्नावली में निर्यातकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक उत्पाद किस्म के लिए अलग से सूचना दें तथा इस प्रकार निर्यातकों को प्रश्नावली के उत्तर दायर करते समय यह सूचना प्रदान करने का अवसर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, इच्छुक पक्षकार अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकते थे जिस पर प्राधिकारी समुचित रूप से विचार कर सकते थे । किसी भी उत्तरदाता निर्यातक ने अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मांगा और वस्तुतः सभी उत्तरदाता निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा दिए गए समय के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान

की । यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने कोई संशोधित याचिका दायर नहीं की है । घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 8 फरवरी, 2014 के पत्र द्वारा उत्पाद श्रेणीकरण का सुझाव दिया है जिसकी एक प्रति इच्छुक पक्षकारों को तुरंत उपलब्ध करा दी गई । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा में जांच की प्रगति के रूप में सुधार आया है । प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों के इस तर्क को विधिवत ध्यान में रखा है कि विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर्स का भारित औसत विश्लेषण समुचित नहीं है और तदनुसार, इच्छुक पक्षकारों से संगत सूचना मांगी है ।

18. जहां तक ईयू और यूएसए द्वारा माने गए उत्पाद क्षेत्र का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र जरूरी नहीं कि समान हो क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अन्य प्राधिकारियों द्वारा वैश्विक रूप से माना गया है ।

19. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क का संबंध है कि उत्पाद के अलग–अलग प्रकार असमान वस्तुएं हैं और जांच अलग–अलग उत्पादों पर अलग से विचार करते हुए करनी होगी । यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स को समान वस्तु माना है और इसलिए समूची जांच समग्र इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के लिए की जानी चाहिए ।

20. जहां तक मै. गोल्ड स्टोन इन्फ्राटेक लि0 के उनके द्वारा विनिर्मित किए जा रहे ग्लास फाइबर सिलिकोन रबड, इंसुलेटर्स उत्पाद को इस आधार पर इस वर्तमान जांच में शामिल किए जाने का संबंध है, कि उनका उत्पाद समान है अथवा सिरामिक/पोर्सलेन इंसुलेटर्स के समान हैं, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस उत्पाद किस्म को शामिल करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा । यद्यपि, मै0 गोल्ड स्टोन इन्फ्राटेक लि0 ने यह बात रखी है कि कंपोजिट इंसुलेटर्स और ग्लास/पोर्सलेन इंसुलेटर समान वस्तुएं हैं, तथापि घरेलू उद्योग ने स्वयं कहा है कि ये इंसुलेटर्स विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तुएं नहीं हैं । घरेलू उद्योग ने यह बात भी रखी है कि कंपोजिट इंसुलेटर पोर्सलेन या ग्लास इंसुलेटर्स से बिल्कुल भिन्न हैं तथा कच्ची सामग्री, संगठन, विनिर्माण प्रकिया, उत्पादन लागत, बिक्री कीमत जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर पूर्णतः भिन्न वस्तुऐ हैं । दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। कंपोजिट इंसुलेटर ग्लास/पोर्सलेन इंसुलेटरों का स्थान नहीं ले सकते और ग्लास/पोर्सलेन इंसुलेटर्स कंपोजिट इंसुलेटर्स का स्थान नहीं ले सकते । दोनों में कीमतों में भारी अंतर है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. से ''ग्लास/पोर्सलेन इंसुलेटर्स'' है तथा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः कंपोजिट इंसुलेटर्स को शामिल करने के लिए वर्तमान जांचों का क्षेत्र बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा ।

21. ग्लास एवं पोर्सलेन इंसुलेटर्स को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 85 के तहत सीमाशुल्क शीर्ष 8546 के अधीन वर्गीकृत किया गया है ।

22. **हटाने का अनुरोध :** कुछ इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स को हटाने के संबंध में इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है जिनकी निम्नलिखित रूप में नीचे जांच की गई है :

क. जहां तक 765 के वी इंसुलेटर और एचबीडीसी को इस आधार पर हटाए जाने का तर्क है कि घरेलू उद्योग के सभी घटक उसका उत्पादन नहीं करते, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस इंसुलेटर को हटाना औचित्यपूर्ण नहीं है । कानून के तहत ये आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग का प्रत्येक घटक विचाराधीन हर प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करे । साथ ही घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक बीजक की प्रतियां दी हैं जिनमें घरेलू उद्योग के घटक द्वारा इस इंसुलेटर की बिक्री दर्शायी गई है ।

ख. जहां तक ''रेटेड ई एंड एम फेलिंग लोड ≥ 420 के एन वाली डी सी पारेषण लाइन के लिए डिस्क इंसुलेटर'' को हटाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के घटकों ने 420 के.एन डिस्क इंसुलेटर्स का उत्पादन और बिक्री की है तथा इसीलिए इस उत्पाद किस्म को उत्पाद क्षेत्र से अलग करना उपयुक्त नहीं होगा।

ग. जहां तक कंडेंशनर बुशिंग और ट्रांसफार्मर को हटाने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंडेंशनर बुशिंग और ट्रांसफार्मर विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गतग नहीं आते । घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में बुशिंग और ट्रांसफार्मर शामिल नहीं हैं । तथापि, प्राधिकारी एतद्द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और प्रस्तावित उपाय कंडेशनर बुशिंग और ट्रांसफार्मर को अलग करते हैं । चूंकि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में बुशिंग को शामिल नहीं किया है, अतः इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों के तर्क की विस्तार से जांच नहीं की गई है ।

23. जहां तक उत्पाद क्षेत्र को 6 अंकीय स्तर तक सीमित रखने के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इस जांच में विचाराधीन उत्पाद ग्लास का इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर, अथवा सिरामिक्स/पोर्सलेन है, चाहे वह असेम्बल किया हुआ हो अथवा असेम्बल न किया हुआ हो । जिसमें (क) 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के टेलीफोन या टेलीग्राफ इंसुलेटर, (ख) 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के इलैक्ट्रिकल अथवा इलैक्ट्रोनिक उपकरण/डिवाइस इंसुलेटर, और (ग) कंपोजिट इंसुलेटर शामिल नहीं हैं । विचाराधीन उत्पाद में एक विशिष्ट 6 अथवा 8 अंकीय सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है । सीमाशुल्क वर्गीकरण का प्रयोजन पाटनरोधी शुल्क के लिए वस्तु का पता लगाना है । निर्दिष्ट प्राधिकारी से उत्पाद का विवरण दिए जाने की अपेक्षा है जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है । अतः यह आवश्यक है कि 6 अंकीय स्तर पर सीमाशुल्क वर्गीकरण विनिर्दिष्ट किया गया है । सीमाशुल्क वर्गीकरण को विर्निदिष्ट करने का प्रयोजन आयात के समय विचाराधीन उत्पाद का सही पता लगाना है । और इसीलिए यदि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न सीमाशुल्क वर्गीकरणों की संख्या में आता है, तो उसे विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता होती है । तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि एच एस कोड के तहत सूचित कोई आयात केवल इस कारण पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा कि एच एस कोड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में और पाटनरोधी शुल्क तालिका में निर्दिष्ट किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित किया जा रहा पाटनरोधी शुल्क उत्पाद विवरण पर है और न कि एच एस वर्गीकरण पर । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर न आने वाले उत्पाद का कोई भी आयात केवल इस कारण पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन न रखा जाए कि एच एस कोड शुल्क तालिका के अधीन निर्दिष्ट किया गया है ।

24. जहां तक इस बात का संबंध है कि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में शुद्धि पत्र जारी करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को न तो बढ़ाया है और न ही सीमित किया है । केवल इस तथ्य से कि प्राधिकारी ने अब इस उत्पाद को विभिन्न किस्मों में श्रेणीकृत कर दिया है, शुद्धि पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं मानी जा सकती ।

25. जहां तक स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील के उत्पादों के मामले में प्राधिकारी के निर्णय का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उस मामले में सूचीबद्ध व्यापक सिद्धांतों को इस मामले में भी लागू किया गया है । किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई उत्पाद किस्म ऐसी है जो उस तरह की वस्तु हो, जिसे घरेलू उद्योग में पेश नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंसुलेटर के

गुणधर्म चाहे ग्लास का बना हो अथवा पोर्सलेन का बना हो, समान हैं, जैसा कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा जारी बोलियों से स्पष्ट स्थापित हो गया है ।

26. जहां तक बिड़ला पेरिक्लेस, इंडियन रिफ्रैक्ट्री मैन्युफैक्चर एसो0, ऑक्सो एल्कोहल इंडस्ट्री एसो0, मैग्नेट यूर्जस एसो0 और वीडियोकॉन नर्मदा ग्लास के मामले में सेस्टेट के निर्णय का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद से बहुत बारीकी से मिलती—जुलती विशेषताओं वाला उत्पाद पेश किया है । वस्तुतः पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने माना है कि ग्लास और पोर्सलेन से बने इंसुलेटर समान विशिष्टियों वाले होंगे ।

27. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विषयगत वस्तुओं और विषयगत देश से आयातित वस्तुओं में कोई खास अंतर नहीं है । दोनों वस्तुओं की भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रियाऔर प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं उपयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं । दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से करते हैं । घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी मानदंडों को विनिर्दिष्ट करने के बाद आदेश देते हैं, जहां आपूर्ति किए गए उत्पाद तकनीकी विशिष्टियों को पूरा करने तक घरेलू उद्योग अथवा चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जा सकती हैं । इस प्रकार आपूर्तिकर्ता क्रेता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप उत्पाद की बिक्री करते हैं । उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दर्ज किए गए प्रश्नावली के उत्तरों से यह बात सामने आती है कि उन्होंने उन्हीं ग्राहकों को आपूर्ति की है जिनको घरेलू उद्योग ने अपना उत्पाद बेचा है।

28. प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद विषयगत देश से भारत में आयातित किए जा रहे संबंधित सामान के समान वस्तु हैं ।

<u>उत्पाद क्षेत्र संबंधी निष्कर्ष</u>

29. इन बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच तथा प्रस्तावित उपायों के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र ग्लास के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स अथवा पोर्सलेन/सिरामिक है, चाहे वे असेम्बल्ड हो या असेम्बल न किए हुए हों । तथापि, (क) 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ इंसुलेटर्स, (ख) 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक उपकरण/डिवाइस इंसुलेटर्स तथा (ग) कंपोजिट इंसुलेटर्स विचाराधीन जांच के क्षेत्र से हटाए गए हैं । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बुशिंग्स तथा वोल्टेज ट्रांसफार्मर विचाराधीन उत्पाद एवं प्रस्तावित उपायों के क्षेत्र से अलग हैं ।

ख. घरेलू उद्योग का क्षेत्र तथा आधार

30. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित रूप में करता है :

(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' शब्द का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा ।''

31. विषयगत सामानों के घरेलू उद्योग के रूप में आदित्य बिड़ला नोवो लि0 (आदित्य बिड़ला), भारत हैवी इलैक्ट्रिल्स लि0 (बीएचईएल), इंसलेटर्स एंड इलैक्ट्रिकल कंपनी (आईइसी), मॉडर्न इंसुलेटर्स लि0 (मॉर्डन) और डब्ल्यू एस इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि0 (डब्ल्यूएसआई) (इसके बाद जिन्हें ''आवेदक'' कहा जाएगा, द्वारा आवेदन पत्र दायर किया गया था । शुरूआत के बाद आवेदक को इंडियन इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यु0 एसो0, श्रीजी पावर एंड इंसुलेटर प्रा0 लि0, बीकानेर कंपनीज प्रा0 लि0, ए.के. इंडिया सिरामिक्स प्रा0 लि0, बीकानेर पोर्सलिन प्रा0 लि0, एलाइड सिरामिक्स प्रा0 लि0, तरूणा डिकोम प्रा0 लि0, प्राइम इंसुलेटर्स सरवाना ग्लोबर एनर्जी लि0, जयपुरिया ब्रदर्स, जनरल पावर कंपनी प्रा0 लि0, हिंदुस्तान केमिकल्स, राष्ट्रीय इलैक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कार्पो0 (इसके बाद जिन्हें समर्थक कहा जाएगा) का समर्थन मिला है । साथ ही आवेदकों और समर्थकों के अलावा कई अन्य उत्पादक हैं ।

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार</u>

32. इच्छुक पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित बातें कही :

क. घरेलू उद्योग ने समग्र घरेलू उद्योग की पूरी तस्वीर नहीं दी है । यह तर्क दिया जाता है कि बाजार आसूचना, जिसके आधार पर घरेलू उद्योग ने याचिका में सूचना प्रस्तुत की है, अत्यधिक स्वेच्छाचारी और विषयगत मानदंड वाली है जो कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के तहत अपेक्षित ''सकारात्मक साक्ष्य'' की दहलीज पर खरी नहीं उतरती ।

ख. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा डब्ल्यू टी ओ करार के तहत घरेलू उद्योग में नहीं आते क्योंकि भारत में विषयगत उत्पादों के कई अन्य उत्पादक हैं जिनका काफी उत्पादन है जिसका याचिका में कोई उल्लेख नहीं है । इच्छुक पक्षकार रिलायंस को चीन जन.गण. से लोहा अथवा स्टील फास्नर संबंधी डीएस 397 —यूरोपियन समुदाय — परिभाषीय पाटनरोधी उपायों में डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय रिपोर्ट में रखते हैं, जिसमें समग्र रूप से ''घरेलू उद्योग'' उप वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है । अपीलीय निकाय ने यह माना कि :

''413. कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए कि इस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग ऐसे पूरे आंकड़े प्रदान करने में सक्षम है जो शुद्ध क्षति विश्लेषण सुनिश्चित कर सके ।

419. 'अनुच्छेद 4.1 के तहत ''बड़ा अनुपात'' शब्द का सही निर्वचन यह अपेक्षा रखता है कि इस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग उत्पादकों को वहां रखता है जिनका सामूहिक उत्पादन अपेक्षाकृत रूप से अधिक अनुपात में हो । जो कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाता हो । यह सुनिश्चित करता है कि क्षति निर्धारण घरेलू उत्पादकों के संबंध मे व्यापक सूचना पर आधारित है और उसे तोडा—मरोडा नहीं गया है ।

ग. विषयगत उत्पादों के लगभग सभी उत्पादक एसोसिएशन आईईईएमए के सदस्य हैं जो सभी विनिर्माताओं की सूची अपनी वेबसाइट पर देती है । आईईईएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची को देखने से ही यह बात सामने आती है कि याचिका में दी गई सूची में दर्शाए गए उत्पादकों की अपेक्षा विषयगत उत्पाद के कई और अधिक उत्पादक हैं । जिन कतिपय घरेलू उत्पादकों के नाम गायब हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. पावर एंड कंट्रोल ट्रांसफार्मस इंडिया प्रा. लि.

ii. रेचेम आरपीजी प्रा. लि.

घ. विषयगत उत्पादों के अन्य प्रमुख विनिर्माता निम्नलिखित हैं :–

i. राष्ट्रीय इलैक्ट्रिकल एंड इंजीनियरी कॉर्पोरेशन

ii. प्रणय एसोसिएट्स

iii. हिंदुस्तान कैमिकल्स

iv. जनरल पावर कंपनी प्रा. लि.

v. सतराज सिरेमिक्स

vi. प्राइम इंसुलेटर्स प्रा. लि.

vii. जयपुरिया ब्रदर्स इलैक्ट्रिकल्स प्रा. लि.

ड. उपर्युक्त उत्पादकों के पास प्रत्येक आवेदक की तुलना में पर्याप्त उत्पादन क्षमता है । उदाहरण के लिए मै0 बीकानेर सिरामिक्स प्रा. लि. के पास 9000 मी. ट. इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की उत्पादन क्षमता है परंतु इस तथ्य को याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं दर्शाया गया है।

च. घरेलू उद्योग का आधार उपर्युक्त सूचना के आलोक में जांचा जाना चाहिए और केवल तभी प्राधिकारी निर्धारित कर सकते हैं कि वे जांच जारी रखें या नहीं ।

छ. मै0 डब्ल्यूएसआई को ''घरेलू उद्योग'' के कार्य क्षेत्र से अलग किया जाए क्योंकि उन्होंने पीओआई के दौरान विषयगत उत्पाद का आयात किया । डब्ल्यूएसआई को विषयगत उत्पाद से संबंधित पिछली जांच में भी हटाया गया था । वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि यदि डब्ल्यू एस आई को नहीं हटाया गया तो विशाखापट्टनम में एसईजैड के तहत उनकी एक यूनिट से संबंधित उनका आंकड़ा जांच के कार्यक्षेत्र से हटाया जाना चाहिए । रिलायंस को डी जी सेफगार्डस के दिनांक 27 सितंबर, 2012 द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों में रखा गया है जिसमें डब्ल्यूएसआई की एसईजैड यूनिट हटा दी गई थी ।

ज. इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया जाता है कि मै0 सरवाना ग्लोबल एनर्जी लि0 और श्री जी पावर एंड इंसुलेटर्स प्रा0 लि0 इस याचिका का समर्थन नहीं करते जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है क्योंकि उनके प्राधिकार पत्र जिनमें उन्होंने समर्थन दर्शाया है, याचिका में नहीं दिए गए हैं ।

झ. बड़ा अनुपात पद का अभिप्राय सभी उत्पादकों को संगठित क्षेत्र में तथा लगभग सभी को असंगठित क्षेत्र में शामिल करने से है ।

ट. पीजीसीआईएल की कीमत बोलियों की समीक्षा यह दर्शाती है कि घरेलू उत्पादक एक दूसरे की कीमतों को काट रहे हैं और उसका प्रभाव आयात पर नहीं पड़ सकता । ऐसी स्थिति में प्राधिकारी अन्य उत्पादकों के आंकड़ों के बिना सार्थक जांच कैसे कर सकता है । इसे यह कहकर नहीं नकारा जा सकता कि अन्य उत्पादक याचिकाकर्ताओं से कम कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं फिर उन्हें क्षति सूचना प्रदान करने के लिए पहले स्थान पर होना चाहिए ।

ठ. ''बड़ा अनुपात'' शब्द का कोई भी निर्वचन होने का अभिप्राय एक बड़ा अनुपात से अधिक हो सकता है जो कि तर्कसंगत है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि वे वित्तीय सूचना प्रदान करने के लिए सभी उत्पादकों को निर्देश दें ।

ड डब्ल्यू एस आई द्वारा आयात की कोई गोपनीय समरी याचिका में नहीं दी गई है ।

ढ. डब्ल्यू एस आई को अपरिष्कृत आयातों तथा भारत में किए गए मूल्यवर्धन और भारत एवं विदेश में इन उत्पादों की बिक्री के संबंध में आंकड़े देने चाहिए ।

ण. जो घरेलू उत्पादक सूचना नहीं देते, उनका पाटनरोधी जांच में कोई आधार नहीं है ।

त. मै0 डब्लयू एस आई इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि0, जो घरेलू उद्योग का हिस्सा है, 9 अप्रैल, 2012 को उल्लिखित इसी उत्पाद के संबंध में पिछली जांच से सिद्ध विषयगत उत्पाद के आयातक हैं । इसी प्रकार का निष्कर्ष वर्तमान जांच के आरंभिक नोटिस में निकाला गया है परंतु प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) का उल्लंघन करते हुए वर्तमान जांच में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में डब्ल्यूएसआई के संबंध में विचार करने में गलती की ।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

33. घरेलू उद्योग ने आधार के मुद्दे पर निम्नलिखित बातें रखी हैं :

क. आवेदकों के उत्पादन में कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा अनुपात है और इसीलिए इस याचिका को घरेलू उद्योग की ओर से की गई याचिका माना जाए ।

ख. जो अन्य भारतीय उत्पादक आवेदन पत्र का हिस्सा नहीं हैं, उनका सामूहिक उत्पादन बहुत कम है । चूंकि उनके उत्पादन के संबंध में कोई प्रकाशित सूचना नहीं है, अतः आवेदकों ने आईईईएमए के पत्र पर विश्वास किया है ।

ग. डब्ल्यू एस आई को छोड़कर किसी भी आवेदक द्वारा जांच अवधि के दौरान चीन से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं हुआ । डब्ल्यूएसआई ने चीन जन.गण. से अपरिष्कृत उत्पाद का आयात किया और भारतीय बाजार में बेचने के लिए फिर उसका प्रसंस्करण किया।

घ. घरेलू उद्योग के क्षेत्र में डब्ल्यू एस आई को शामिल करने का विवेकाधिकार प्राधिकारी को है । यद्यपि, उसी उत्पाद के लिए पिछली जांचें शुरू करते समय इस मामले के संबंध में कुछ अनिश्चितता थी, तथापि, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय में दोनों ने यह स्पष्ट रूप मानते हुए आदेश जारी कर दिए हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियम 2(ख) के तहत पूरा विवेकाधिकार है ।

साथ ही निम्नलिखित कारणों से डब्ल्यू एस आई को पात्र घरेलू उद्योग माना जाए :

i. डब्ल्यू एस आई चीनी उत्पाद की बहत कम कीमत को देखते हुए विचाराधीन उत्पाद का अंतिम स्तर पर अपरिष्कृत वस्तुओं का आयात कर रहा था । और उच्च स्तर के उत्पाद किस्मों के उत्पादन तक सीमित रहा ।

ii. डब्ल्यू एस आई ने केवल व्यापारी के रूप में कार्य नहीं किया अपितु आयातित उत्पाद का महत्वपूर्ण प्रसंस्करण भी किया है जिसमें सभी वस्तुओं का 100 प्रतिशत निरीक्षण, ग्राहक अनुमोदित आरेख के अनुसार रिपैकिंग और कुछ मामलों में वस्तुओं में धातु की फिटिंग की असेम्बली भी शामिल है ।

iii. डब्ल्यू एस आई का व्यवहार अन्य प्रमुख भारतीय उत्पादकों की तुलना में भिन्न नहीं है । डब्ल्यू एस आई सहित सभी घरेलू उत्पादकों के विभिन्न आर्थिक कारकों की प्रवृत्तियां समान हैं । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि डब्ल्यू एस आई विषयगत देश से पाटन के कारण लाभ उठा रहा है ।

iv. डब्ल्यू एस आई का जोर अपने उत्पादन पर बना हुआ है न कि आयात पर । डब्ल्यू एस आई का उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है । डब्ल्यू एस आई की अधिकतर बिक्री उत्पादन से है ।

v. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए निर्यात पर लागू होगी । डब्ल्यू एस आई ने इस आपूर्तिकर्ता के लिए उसे हटाए जाने की मांग नहीं की है । एक बार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर डब्ल्यू एस आई द्वारा किया गया कोई भी आयात पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन होगा ।

vi. डब्ल्यू एस आई ने चीन से उत्पाद के आयात को पहले ही रोक दिया है ।

vii. आयातित उत्पाद डब्ल्यू एस आई द्वारा आगे प्रसंस्कृत किए जाने के बाद बाजार में काफी उच्चतर कीमत पर बेचा गया है । डब्ल्यू एस आई उत्पादों की पुनः बिक्री की कीमत से भारतीय उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई होती ।

ङ. अन्य किसी भी कंपनी को नियम 2 (ख) के अभिप्राय के अंतर्गत अपात्र समझा जाना चाहिए ।

च. डब्ल्यू एस आई को पात्र घरेलू उद्योग माना जाए या न माना जाए, आवेदकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का अधिकतम हिस्सा है ।

छ. डब्ल्यू एस आई द्वारा किए गए आयात से संबंधित सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है । इसमें व्यापार संबंधी संवेदनशील आंकड़े हैं जिनको प्रकटन करना कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

34. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में आदित्य बिड़ला, बीएचईएल, आईईसी, मॉर्डन और डब्ल्यू एस आई द्वारा आवेदन पत्र जारी किए गए हैं । साथ ही जांच आरंभ करने के बाद इंडियन इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक्स मैन्यु0 एसो0, श्रीजी पावर एंड इंसुलेटर्स प्रा0 लि0, बीकानेर सिरामिक्स प्रा0 लि0, ए0 के0 इंडिया सिरामिक्स प्रा0 लि0, बीकानेस पोर्सलेन प्रा0 लि0, एलाइड सिरामिक्स प्रा0 लि0, तरूणा डिपोंग प्रा0 लि0, प्राइम इंसुलेटर्स सरवाना ग्लोबल एनर्जी लि0, जयपुरिया ब्रदर्स, जनरल पावर कंपनी प्रा0 लि0, हिंदुस्तान कैमिकल्स, राष्ट्रीय इलैक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कार्पो0, (इसके बाद जिन्हें ''समर्थक'' कहा जाएगा) द्वारा आवेदक का समर्थन किया गया है । साथ ही आवेदकों और समर्थकों के अलावा, कई अन्य उत्पादक भी हैं ।

35. प्राधिकारी मानते हैं कि किसी भी आवेदक को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डब्ल्यूएस इडस्ट्रीज को छोड़कर उनमें से किसी ने भी जांच की अवधि में विषयगत देश से विषयगत सामान का आयात नहीं किया है और न ही वे विषयगत सामान के किसी निर्यातक या आयातक से संबंध रखते हैं । यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यू एस आई ने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है ।

36. जहां तक डब्ल्यू एस आई का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि डब्ल्यू एस आई को निम्नलिखित कारणों से पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाए –

क. कंपनी का ध्यान उत्पादन पर बना हुआ है । डब्ल्यू एस आई मुख्य रूप से विषयगत सामानों का व्यापारी नहीं है ।

ख. डब्ल्यू एस आई भी पाटन के प्रभावों से पीड़ित रहा है ।

ग. कंपनी ने हाल की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात धीरे–धीरे कम किया है । साथ ही, फरवरी, 2013 में आयातों की बहुत कम मात्रा को छोड़कर अक्टूबर, 2012 के बाद विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है ।

	आयात मात्रा (मी.ट.)
2009-10	***
2010-11	***
2011-12	***
अप्रैल-12	***
मई-12	***
जून-12	***
जुलाई-12	***
अगस्त-12	***
सितंबर-12	***
अक्टूबर-12	***
नवंबर -12	***
दिसंबर-12	***
जनवरी-13	***

फरवरी-13	***
मार्च -13	***
कुल	***

घ. कंपनी ने उल्लेख किया है कि भविष्य में सामग्री का आयात करने की कोई योजना नहीं है । कंपनी ने इस संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया है कि वह भविष्य में इस उत्पाद का आयात नहीं करेगी।

ड. डब्ल्यू एस आई द्वारा किए गए आयात में पीओआई के दौरान भारत में उत्पाद का उपयोग शामिल है ।

37. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में प्राधिकारी को कतिपय स्थितियों में पर्याप्त एवं उचित आधारों पर घरेलू उत्पादक को शामिल करने या निकालने के विवेकाधिकार का प्रावधान है । उपर्युक्त के आलोक में और मामले के तथ्यों की दृष्टि से प्राधिकारी सभी याचिकाकर्ता कंपनियों को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानना उचित समझते हैं ।

iii. मशीनरी तथा इलैक्ट्रोनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए वाणिज्य मंडल (''सीसीसीएमई'') ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद के 9 अन्य भारतीय उत्पादक हैं जिनकी याचिकाकर्ताओं ने पहचान नहीं की है । इच्छुक पक्षकारों ने अन्य भारतीय उत्पादकों के नामों के लिए आईईईएमई की वैबसाइट पर विश्वास किया है । प्राधिकारी ने भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से भारतीय उत्पादकों और उनके उत्पादन आंकड़ों के संबंध में सूचना मांगी । विभाग ने इसके बदले अन्य भारतीय उत्पादकों के नाम और उत्पादन के लिए आईईईएमए की सूचना प्रदान की । अतः आईईईएमए द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करना उचित पाया गया । आईईईएमए ने घरेलू उद्योग के आधार की जांच के लिए सतराज कैमिकल्स को छोड़कर विरोधी इच्छुक पक्षकारों द्वारा उल्लिखित कंपनियों के ब्यौरे उनके उत्पादन, बिक्री आदि सहित प्रदान किए । आईईईएमए ने अन्य उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में इच्छुक पक्षकारों के विरोध में अपना उत्तर दिया और यह उल्लेख किया कि इन उत्पादकों के उत्पादन बहुत कम हैं । पावर एंड कंट्रोल ट्रांसफार्मर इंडिया प्रा0 लि0 तथा रेचम आरपीजी प्रा0. लि0 के संबंध में आईईईएमए ने स्पष्ट किया है कि वे इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के उत्पादक नहीं हैं ।

38. प्राधिकारी आईईईएमए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई लघु उत्पादक हैं । तथापि, इन उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन बहुत कम है । आवेदकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है तथा आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात है ।

39. जहां तक डब्ल्यूएसआई द्वारा किए गए आयात की मात्रा प्रकटन करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ऐसी सूचना गोपनीय आधार पर दी जाती है तथा इसकी जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की जाती है । संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया और यह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों को नहीं बताई गई है ।

40. यह तर्क दिया गया है कि डब्ल्यू एस आई की एसईजैड इकाई को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में न माना जाए । यह नोट किया जाता है कि यह मानना किसी वास्तविक एवं कानूनी आधार के बिना है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेश व्यापार नीति में यह प्रावधान है कि यद्यपि, एसईजैड यूनिटें सीमाशुल्क टैरिफ क्षेत्र से बाहर विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्र हैं, अतः वे भारत के राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं । एसईजैड अधिनियम और एसईजैड नियमावली डीटीए में अपने उत्पाद बेचने के लिए एसईजैड यूनिटों को अनुमति देती है । नियम 2 (ख) में यह प्रावधान है कि एसईजैड यूनिट को घरेलू उत्पादक/घरेलू उद्योग के भाग के रूप में न माना जाए । घरेलू बाजार में बेचा गया एसईजैड यूनिट का उत्पादन डीटीए के उत्पादों तथा आयातित सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है । डब्ल्यू एस युनिवर्सिटी का वैजाग स्थित एसईजैड संयंत्र पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है और घरेलू उद्योग तथा आधार के प्रयोजन से घरेलू बिक्री तथा संबंधित क्षति मानदंडों पर विचार किया गया है ।

41. उपर्युक्त के आलोक में तथा उचित जांच के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । आवेदक नियमावली के अधीन आधार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । साथ ही, आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग में आते हैं ।

<u>अन्य मुद्दे</u>

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार</u>

42. इच्छुक पक्षकारों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

क. एक प्रतिनिधि देश के रूप में कनाडा में सामान्य मूल्य गलत है क्योंकि कनाडा एक विकसित देश होने के नाते चीन की तरह विकास के उसी स्तर पर नहीं है । इसके अतिरिक्त, निर्मित सामान्य मूल्य गलत है क्योंकि यू एन कॉमरेड की वैबसाइट विषयगत उत्पाद के लिए 2670 अम.डा. पर प्रति मी. ट. की निर्यात कीमत दर्शाती है जबकि याचिका में निर्मित सामान्य मूल्य कनाडा से निर्यात की कीमत याचिका के पृष्ठ 158 पर 3643 प्रति मी0ट0 की दर पर है। निर्मित सामान्य मूल्य में भारी अतिश्योक्ति है । जिसे प्राधिकारी स्वीकार नहीं कर सकते । साथ ही निर्मित सामान्य मूल्य कुछ क्रय आदेशों, बीजकों पर आधारित है जिस पर प्राधिकारी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पर्याप्तता और शुद्धता परीक्षण नहीं है । (रिलायंस को मैक्सिको से पोर्टलैंड सीमेंट के संबंध में डी एस 60 ग्वाटेमाला–पाटनरोधी जांच में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में रखा गया है) ।

ख. हटाए गए उत्पादों के आंकड़े अपूर्ण हैं क्योंकि ये पीओआई के अनुकूल भी नहीं हैं । अतः ऐसे अपूर्ण आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यू एन कॉमरेड डाटा यह दर्शाता है कि ग्लास इंसुलेटर्स का भारत से पुनः निर्यात किया जा रहा है जबकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घरेलू उद्योग उसका विनिर्माण नहीं करता । यह याचना की जाती है कि चीन से आयात और भारत के बाजार आकार को ऐसे आयातित सामानों के पुनः निर्यात के लिए समायाजन करने के बाद ही निर्धारित किया जाए ।

ग. याचिका में इसके समर्थन में कोई व्यवस्था नहीं है कि 3 प्रतिशत कमीशन, 0.5 प्रतिशत पत्तन व्यय, 1 प्रतिशत अंतरदेशीय भाड़ा, 0.5 प्रतिशत बैंक प्रभार, भाड़े के निमित्त 50 अमरीकी डॉलर प्रति टन तथा बीमा के निमित्त 5 प्रतिशत के रूप में कतिपय मूल्यों के समायोजन के बाद निर्यात कीमत और कुल भारित कीमत कैसे लगाई गई । ये मूल्य किसी साक्ष्य के बिना स्वेच्छाचारी रूप से लगाए गए हैं । ऐसे मूल्यों पर

विश्वास नहीं किया जा सकता और प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं को निदेश दे सकते हैं कि वे इसका आधार बताएं कि इन मूल्यों का किस आधार पर प्रयोग किया गया है ।

घ. 1.27 का परिवर्तन कारक अवैज्ञानिक है और याचिकाकर्ताओं ने इसे ग्लास इंसुलेटरों की निर्यात कीमत को विकृत करने हेतु मनमाने ढंग से प्रयोग किया है जिससे एफओबी कीमत में कमी (याचिका का पृष्ठ 161 और 162) आ गई है । ऐसा परिवर्तन कारक लागू करने के बाद ग्लास इंसुलेटरों की निर्यात कीमत काफी अधिक घटकर 1039 अम.डा. से 1319 अम.डा. हो गई है । परिवर्तन कारक लागू किए जाने के परिणामस्वरूप (याचिका का पृष्ठ 174 और 176) कीमत कटौती वर्ष 2011–12 में बढ़कर 20 से 40 प्रतिशत और जांच अवधि में वर्ष 2011–12 में 0–20 प्रतिशत से बढ़कर 30–50 प्रतिशत और जांच अवधि में 20–40 प्रतिशत हो गई है ।

ड. याचिकाकर्ताओं ने याचिका के खंड 1 के पृष्ठ 15 पर दिए गए प्रश्न 9 में आयातकों को उपयोक्ताओं के साथ बराबर रखा है । उल्लिखित नाम वास्तविक प्रयोक्ता नहीं हैं । संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ता राज्य सरकार के निगम/कंपनियां हैं जो विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने और विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कार्य करती हैं ।

च. आंकड़ों में विसंगति है क्योंकि याचिकाकर्ता ने आयात के आंकड़ों के लिए चीन के सीमाशुल्क पर भरोसा किया है और अपवर्जिन उत्पादों के लिए उसने डीजीसीआईएंड एस पर भरोसा किया है । यह तथ्य न्यायोचित नहीं है कि इस आंकड़े पर रक्षोपाय संबंधी जांच परिणामों में भरोसा किय गया था और इससे भी अधिक तथ्य यह है कि प्रयुक्त आंकड़े जांच अवधि के आंकड़े नहीं थे ।

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

43. अन्य मुद्दों पर आवेदकों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :–

क. विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आयात के आंकड़े निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं :

i. चीन से आयातों के बारे में सूचना चीन के सीमाशुल्क से प्राप्त की गई है ।

ii. अन्य देशों से हुए आयातों के लिए डीजीसीआईएंड एस के प्रकाशित आंकड़े स्वीकार किए गए हैं ।

iii. अपवर्जित उत्पादों के लिए डीजीसीआईएंड एस के सौदेवार आंकड़े स्वीकार किए गए हैं ।

ख. चीन से हुए आयातों के लिए डीजीसीआईएंड एस के आंकड़े निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किए गए है :

i. आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण हेतु उपलब्ध विकल्प हैं : (i) भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़े, (ii) चीन के सीमाशुल्क के आंकड़े, (iii) उपभोक्तावार आयात के आंकड़े । विचाराधीन उत्पाद के आयात 2 श्रेणियों में होते हैं– (i) अध्याय 98 के अंतर्गत परियोजना आयात और (ii) अध्याय 85, शीर्ष 8546 के अंतर्गत परियोजना श्रेणी से इतर ।

ii. विचाराधीन उत्पाद के सभी आयात आर्डरों पर किए जाते हैं । इनमें से कुछ इंसुलेटरों का निर्माण उपभोक्ताओं की विशिष्ट डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार किया जाता है । अतः इन उत्पादों का कोई मानक भार नहीं होता है । इसके अलावा, चीन के उत्पादकों ने भारत में ग्राहकों की विशिष्ट जरूरतों पर वस्तु का उत्पादन किया है और उसकी आपूर्ति की है, चीन से वस्तु का निर्यात भारत में आकस्मिक खपत के लिए किया गया है । तीसरे देशों में आकस्मिक खपत हेतु चीन से भारत को वस्तु का निर्यात नहीं किया गया होगा । इसके अलावा, भारत से हुए निर्यातों से संबंधित सौदेवार आंकड़ों से स्पष्टतः इस बात की पुष्टि होती है कि भारत से निर्यात ग्लास इंसुलेटरों के नहीं हुए हैं । मात्र यह तथ्य कि यू एन कॉमट्रेड के आंकड़ों से सीमाशुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत निर्यातों का पता चलता है, इस अभिप्राय का द्योतक नहीं है कि भारत से ग्लास इंसुलेटरों का निर्यात किया गया है ।

iii. गौण स्रोतों द्वारा प्रदत्त सूचना इस कारण से अपर्याप्त है कि उसमें मुन्द्रा पत्तन जैसे विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों पर सूचित आयात के आंकड़े निहित नहीं हैं । मुन्द्रा पत्तन पर विचाराधीन उत्पाद की भारी मात्रा सूचित की गई है ।

iv. चूंकि यह जांच चीन से हुए आयातों के बारे में है, इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं है कि चीन सरकार के आंकड़े अविश्वसनीय क्यों होने चाहिए ।

v. प्राधिकारी ने विगत में कई जांचों में निर्यातक देश के व्यापार आंकड़ों को स्वीकार किया है ।

vi. इसी उत्पाद से संबंधित रक्षोपाय जांच में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों को स्वीकार किया है । इसके अलावा, महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों को रक्षोपाय बोर्ड और वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था ।

vii. जहां तक अपर्याप्त सूचना के तर्क का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने याचिका के अनुबंध 2.3 में घरेलू उद्योग के प्रत्येक घटक द्वारा उत्पादित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की उत्पाद रेंज और उनके विर्निदेशन मुहैया कराए हैं ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

44. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन में उसके द्वारा प्रदत्त अपर्याप्त सूचना के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदन में जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ समस्त संगत सूचना निहित थी । प्राधिकारी ने इस बात की संतुष्टि के उपरांत कि जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय लिया । इसके अलावा, जांच की शुरूआत के बाद आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई है और आवेदक ने वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उसे उपलब्ध कराया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसे–जैसे जांच आगे बढ़ती है, साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होता रहता है ।

45. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण उनके आंकड़ों के आधार पर किया गया है और जहां तक पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और संस्तुत किए जाने के लिए प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का संबंध है, ये प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना और साक्ष्य पर आधारित हैं । प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों को स्वीकार किया है ।

46. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के लिए आयात की मात्रा और कीमत में प्रवृत्तियों पर विचार करना अपेक्षित होता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयतों की मात्रा और कीमत का निर्धारण करने के लिए प्रतिवादी निर्यातकों ने वर्तमान जांच अवधि हेतु सूचना प्रदान नहीं की है और इसलिए क्षति विश्लेषण चीन के प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का प्रयोग करते हुए किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है ।

47. प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों को स्वीकार करना उचित है । सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत माप की निर्धारित इकाई भार है । तथापि, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आयातों की सूचना माप की कई अन्य इकाइयों अर्थात किग्रा., एलओटी, मी.ट., एन ओ, नग, सैट आदि में दी गई है । उत्पाद के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारतीय सीमाशुल्क के आंकड़ों से आयातों की मात्रा का स्पष्ट निर्धारण करना कठिन होगा जबकि आयात के इन सौदों में माप की इकाई भार नहीं है । यद्यपि, उत्पाद की आकस्मिक खपत संख्या में की जाती है, तथापि, संख्याओं के आधार पर आयात की मात्रा और कीमत का निर्धारण संख्याओं के अनुसार आकलन किए जाने पर उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की लागत और कीमत में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए अत्यंत भ्रामक होगा । अतः प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ माप की इकाई के रूप में उत्पाद के भार पर विचार किया है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित इकाई भी है । यह भी नोट किया जाता है कि जिन मामलों में इंसुलेटरों का निर्माण ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है, कोई मानक भार नहीं होता है और यदि आयात भार के आधार पर सूचित नहीं किए गए हैं, उन मामलों में उन खेपों के भार का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता, चीन के सीमाशुल्क के मामले में यह नोट किया जाता है कि चीन के सीमाशुल्क में माप की निर्धारित इकाई भी भार है और चीन से हुए निर्यातों की सूचना चीन के सीमाशुल्क में केवल भार के आधार पर प्रदान की गई है । पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयातों की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण करने के लिए चीन के सीमाशुल्क को स्वीकार करना उचित होगा ।

48. इसके अलावा, चूंकि यह जांच संबद्ध देश के रूप में चीन से संबंधित है, इसलिए चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों को स्वीकार करना उचित नहीं होगा । यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद का उत्पादन मुख्यतः विशिष्ट आर्डरों पर किया जाता है और इसलिए भारत को निर्यात हेतु बीजकबद्ध वस्तु भारत में खपत के लिए नियत थी ।

49. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारती सीमाशुल्क आंकड़ों से ग्लास इंसुलेटरों की श्रेणी के अंतर्गत निर्यातों का पता चलता है । तथापि, चूंकि भारत में ग्लास इंसुलेटरों का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसका आशय भारत में आयातित वस्तु के पुनः निर्यात से है । याचिकाकर्ताओं ने भारतीय सीमाशुल्क (आईबीआईएस) के अनुसार सौदेवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जिनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि इन निर्यातों में उत्पाद विवरण से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि ये निर्यात ग्लास इंसुलेटरों के हुए थे ।

50. जहां तक अपवर्जित मदों का संबंध है, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :–

क. किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने किसी अपवर्जित मद का निर्यात नहीं किया है ।

ख. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि अपवर्जित मदों के आयात की मात्रा काफी कम रही है ।

क. चूंकि चीन का सीमाशुल्क उत्पाद का पूर्ण विवरण निर्दिष्ट नहीं करता है और उसमें संगत एच एस कोड में उल्लिखित विवरण ही होता है, इसलिए अपवर्जित मद के अभिज्ञान हेतु चीन के सीमाशुल्क के विस्तृत आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

ख. डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों में आयातित उत्पाद का विस्तृत विवरण निहित होता है और डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों में अपवर्जित मदों के आयातों की पहचान करना संभव है ।

ग. प्रतिवादी पक्षकारों ने चीन से भारत को हुए अपवर्जित उत्पादों के निर्यात के बारे में कोई उचित अथवा पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

51. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि अपवर्जित मदों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों को स्वीकार करना उचित रहेगा ।

52. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच करने के बाद अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन से हुए आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने हेतु चीन सीमाशुल्क तथा अपवर्जित उत्पादों के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विचार करना उचित होगा । यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने में महानिदेशक (रक्षोपाय) ने भी यही कार्यप्रणाली अपनाई थी ।

53. जहां तक कनाडा पर उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कनाडा को उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है ।

54. जहां तक याचिका में निवल कारखाना निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह याचिका सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित है । प्राधिकारी ने अब प्रत्येक मामले में निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तरों को स्वीकार किया है।

55. जहां तक ग्लास इंसुलेटरों के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु याचिका में परिवर्तन कारक को अपनाने का संबंध है, प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस संबंध में आगे की जांच लंबित रहने तक परिवर्तन का कोई कारक लागू नहीं किया है ।

56. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रयोक्ताओं को आयातकों के बराबर रखा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि चीन से अधिकांश आयात पावर ग्रिड कार्पोरेशन, जो आयातक और उपभोक्ता दोनों हैं, द्वारा किया जाता है । बहरहाल प्राधिकारी ने एक अधिसूचना जारी की है जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया है । भारत में उत्पाद के उपभोक्ताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे वर्तमान कार्रवाई से वाकिफ हैं ।

57. जहां तक आयातों की मात्रा और उनकी कीमत के निर्धारण हेतु सूचना के अलग स्रोत को अपनाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते है। कि याचिकाकर्ताओं ने इस बारे में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना प्रदान की है । कोई भी हितबद्ध पक्षकार सूचना का ऐसा कोई अन्य स्रोत प्रदान करने या उसका संकेत करने में समर्थ नहीं हुआ है जिसे इस प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जा सके ।

घ. पाटन मार्जिन

1. सामान्य मूल्य :

58. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रियामें समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:—

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

<u>निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

59. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

60. सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

क. प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती मामलों में और दूसरे देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए । सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

ख. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि निम्नलिखित प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं किया जाता है :

i. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाला/नियंत्रित कंपनी है।

ii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं होता है ।

iii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है ।

iv. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि

v. बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की पुष्टि करने हेतु सिद्ध करने का भार/दायित्व चीन के प्रतिवादी निर्यातकों पर है न कि निर्दिष्ट प्राधिकारी
पर ।

vi. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसका समग्र समूह यह दावा न करे ।

vii. ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों में स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं परंतु उन्हें किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त किया है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए रूपांतरण की प्रक्रियापूर्णतः स्थापित नहीं हो जाती है ।

ग. उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख निविष्टियां धातु के कलपुर्जे और प्राकृतिक गैस, एलपीजी के रूप में ईंधन अथवा मिट्टी तेल, भट्टी तेल आदि जैसे तरल ईंधन है। चीन में इस्पात की कीमतों में बाजार मूल्य का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं होता है । चीन की इस्पात कंपनियां सरकारी सब्सिडी से अत्यधिक लाभान्वित होती हैं । जहां तक ईंधन का संबंध है, इसकी कीमतों में चीन में बाजार मूल्य का प्रदर्शन नहीं होता है ।

घ. विशिष्ट उद्योग से संबंधित कच्ची सामग्री हेतु सब्सिडी के अलावा, समस्त औद्योगिक राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) ने ऊर्जा सब्सिडी प्राप्त की । सरकार के हस्तक्षेप द्वारा आई विकृतियों से अधिक क्षमता का सृजन हुआ है ।

ड. आवेदकों ने संबद्ध वस्तु की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर पोर्सीलेन/सिरेमिक इंसुलेटर का सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

च. आवेदकों ने पोर्सीलेन/सिरेमिक तथा ग्लास इंसुलेटरों के लिए पृथक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया ।

छ. आवेदकों ने ग्लास इंसुलेटरों के लिए सामान्य मूल्य तीन अलग—अलग तरीकों से निर्धारित किया :

i. बजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश (कनाडा) में प्रचलित कीमतें

ii. ग्लास इंसुलेटरों की लागत हेतु आवेदकों द्वारा प्राप्त लागत के सर्वोत्तम अनुमान ।

iii. भार में अंतर हेतु विधिवत समायोजित पोर्सीलेन इंसुलेटरों के सामान्य मूल्य के आधार पर

ज. आवेदकों ने आयात आंकड़ों के आधार पर भारित औसत आयात कीमत निर्धारित की । निर्यात कीमतों में कमीशन, पत्तन व्यय, अंतदेशीय भाड़े और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए वैब अनुसंधान से यह पता चलता है कि जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 और सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 की सभी संबद्ध कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया परंतु उन्होंने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है ।

ट. यह सिद्ध करने के लिए निर्यातक ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि प्राप्त निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्य का पर्याप्त प्रदर्शन होता है ।

ठ. जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 और सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में अंतराल प्रश्नावली के उत्तर में प्रमुख दोषों के रूप में है और निर्यातक ने सावधानीपूर्वक संगत सूचना प्रदान न करने का निर्णय लिया है । इस

प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नावली के उत्तरों में इन दोषों को इंगित करने के लिए बाध्य नहीं हैं । प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर करने के लिए कमियों को स्पष्ट करने अथवा उनमें सुधार करने के अवसरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

ड शंघाई सेविस ग्लास कंपनी लि0 ग्लास सैलों का निर्माण करती है और जिगोंग सफाम कास्ट आयरन कं0 लि0 द्वारा जिगोंग सेडीवर एवं सेडीवर शंघाई के लिए इनसुलेटरों के कैप तैयार किए जाते हैं । ग्लास इंसुलेटर के शामिल उत्पादन की मूल प्रक्रियाग्लास सैलों के निर्माण में निहित है । वस्तुतः ग्लास सैलों का निर्माण किए जाने के बाद जो एकमात्र उत्पादन प्रक्रियाबचती है, वह है धातु के पुर्जों को लगाना, जो एक स्क्रू ड्राइवर प्रौद्योगिकी है । उत्पादन की मूलभूत प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं उपकरण, विनिर्माण प्रक्रियाऔर निवेश ग्लास सैलों के निर्माण में होता है । ग्लास सैलों के चरण तक की लागत में ग्लास इंसुलेटर की अधिकांश उत्पादन लागत आ जाती है । इस प्रकार के विनिर्माण कार्यकलाप शंघाई सेविस ग्लास कंपनी लि0 द्वारा किए जाते हैं । इस प्रकार मूलभूत विनिर्माण कार्यकलाप ऐसी एक कंपनी द्वारा किए जाते हैं जो प्राधिकारी के समक्ष नहीं हैं । ग्लास सैलों और ग्लास इंसुलेटरों के लिए कैपों का निर्माण करने वाली इन कंपनियों से प्रश्नावली के उत्तरों के अभाव में प्राधिकारी के लिए ग्लास इंसुलेटरों के उत्पादन और बिक्री में शामिल उत्पादन एवं उत्पादन लागत का सत्यापन करना संभव नहीं होगा । अतः प्रश्नावली का उत्तर सर्वथा अपूर्ण है और सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपर्याप्त है । याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जहां तक सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है, यह एकमात्र तथ्य समूची प्रक्रियाको रद्द करने के लिए पर्याप्त है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

61. प्राधिकारी ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रदान करने की सलाह देते हुए संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी । निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए है :

i. ननजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कंपनी लि0
ii. जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0
iii. सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कंपनी लि0
iv. डेलियन इंसुलेटर ग्रुप कंपनी लि0
v. लिलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टैक्नोलॉजी कंपनी लि0
vi. लिलिंग हुआचैंग इंसुलेटर्स कंपनी लि0
vii. सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कंपनी लि0
viii. चेंगडू ग्लोबल स्पेशन–ग्लास मैन्यु कंपनी लि0
ix. सेडीवर एसए (फ्रांस)

62. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अलावा संबद्ध देश की निम्नलिखित कंपनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं ।

i. जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0
ii. सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कंपनी लि0

<u>बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच</u>

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (2) के अनुसार चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो उपर्युक्त नियमों के अनुसार निर्यातक देश द्वारा अथवा अलग–अलग निर्यातकों द्वारा उपर्युक्त अनुमान के खंडन के अधीन है ।

64. यथा–संशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैरा–8, अनुबंध–1 के अनुसार गैर–बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है । चीन0 जन0 गण0 से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :–

क. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन.जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

ख. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकरर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय–व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर–बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

ग. इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

घ. विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. की जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 और सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरूआत संबंधी सूचना के बाद बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित प्रश्नावली और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है तथा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया है । संबद्ध वस्तु के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्रतिवादी उत्पादकों तथा निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों तथा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उत्तरों की जांच की गई थी ।

66. प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर और निर्यातक प्रश्नावली की विभिन्न परिशिष्टों के संबंध में भी सहयोगी निर्यातक जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 के अनुरोधों की जांच की है । उत्तरों की जांच करने के बाद प्राधिकारी

ने यह पाया है कि जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 की स्थापना चीन के कानूनों के अंतर्गत वर्ष 1993 में की गई थी । यह एक संयुक्त उद्यम सीमित दायित्व वाली कंपनी है । कंपनी के 98 प्रतिशत शेयर सेविस एसपीए के स्वामित्व में हैं और कंपनी के 2 प्रतिशत शेयर जिगोंग चुआन शेंग इलक्ट्रिका पोर्सिलेन इंसुलेटर कंपनी के स्वामित्व में हैं । कंपनी का प्रमुख शेयरधारक सेविस एसपीए द्वारा चीन में कई कंपनियों पर नियंत्रण/स्वामित्व रखा जाता है जो संबद्ध पण्य वस्तु का उत्पादन/निर्यात करती हैं । तथापि, चीन जन.गण. से संबद्ध उत्पाद के इन उत्पादकों में वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है । यद्यपि, यह दावा किया जाता है कि इन कंपनियों ने जांच अवधि के दौरान भारत को इंसुलेटरों का निर्यात नहीं किया था ।

67. चूंकि एमईटी मानदंड का अनुरोध और उसकी पूर्ति एक ही समूह की सभी कंपनियों के लिए की जानी चाहिए, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि एमईटी का दावा पूर्ण है। इसके अलावा सेविस ग्रुप मैन्युफैक्चर्स पोर्सिलेन इंसुलेटर्स की एक कंपनी पीपीसी वूक्सी इंसुलेटर कं0 लि0 ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है । जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 की ग्लास इंसुलेटरों की घरेलू बिक्री के आधार पर उसके सामान्य मूल्य का निर्धारण पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि संबंधित पक्षकार पीपीसी वूग्सी इंसुलेटर कं0 लि0 जो कि चीन में पोर्सीलेन इंसुलेटरों की एक उत्पादक है, द्वारा भी पोर्सिलेन की घरेलू बिक्री की जाती होगी और इसलिए उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के दावे को तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में शामिल सभी कंपनियां प्रश्नावली के उत्तर के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं । घरेलू उद्योग ने भी सेलीवर की वैबसाइट से यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि कुछ संबद्ध कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित निविष्टियों का उत्पादन किया जा रहा है और इस कंपनी समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है । कंपनी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह संबंधित कंपनियों से निविष्टि की खरीद कर रही है परंतु वह प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है क्योंकि उसने उत्तर दायर नहीं किया है ।

68. इसके अलावा, उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख निविष्टि अर्थात धातु एवं ईंधन के संदर्भ में निर्यातक ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि इन निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है ।

69. यह भी नोट किया जाता है कि चीन में ग्लास एवं पार्सिलेन इंसुलेटरों के ऐसे अन्य निर्यातक हैं जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है । ऐसी स्थिति में जहां चीन में विचाराधीन उत्पाद के अन्य प्रमुख उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का ही दावा नहीं किया है, इस बात की पुष्टि अपक्षित है कि चीन में निर्यातक की लागत और कीमत से बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का उसका दावा न्यायोचित ठहरता है ।

70. अतः घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के दावे की आगे जांच तथा सूचना के सत्यापन तथा बाजार अर्थव्यवस्था के दावों और अलग–अलग व्यवहार के दावों के बारे में चीन जन.गण. के निर्यातक एवं उत्पादक द्वारा किए गए दावों के सत्यापन के लंबित रहने तक प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने इस चरण पर उक्त कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया है और उन्होंने नियमावली के अनुबंध–1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु परिकलित सामान्य मूल्य को अनंतिम रूप से स्वीकार किया है ।

71. यह भी नोट किया जाता है कि सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कंपनी लि0 ने भी बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दिया है । सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कंपनी लि0 ('कंपनी') की स्थापना चीन के कानूनों के अंतर्गत वर्ष 2007 में की गई थी । यह 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्वाधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी है । कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं किया है । यह 162338 मिनले रोड, स्पार्क जोन, शंघाई, चीन–201319 पर पंजीकृत है । कंपनी सेविस एसपीए के 100 प्रतिशत स्वामित्व में है । सेविस एसपीए की चीन में संबंधित कंपनियां हैं जो संबद्ध पण्य वस्तु की बिक्री से जुड़ी हुई हैं । घरेलू उद्योग ने सेलीवर की वैबसाइट से साक्ष्य भी उपलब्ध कराया है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि कुछ संबद्ध कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित निविष्टियों का उत्पाद कर रही हैं और इस कंपनी समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है । कंपनी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह संबंधित कंपनियों से निविष्टि प्राप्त कर रही है परंतु ये प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर दायर नहीं किया है । पूर्व में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान जांच परिणाम हेतु बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कंपनी को प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि जिगोंग सेडीवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कंपनी लि0 तथा सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 का स्वामित्व सेविस एसपीए के पास है और इस प्रकार ये संबंधित कंपनियां हैं ।

72. सेडीवर एस ए फ्रांस ने सेडीवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है और उसने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है ।

क. लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टैक्नोलॉजी कं0, लि0 तथा लिलिंग हुआचेंग इंसुलेटर कं0, लि0

73. इस प्रश्नावली का उत्तर लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टैक्नोलॉजी कं0, लि0 (''लीलिंग हुआक्सिन अथवा ''कंपनी'') और उसकी सहायक कंपनी लिलिंग हुआचेंग इंसुलेटर कं0, लि0 (''लीलिंग हुआचेंग'') द्वारा प्रदान किया गया है । लिलिंग हुआक्सिन संबद्ध पण्य वस्तु की एक निर्यातक उत्पादक है जो उत्पादन, घरेलू बिक्री और भारत तथा अन्य तीसरे देशों को निर्यात बिक्री का कार्य करती है । इसकी सहायक कंपनी लिलिंग हुआचेंग संबद्ध पण्य वस्तु की एक उत्पादक है जो केवल घरेलू बिक्री करती है । कंपनी और उसकी संबद्ध कंपनी लिलिंग हुआचेंग ने इस जांच में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के लिए आवेदन नहीं किया है । दोनों कंपनियों ने एक समेकित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है । कंपनी ने यह दावा किया है कि जहां तक उसकी जानकारी है, चीन और अन्य देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री में संलग्न कोई अन्य संबद्ध कंपनी नहीं है । इसके अलावा, उन्होंने दावा किया है कि कंपनी को संबद्ध उत्पाद के लिए सरकार द्वारा किसी भी रूप में ऐसा कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है । हुआचेंग के पास उत्पाद विवरिणका नहीं है और हुआक्सिन के साथ ऐसे ही उत्पाद कोड की हिस्सेदारी नहीं है । कंपनी ने दावा किया है कि घरेलू बाजार में सौदेबाजी और बिक्री प्रक्रिया तथा भारत को निर्यात की प्रक्रिया आम तौर पर समान है । कंपनी दोनों बाजारों में बिक्री हेतु ऐसी कीमत सूचियां जारी नहीं करती है । बिक्री पर बातचीत सौदा आधार पर की जाती है ।

ख. सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कंपनी तथा चेंगडू ग्लोबल स्पेशल ग्लास मैन्युफैक्चिंग कं0, लि0

74. इस प्रश्नावली का उत्तर सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कंपनी लि0 (''यीबिन ग्लोबल'' अथवा ''कंपनी'') और उसकी सहायक कंपनी चेंगडू ग्लोबल स्पेशल–ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कं0, लि0 (''चेंगडू ग्लोबल'') द्वारा प्रदान किया गया है । यीबिन ग्लोबल संबद्ध वस्तु की एक निर्यातक

है जो भारत और अन्य तीसरे देशों, दोनों के लिए घरेलू और निर्यात बिक्रियां करती है । इसकी सहायक कंपनी चेंगडू ग्लोबल संबद्ध वस्तु की एक उत्पादक है । चेंगडू ग्लोबल द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों की सर्वप्रथम बिक्री यीबिन ग्लोबल का की जाती है और उसकी आगे बिक्री यीबिन ग्लोबल द्वारा सभी बाजारों में की जाती है । इस कंपनी और इसकी सहायक कंपनी चेंगडू ग्लोबल ने इस जांच में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार हेतु आवेदन नहीं किया है । दोनों कंपनियों ने एक समेकित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है । पेपर कंपनी के रूप में तियानवो ट्रेडिंग कंपनी लि0 द्वारा चेंगडू ग्लोबल और यीबिन ग्लोबल के बीच संबद्ध वस्तु की बिक्री की जाती है । कोई वास्तविक बिक्री तथा उत्पादन कार्यकलाप नहीं किया जाता है और ऐसा केवल लेखा के प्रयोजन हेतु किया जाता है । कंपनी ने दावा किया है कि जहां तक उसकी जानकारी है, ऐसी कोई अन्य संबंधित कंपनी नहीं है जो चीन और अन्य देशों, दोनों के लिए संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर उसकी बिक्री करती है । इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि उसे सरकार द्वारा संबंधित उत्पाद के लिए किसी भी रूप में ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और सभी देशों में कोई अन्य सहायक कंपनी अथवा अन्य संबद्ध कंपनी संबद्ध उत्पाद के उत्पादन, बिक्री अथवा कच्ची सामग्री की आपूर्ति में शामिल नहीं है । कंपनी ने दावा किया है कि घरेलू बाजार में और भारत को निर्यात हेतु सौदेबाजी तथा निर्यात प्रक्रियाआम तौर पर समान है । कंपनी द्वारा दोनों बाजारों में बिक्री हेतु ऐसी कीमत सूचियां जारी नहीं की जाती हैं । बिक्रियों पर बातचीत सौदा आधार पर की जाती है ।

ग. डालियान इंसुलेटर ग्रुप कं0, लि0

75. कंपनी की स्थापना *** आर एमबी की पंजीकृत पूंजी के साथ एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में डालियान इंसुलेटर कं0, लि0 के नाम से 16 जुलाई, 2003 को की गई थी और उसने उसी वर्ष 15 नवंबर, को व्यापार लाइसेंस प्राप्त किया था । 19 फरवरी, 2009 को कंपनी का नाम बदलकर डालियान इंसुलेटर ग्रुप कं0, लि0 कर दिया गया था । 13 अगस्त, 2009 को कंपनी की लेखा परीक्षित निवल परिसंपत्ति को *** शेयरों में तब्दील कर दिया गया था और कंपनी को परिवर्तित कर शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी बना दिया गया था । 5 अगस्त, 2011 को यह कंपनी शेनझेन स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई बोर्ड में व्यापार हेतु सूचीबद्ध किया गया था । उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के व्यापार क्षेत्र और पंजीकरण के अन्य विवरण परिवर्तित नहीं हुए थे । कंपनी का निर्यातित उत्पाद चीन की सरकार द्वारा निर्धारित निर्यातों पर मूल्यवर्धित कर आय की नियुक्ति के अंतर्गत है । संबद्ध वस्तु के लिए वैट आय दर 17 प्रतिशत है । कंपनी ने दावा किया है कि उसका कोई वित्तीय अथवा संविदागत संबंध नहीं है और अनुसंधान तथा विकास, उत्पादन, बिक्री, लाइसेंसिंग, संबद्ध उत्पाद हेतु तकनीकी एवं पेटेंट करारों के बारे में किसी अन्य कंपनी के साथ कोई संयुक्त उद्यम नहीं है । कंपनी ने यह दावा किया है कि वह भारतीय और घरेलू ग्राहकों को सीधे बिक्री करती है । डालियान इंसुलेटर और उसके ग्राहक वस्तु की बिक्री की शुरूआत में सामान्य सूचना हेतु एक दूसरे से संपर्क करते हैं और करार होने तक कीमत, गुणवत्ता, डिलीवरी की तारीख तथा भुगतान की शर्त पर बातचीत जारी रखते हैं । संविदा निष्पादित होने के बाद दोनों पक्षकार संविदा के अनुसार अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं । उन्होंने आगे दावा किया है कि उनके पास घरेलू बाजार तथा भारत को निर्यात हेतु बिक्रियों की कोई कीमत सूची नहीं है । बिक्री कीमत का निर्धारण हमारी उत्पादन लागत, एस ए एंड जी तथा उचित लाभ पर विचार करते हुए दोनों पक्षकारों द्वारा बातचीत द्वारा किया जाता है जिसमें बाजार में आपूर्ति और मांग के सिद्धांत का पालन किया जाता है । उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है ।

घ. नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं0, लि0

76. नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं0, लि0 (''उत्पादक/निर्यातक'') की स्थापना चीन के कंपनी कानून के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में दिसंबर, 1997 में की गई थी और उसे संख्या 63, ताइक्सिन रोड, नानजिंग, 210038, जियांगशु, चीन पर पंजीकृत किया गया था । वर्ष 2004 से नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं0, लि0 का 100 प्रतिशत नियंत्रण बैयुन इलैक्ट्रो ग्रुप के पास है । नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं0, लि0 के वर्तमान दो शेयरधारक बैयुन इलैक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लि0 और उसकी सहायक कंपनी गुआंगझू बैयून इलैक्ट्रिक इन्वेस्टमेंट कंपनी लि0 हैं । नानजिंग इलेक्ट्रिक (ग्रुप) कं0, लि0 बैयुन ग्रुप के भीतर इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों की एकमात्र उत्पादक है । उत्पादक/निर्यातक द्वारा केवल टफंड ग्लास इंसुलेटरों तथा कंपोजिट इंसुलेटरों एवं हाई वोल्टेज पार्सिलेन इंसुलेटरों का सीमित मात्रा में उत्पादन किया जाता है । जांच अवधि के दौरान उत्पादक/निर्यातक ने भारत को केवल ''कैप और पिन प्रकार के टफंड ग्लास इंसुलेटरो'' ' का निर्यात किया। उत्पादक/निर्यातक द्वारा बोली प्रक्रियाके जरिए भारतीय बाजार में अंतिम प्रयोक्ताओं को सीधी बिक्री की जाती है उत्पादक/निर्यातक की एक ही सहायक कंपनी है जो अभी भी अपनी आरंभिक प्रक्रियामें है और उसका कोई व्यापारिक कार्यकलाप नहीं है । यह सहायक कंपनी विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं करती है । उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है ।

साधारण मूल्य के निर्धारण के लिए पद्धति

77. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अनुबंध–1 के पैरा 7 के मद्देनजर किया है । चीन जन.गण. से भारत में आयातित संबद्ध उत्पाद हेतु सामान्य मूल्य का परिकलन घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर घरेलू उद्योग की कीमत, परिवर्तन लागत, ब्याज, एस जी ए आदि के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्री, क्वाट्ज की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अन्य कच्ची सामग्री की लागत हेतु घरेलू उद्योग के ईष्टतम खपत मानकों पर विचार करते हुए किया गया है । उचित लाभ हेतु ब्याज को छोड़कर बिक्री लागत के 5 प्रतिशत की अनुमति प्रदान की गई है ।

78. वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ और आगे की जांच लंबित रहने पर प्राधिकारी ने ग्लास इंसुलेटरों के लिए पृथक सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया है । यद्यपि, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि भार के अनुसार निर्धारित किए जाने पर ग्लास इंसुलेटरों का सामान्य मूल्य पोर्सिलिन इंसुलेटरों के सामान्य मूल्य से काफी अधिक होगा । याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ग्लास इंसुलेटरों का सामान्य मूल्य काफी अधिक माना जाना चाहिए जो कम से कम ग्लास और पोर्सिलेन इंसुलेटरों के बीच भार में अंतर तक होना चाहिए । ग्लास इंसुलेटरों का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के लिए ग्लास इंसुलेटर की निविष्टि की खपत और परिवर्तन लागत संबंधी आंकड़ों की जरूरत है । चूंकि घरेलू उद्योग ग्लास इंसुलेटर का उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा ये आंकड़े प्रदान नहीं किए जा सकते । मै0 सैडीवर ने ग्लास इंसुलेटर की लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं परंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें प्रारंभिक जांच परिणाम, सत्यापन लंबित रहने तक एमईटी प्रदान नहीं किया गया है और इसकी वजह संबद्ध पक्षकारों से निविष्टियों की खरीद से जुड़े स्पष्टीकरण भी हैं । यह भी नोट किया जाता है कि ग्राहक कीमत आधार पर ग्लास तथा पोर्सिलेने इंसुलेटर की खरीद कर रहे हैं । ग्लास इंसुलेटरों के किसी भरोसेमंद और सत्यापनीय आंकड़ों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उसी स्तर के पोर्सिलेन तथा ग्लास इंसुलेटर के सामान्य मूल्य पर विचार किया है । यद्यपि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भार के

अनुसार निर्धारित किए जाने पर ग्लास इंसुलेटरों का सामान्य मूल्य पोर्सिलिन इंसुलेटरों के सामान्य मूल्य से काफी अधिक होगा । चीन जन. गण के लिए निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है ।

2. निर्यात कीमत

जिगोंग सेडिवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कं0 लि0

79. जिगोंग सेडिवर टफंड ग्लास इंसुलेटर कं0 लि0 ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । वस्तु की सीधी बिक्री भारत में ग्राहकों को की गई है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल टफंड ग्लास इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यांत्रिक क्षमता 70 के एन, 120 केएन, 160 केएन, 210 केएन और 420 केएन के एसी तथा डी सी इंसुलेटरों का निर्यात किया है । भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ आधार पर की जाती है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यातक ने विदेशी व्यय, विदेशी बीमा और ऋण लागत हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0

80. सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । वस्तु की सीधी बिक्री भारत में ग्राहकों को की गई है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल ग्लास डिस्क इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यांत्रिक क्षमता 120 केएन, 160 केएन, 210 केएन के एसी इंसुलेटरों का निर्यात किया है । भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ आधार पर की जाती है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा और ऋण लागत हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

सेडिवर एस.ए (फ्रांस) (निर्यातक) के जरिए सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 (उत्पादक)

81. सेडिवर एस.ए (फ्रांस) (निर्यातक) के जरिए सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0 (उत्पादक) ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । वस्तु की बिक्री सेडिवर एस ए के जरिए भारत में सीधे ग्राहकों को की गई है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल ग्लास डिस्क इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यांत्रिक क्षमता 120 केएन, 160 केएन, 210 केएन के एसी इंसुलेटरों का निर्यात किया है । भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ आधार पर की जाती है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यातक ने बीमा, निकासी एवं हैंडलिंग प्रभारों सहित अंतरदेशीय भाड़े, अंतर्राष्ट्रीय भाड़े, अंतर्राष्ट्रीय बीमा, कमीशन तथा बैंक प्रभारों हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

(क) लीनिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं0, लि0 तथा लीलिंग हुआचेंग इंसुलेटर्स कं0 लि0,

82. लीनिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं0, लि0 ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । वस्तु की बिक्री भारत में ग्राहकों को सीधे की गई है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल हॉलो पार्सिलेन इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान कंपनी ने यांत्रिक क्षमता 5.1—10 केएन, 10.1—20 केएन, 20.1—30 केएन, 30.1—50 केएन और 50. 1 केएन के एसी इंसुलेटरों का निर्यात किया है । भारतीय ग्राहकों को की गई बिक्री सीआईएफ आधार पर है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन अनुषंगी शुल्क, विदेशी परिवहन और बीमा तथा ऋण लागत हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

(ख) चेंगडू ग्लोबल स्पेशल—ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कं0, लि0 तथा सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0

83. सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0 ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । वस्तु की सीधी बिक्री भारत में ग्राहकों को की गई है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल ग्लास डिस्क इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यांत्रिक क्षमता 120 केएन, 160 केएन और 210 केएन के एसी इंसुलेटरों का निर्यात किया है । भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ आधार पर की जाती है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े तथा पत्तन व्यय, समुद्री भाड़े एवं समुद्री बीमा हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

(ग) डालियान इंसुलेटर ग्रुप कं0 लि0

84. डालियान इंसुलेटर ग्रुप कं0 लि0 ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल डिस्क और सॉलिड कोर इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यांत्रिक क्षमता 120—160 केएन, 210 केएन और 320—420 केएन के एसी तथा डीसी इंसुलेटरों का निर्यात किया है। भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ तथा सीएफआर आधार पर की जाती है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यातक ने समुद्री भाड़े, बीमा, हैंडलिंग, फ़्यूमिगेशन निरीक्षण, सीएचए, सीमाशुल्क निकासी और बैंक प्रभारों हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है ।

(घ) नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0

85. नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0 ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने की सूचना दी है । वस्तु की सीधी बिक्री भारत में ग्राहकों को की गई है । जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत में केवल ग्लास डिस्क इंसुलेटरों का निर्यात किया है । इसके अलावा, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यांत्रिक क्षमता 120 केएन, 160 केएन और 210 केएन के एसी इंसुलेटरों का निर्यात किया है । भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ आधार पर की जाती है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, हैंडलिंग एवं लदान प्रभारों, समुद्री भाड़े, बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और निर्यात पैकिंग हेतु समायोजनों का दावा किया है । उपर्युक्त निर्यातक के लिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की है।

3. पाटन मार्जिन

86. पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए भारत हेतु निर्यात कीमत (निर्यातक द्वारा दावा किए गए और प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकार किए गए सभी समायोजनों को छोड़कर) की तुलना सामान्य मूल्य के साथ की गई है । भारत को निर्यातित प्रत्येक प्रकार के इंसुलेटर के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत निर्धारित की गई है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निवल नियात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
			अम.डा./मी.ट.	अम.डा./मी. ट.	अम.डा./मी.ट.	%	%
1	नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0	नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0	***	***	***	***	105-115%
2	जिगोंग सेडिवर थुंगहैंग्ड इंसुलेटर कं0 लि0	जिगोंग सेडिवर थुंगहैंग्ड इंसुलेटर कं0 लि0	***	***	***	***	40-50%
3	सेडिवार इंसंलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0	सेडिवार इंसंलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0	***	***	***	***	40-50%
4	सेडिवार इंसंलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0	सेडिवर एस ए	***	***	***	***	25-35%
	भारित औसत (2+3+4)		***	***	***	***	40-50%
5	डेलियान इंसंलेटर ग्रुप कं0 लि0	डेलियान इंसंलेटर ग्रुप कं0 लि0	***	***	***	***	80-90%
6	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं0, लि0	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं0, लि0	***	***	***	***	10-20%
7	चेंगडू ग्लोबल स्पेशल–ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कं0 लि0	सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0	***	***	***	***	110-120%

<u>संबद्ध देश के अन्य उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन</u>

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर चीन से विचाराधीन उत्पाद के केवल कुछ ही निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है । निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रदान करने में चीन के अन्य निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है । चीन में अन्य उत्पादकों तथा निर्यातकों के संबंध में भारत के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है । इस प्रयोजनार्थ प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना को स्वीकार किया गया है । इस प्रकार से निकाला गया पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है :

विवरण	अम.डा./मी.ट.
सामान्य मूल्य	***
निर्यात कीमत	***
पाटन मार्जिन	***
पाटन मार्जिन %	***
पाटन मार्जिन % रेंज	200-210

88. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के चीन के सभी उत्पादकों–निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक है और सह नियमों में निर्धारित सीमा से ज्यादा है।

ड. क्षति

आयातकों, निर्यातकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य प्रयोक्ता एसोसिएशनों के अनुरोध

89. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

क. पीजीसीआईएल की कीमत बोलियों की समीक्षा से यह पता चलेगा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा एक दूसरे की कीमतों में कटौती की जा रही है और इसका कारण आयातकों को नहीं माना जा सकता ।

ख. डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 में यह अधिदेश है कि घरेलू उद्योग के लिए बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट को प्रदर्शित करना अपेक्षित है । घरेलू

उद्योग न केवल कुछेक कारकों में वास्तविक गिरावट को प्रदर्शित करने में विफल रहा है अपितु उसने किसी भी कारक में संभावित गिरावट भी प्रदर्शित नहीं की है ।

ग. जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में केवल मामूली गिरावट आई है । यह गिरावट हाई वोल्टेज रेटिंग इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों के उत्पादन हेतु अपनी क्षमताएं उन्नत करने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण आई है । इस मांग की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है ।

घ. डब्ल्यू एस आई को छोड़कर जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है जो एक अस्थायी गिरावट है । डब्ल्यू एस आई को शामिल करते हुए लाभ में गिरावट का पता चलता है जिसका तात्पर्य यह है कि केवल डब्ल्यू एस आई को घाटा हुआ है ।

ड. घरेलू उद्योग ने उस समय लाभ में भारी गिरावट का दावा किया है जब कीमत कटौती की रेंज स्थिर (20–40 प्रतिशत) है ।

च. घरेलू उद्योग की क्षति का दावा जांच अवधि में उत्पादन तथा लाभप्रदता में अस्थायी गिरावट पर आधारित है जबकि अपनी वार्षिक रिपोर्टों में उन्होंने इसके विपरीत उल्लेख किया है । मै0 मॉर्डन इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2012–13 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लाभ की सूचना दी है और मै0 आदित्य बिड़ला नूवोली ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 में आगे यह सूचना दी है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू विनिर्माताओं के क्षमता उपयोग तथा उत्पादकता में सुधार होगा ।

छ. क्षति अवधि में क्षमता उपयोग में एक सतत अनुकूल प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और जांच अवधि में इसमें केवल 9 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है । इसका वास्तविक कारण यह है कि घरेलू उद्योग हाई वोल्टेज रेटिंग इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों, जिनकी भारतीय प्रयोक्ताओं द्वारा भारी मांग की जाती है, के विनिर्माण हेतु अपनी क्षमताएं बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है ।

ज. घरेलू उद्योग ने निवेश पर आय की सूचना उसी रेंज (0–20 प्रतिशत) में दी है । चूंकि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और निवेश पर आय सकारात्मक है, इसलिए इससे लाभ मार्जिन में वृद्धि का पता चलता है । इसके अलावा, बिक्री कीमत बढ़ी है जबकि लागत में गिरावट आई है जिससे लाभ मार्जिन में बढ़ोत्तरी हुई है ।

झ. घरेलू उद्योग उत्पादकता के संबंध में बेहतर निष्पादन कर रहा है । जांच अवधि में कर्मचारियों की संख्या 102 सूचीबद्ध बिन्दुओं पर थी । प्रति कर्मचारी उत्पादकता काफी अधिक रही है । समूची क्षति अवधि में बिक्री अधिक रही है जिससे केवल 10 प्रतिशत की मामूली गिरावट का पता चलता है और इसका कारण आयातों को नहीं माना जा सकता ।

ट. जांच अवधि में घरेलू उद्योग अत्यंत उच्च कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचने में सफल रहा है । एबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार बिक्री मात्रा में गिरावट विद्युत क्षेत्र में प्रवृत्ति के कारण आई है । हिन्दुस्तान विद्युत की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्पाद की मांग में वृद्धि होने की संभावना है अतः बिक्री में गिरावट अस्थायी है । व्यापार प्रचालनों में 10 प्रतिशत के भीतर घट–बढ़ सामान्य है ।

ठ. घरेलू उद्योग केवल 89 प्रतिशत मांग को ही पूरा करने में समर्थ होगा । परंतु अपनी अक्षमता के कारण घरेलू उद्योग केवल 52 प्रतिशत मांग को ही पूरा करने में समर्थ है और इसकी वजह आयातों को नहीं माना जा सकता ।

ड क्षति और पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । निम्नलिखित तथ्य प्रासंगिक हैं :

i. बिक्री कीमत में वृद्धि के बावजूद लाभप्रदता में गिरावट आई है ।

ii. एबीआई ने प्रतिस्पर्धा के समान स्तर को स्वीकार किया है और मॉडर्न ने रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के कारण उत्साहजनक परिस्थितियों का उल्लेख किया है ।

iii. हिंदुस्तान विद्युत ने भी एन टी पी सी तथा पी जी सी आई एल द्वारा निवेश बढ़ाए जाने के कारण बिक्री में वृद्धि होने की सूचना दी है ।

iv. हिंदुस्तान विद्युत के कथनानुसार लाभ में गिरावट उपभोक्ता का अधिमान बदलकर पॉलीमर इंसुलेटर किए जाने के कारण आई है ।

v. चूंकि यह उद्योग ऑर्डर आधारित उद्योग है, इसलिए सभी घरेलू उत्पादक अपनी कीमत कम करने में व्यस्त रहते हैं ताकि निविदाएं और ऑर्डर प्राप्त किए जा सकें और न कि आयातों के कारण । बाजार में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा क्षति का कारण है क्योंकि यह ऑर्डर आधारित उद्योग है और बल्क क्रेताओं की संख्या बहुत कम है ।

vi. क्षमता का कम उपयोग हाई वोल्टेज इंसुलेटरों का उत्पादन करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का उन्नयन करने हेतु घरेलू उद्योग की अक्षमता ऐसे कारक हैं जो केवल घरेलू उद्योग में ही निहित हैं ।

ड. सार्वजनिक हित : पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को उस स्थिति में कोई लाभ होने वालो नहीं है जब कीमत में कटौती पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण हो रही है न कि आयातों के कारण । पाटनरोधी शुल्क से कीमत में वृद्धि होगी जो उपभोक्ताओं के प्रतिकूल है ।

<u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

90. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि :

क. समूची क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग सकारात्मक रही है ।

ख. इस अवधि के दौरान संबद्ध देश से हुए आयातों में समग्र रूप में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है । चीन से हुए आयातों की मात्रा भारत में हुए आयातों की समग्र मात्रा बन गई। चीन से पाटित आयातों में भारत में विचाराधीन उत्पाद की खपत और उसके उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है ।

ग. भारित औसत उत्पाद कीमत (मूल सीमाशुल्क को शामिल करने के बाद) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है । क्षति मार्जिन काफी अधिक है ।

घ. समूची क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम रही है । आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है । पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतर कम रहा है और घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा है जिससे भारी घाटा हुआ है ।

ड. वर्ष 2010–11 में घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि हुई । वर्ष 2010–11 के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है । पूर्ववर्ती वर्ष के साथ तुलना करने पर जांच अवधि में इसमें भारी गिरावट आई है । घरेलू बिक्रियों में यही प्रवृत्ति देखी गई है । क्षमता उपयोग में वर्ष 2010–11 में वृद्धि हुई परंतु उसके बाद उसमें भारी गिरावट आई ।

च. क्षति अवधि में निर्यात बिक्री में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है ।

छ. जांच अवधि के दौरान अत्यधिक वृद्धि के साथ मालसूची में समूची क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है ।

ज. वर्ष 2010–11 के बाद समूची क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2011–12 से घाटा हो रहा है, जिसमें जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है । लाभप्रदता और नकद लाभ में यही प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । पीबीआईटी तथा लगाई गई पूंजी पर आय में यही प्रवृति प्रदर्शित हुई है जो जांच अवधि में नकारात्मक बन गए हैं ।

झ. समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि पाटित आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है ।

ट. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान भारी संख्या में ऑर्डर गंवाए हैं ।

ठ. रोजगार के स्तर में वर्ष 2010–11 में वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई । क्षति अवधि में प्रदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है परंतु यह देश में मजदूरी में संभावित वृद्धि के अनुरूप है ।

द. उत्पादकता में उत्पादन के समान उतार–चढ़ाव रहा है ।

ध. यद्यपि, घरेलू उद्योग के निष्पादन पर डब्ल्यू एस आई को छोड़कर विचार किया जाता है, तथापि यह देखा जाएगा कि निष्पादन में भारी गिरावट आई है ।

ण. आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, चीन के उत्पादकों के पास बेशी क्षमताओं और उनके निर्यात अभिमुखीकरण, कीमत में अत्यधिक कटौती तथा कीमत ह्रास, घरेलू उद्योग के पास बढ़ती हुई मालसूची, पाटित आयातों के बाजार हिस्से, पीजीसीआईएल द्वारा चीन के उत्पादकों को दिए गए ऑर्डरों, चीन में मांग में कमी और चीन के उत्पादकों को प्राप्त कीमत लाभों के कारण आगे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है ।

त. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि घरेलू उत्पादक एक–दूसरे की कीमत में कटौती कर रहे हैं, घरेलू उत्पादकों के बीच कीमत कटौती से बिक्री मात्रा में गिरावट नहीं आएगी । इससे केवल विभिन्न घरेलू उत्पादकों के बीच बिक्री का पुनसर्मायोजन होगा । इसके अलावा, चीन से हुई खरीद में वृद्धि और भारत से खरीद में आई गिरावट से स्पष्ट तौर पर इस बात की पुष्टि होती है कि चीन के उत्पादकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

91. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच पाटनरोधी नियमों के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करते हुए की है ।

92. नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए मात्रात्मक तथा कीमत, दोनों प्रकार की जांच द्वारा क्षति की जांच करना अपेक्षित है । क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उतपादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होती है । जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

93. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–।। के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है :

> "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा । "

94. क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट का प्रदर्शन होना आवश्यक नहीं है । हालांकि कुछ मापदंड गिरावट प्रदर्शित कर सकते हैं, तथापि, कुछ सुधार दर्शा सकते हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त क्षति मापदंडों पर विचार करना चाहिए और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

95. अनुरोधों में दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने क्षति मापदंडों की तथ्यपरक जांच की है ।

96. जहां तक डब्ल्यू एस इंडस्ट्रीज को छोड़कर क्षति विवरण पर आधारित तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि प्राधिकारी ने डब्ल्यू एस को पात्र घरेलू उद्योग माना है, इसलिए क्षति विश्लेषण डब्ल्यू एस इंडस्ट्रीज को छोड़कर किया गया है । डब्ल्यू एस इंडस्ट्री के वैजाग स्थित एसईजैड संयंत्र को पात्र घरेलू उद्योग माना गया है और केवल क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू मापदंडों पर विचा किया गया है ।

97. जहां तक कुछ याचिकाकर्ता कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों से जुड़े तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए इन सार्वजनिक विवरणों से यह निष्कर्ष नहीं बदलता है कि उत्पाद के पाटन की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह समग्र घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करे । इस प्रयोजनार्थ अलग–अलग कंपनी का निष्पादन प्रासंगिक नहीं है ।

98. जहां तक मांग–आपूर्ति में अंतर के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की आपूर्ति करना चाहते थे तो ऐसा सामान्य मूल्य के समतुल्य मूल्य पर जरूरतों के निर्यात द्वारा किया जा सकता था न कि पाटित मूल्य पर और बाजार पर कब्जा जमाने के लिए । इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि मांग–आपूर्ति मे अंतर विद्यमान है ।

99. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण आई है क्योंकि वे हाई वोल्टेज का उत्पादन करने की अपनी सुविधाओं का उन्नयन करने में असमर्थ हैं, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने हाई वोल्टेज इंसुलेटरों की आपूर्ति की है । इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी घरेलू उद्योग की संभावित अक्षमता के कारण आई है ।

100. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती में वृद्धि हुई है । भले ही, कटौती का प्रतिशत समान है, तथापि इसका तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में भी आयात कीमतों के अनुरूप गिरावट आई है और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

101. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि बिक्री में गिरावट अस्थायी है क्योंकि मांग में वृद्धि होने की संभावना है । यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग वर्ष 2011–12 से अपनी बिक्री को बढ़ाने मे असमर्थ है । वस्तुतः घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है।

102. जहां तक कारणात्मक संबंध से जुड़े तर्क का संबंध है, निम्नलिखित प्रासंगिक है :

i. बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वद्धि के कारण हुई है । तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि होने के बावजूद पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की जा रही है ।

ii. लगाए गए किसी पाटनरोधी शुल्क में मौजूदा रक्षोपाय शुल्क का ध्यान रखा जाएगा ताकि दोहरा संरक्षण न दिया जा सके ।

iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि लाभ में गिरावट पालीमर इंसुलेटर के प्रति उपभोक्ता अधिमान में आए परिवर्तन के कारण आई है, यह नोट किया जाता है कि मांग की सकारात्मक प्रवृत्ति का समर्थन उपभोक्ता अधिमान में आए परिवर्तन के तर्क द्वारा नहीं किया गया है ।

iv. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने हाई वोल्टेज इंसुलेटरों की आपूर्ति की है ।

103. जहां तक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इंसुलेटर उद्योग मुख्यतः ऑर्डर पर आधारित है और ऑर्डर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सबसे कम कीमतों के आधार पर दिए जाते हैं । अतः पाटन का प्रभाव काफी अधिक बनता है । चीन के उत्पादकों द्वारा उत्तरोत्तर सबसे कम कीमतें उद्धृत की जा रही हैं और उनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है जिससे घरेलू उद्योग के इस तर्क की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के कारण हुई है । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न तब उठता जब अधिकांश निविदाएं भारतीय उत्पादकों को प्रदान की गई होती ।

मांग का निर्धारण

104. संबद्ध वस्तु की मांग का निर्धारण घरेलू समान उत्पाद की घरेलू बिक्री को सभी देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों में जोड़कर किया गया है । वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन के सीमाशुल्क से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
निर्धारित मांग	मी.ट.	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
संबद्ध देश आयात– चीन जन.गण.	मी.ट.	16,282	26,376	35,782	62,444
अन्य देश–आयात	मी.ट.	517	405	573	687
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	75,081	84,856	75,315	64,211
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	26,960	45,327	25,650	17,294

105. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । प्रतिवादी निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि आयातों में वृद्धि अपेक्षित प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा हाई वोल्टेज इंसुलेटरों की जरूरत हेतु घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण हुई है । अतः प्राधिकारी ने प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों पर विचार करते हुए आयातों का विश्लेषण किया है । यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने इंसुलेटरों के उन प्रकारों का उत्पादन और बिक्री की है जिनका भारत में आयात किया गया है । चूंकि घरेलू उद्योग ने चीन से आयातित इंसुलेटरों के प्रकारोां का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं की जाती है कि आयात अपेक्षित प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और हाई वोल्टेज इंसंलेटरों की जरूरत हेतु घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण किए गए हैं ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

आयात मात्रा तथा संबद्ध देश का हिस्सा

106. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

आयात की मात्रा	इकाई	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	जांच अवधि
संबद्ध देश चीन जन.गण.	मी.ट.	16,282	26,376	35,782	62,444
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*162*	*220*	*384*
अन्य देश	मी.ट.	517	405	573	687
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*78*	*111*	*133*
कुल आयात	मी.ट.	16,799	26,781	36,356	63,131
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*159*	*216*	*376*
भारतीय उत्पादन	मी.ट.	1,16,340	1,44,213	1,14,052	95,625

घरेलू उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयात	%	14.00%	18.29%	31.37%	65.30%
मांग	मी.ट.	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
खपत की तुलना में संबद्ध देश से आयात	%	13.70%	16.80%	26.06%	43.17%
कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा	%	97%	98%	98%	99%

आयात आंकड़ों का स्रोत : चीन के लिए : चीन सीमाशुल्क और अन्य देशों के लिए डीजीसीआईएंड एस ।

107. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :

क. चीन से हुए आयातों में समग्र रूप में भारी वृद्धि हुई है । जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि काफी अधिक है ।

ख. चीन से हुए आयात जांच अवधि में हुए कुल आयातों के 99 प्रतिशत बनते हैं ।

ग. उत्पादन की तुलना में चीन से हुए आयात वर्ष 2009–10 के दौरान 14.00 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि में 65.30 प्रतिशत हो गए हैं ।

घ. कुल मांग की तुलना में चीन से हुए आयात वर्ष 2009–10 के दौरान 13.70 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि में 43.17 प्रतिशत हो गए हैं ।

ड. समूची क्षति अवधि के दौरान भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में चीन जन.गण. से हुए आयातों में सतत रूप से वृद्धि हुई है ।

108. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन जन.गण. से हुए आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में, दोनों प्रकार से वृद्धि हुई है ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

109. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध ।। (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

110. इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा काफी स्तर तक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक सीमा तक बढ़ गई होती । घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है ।

कीमत कटौती

111. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है । इस संबंध में उत्पाद के पहुंच मूल्य और सभी रिबेटों और करों को छोड़कर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है । घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया है । तुलना से यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में आयात उस कीमत पर किया गया था जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी । अतः यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और कटौती मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
सीआईएफ निर्यात कीमत	रू./मि.ट.	81,507	97,006	95,710	81,415
आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मि.ट.	88,682	105,544	104,135	88,581
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रू./मि.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./मि.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	श्रेज	20-30	10-20	15-25	30-40

112. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कीमत कटौती की रेंज असंगत होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुए भारी घाटे का मिलान करना कठिन है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती में वृद्धि हुई है ।

कम कीमत पर बिक्री

113. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है । इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है । घरेलू उद्योग की भारित औसत क्षति रहित कीमत की आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत के साथ तुलना से निम्नानुसार पता चलता है :

विवरण	यूओएम	जांच अवधि
भारित औसत–क्षतिरहित कीमत	रू./मि.ट.	***
प्लुंच कीमत	रू./मि.ट.	88,581
कम कीमत पर बिक्री	रू./मि.ट.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	55-65%

114. यह देखा जाता है कि चीन से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत से काफी कम थी ।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

115. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में काफी अधिक सीमा तक ह्रास हुआ है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक मात्रा में बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमत में परिवर्तनों पर विचार किया है । स्थिति निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शायी जाती है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
बिक्री की लागत (घरेलू)	रू./मि.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	123	134
बिक्री मूल्य (घरेलू)	रू./मि.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	111	114

116. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई है । तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम है । इस प्रकार आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास हो रहा था और कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई थी जिसमें अन्यथा वृद्धि हो गई होती ।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

117. नियमावली के अनुबंध–।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है :

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग तथा बिक्री

118. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग के बारे मे घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था :–

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
क्षमता	मी.ट.	114,489	114,489	115,239	117,789
उत्पादन	मी.ट.	89,380	98,886	88,402	78,331
क्षमता उपयाग	%	78%	86%	77%	67%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	75,081	84,856	75,315	64,211

119. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011–12 और जांच अवधि में क्षमता में वृद्धि की । क्षति अवधि के दौरान देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है ।

120. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2010–11 में वृद्धि हुई । तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन में भारी गिरावट आई और वर्ष 2011–12 तथा जांच अवधि में आगे और गिरावट आई । जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2009–10 में हुए उत्पादन की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत कम रहा था जबकि इसी अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

121. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग उत्पादन के समान ही रहा है । क्षमता उपयाग में 2010–11 में वृद्धि हुई और उसके बाद 2011–12 और जांच अवधि में भारी गिरावट आई । जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग 2009–10 के क्षमता उपयोग की तुलना में 11 प्रतिशत कम रहा था ।

122. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि क्षमता उपयोग में कमी घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण आई है क्योंकि वह हाई वोल्टेज इंसुलेटरों के उत्पादन हेतु अपनी क्षमताएं उन्नत करने में असमर्थ था । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इंसुलेटर के उन प्रकारों का उत्पादन और बिक्री की है जिन्हें जांच अवधि के दौरान भारत में आयात किया गया है ।

123. घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री में 2010–11 में वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई । वर्ष 2009–10 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू बिक्री में 14 प्रतिशत और 2010–11 की तुलना में 24 प्रतिशत की गिरावट आई ।

124. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाककर्ताओं ने बिक्री में संभावित गिरावट प्रदर्शित नहीं की है । यह नोट किया जाता है कि आंकड़ों में बिक्री में वास्तविक गिरावट प्रदर्शित की गई है जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की स्वतः पुष्टि होती है । प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण पाटनरोधी नियमों और प्राधिकारी की स्थापित परंपरा के अनुसार किया है ।

125. यह तर्क दिया गया है कि बिक्री में गिरावट अस्थायी है क्योंकि मांग में सुधार होने की संभावना है । यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग 2010–11 से अपनी बिक्री को बढ़ाने मे अक्षम है । वस्तुतः घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है ।

126. अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि देश में उत्पाद की मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है ।

लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ

127. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
लाभ/हानि	रू./मि.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*160*	*(272)*	*(543)*
ब्याज पूर्व लाभ	रू./मि.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*133*	*2*	*(72)*
नकद लाभ	रू./मि.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*126*	*(54)*	*(162)*
सकल लाभ/हानि	लाख रू0	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*181*	*(272)*	*(464)*
पीबीआईटी	लाख रू0	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*150*	*2*	*(62)*
नकद लाभ	लाख रू0	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*143*	*(54)*	*(138)*
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*136*	*1*	*(48)*

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग ने लाभ कमाया है । वर्ष 2010–11 में स्थिति में सुधार हुआ और घरेलू उद्योग ने उस वर्ष में लाभ कमाया । तथापि, उसके बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई और घरेलू उद्योग को 2011–12 और उसके बाद जांच अवधि में वित्तीय घाटा हुआ । इसके अलाव, जांच अवधि में लाभप्रदता में भारी गिरावट आई ।

129. क्षति अवधि के दौरान निवेश में आय की प्रवृत्ति लाभ जैसी प्रदर्शित हुई है । ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) में 2010–11 में वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई और यह जांच अवधि में नकारात्मक बन गया । घरेलू उद्योग हेतु निवेश पर आय में 2010–11 में सुधार हुआ और वह 2011–12 तक सकारात्मक रहे । तथापि, जांच अवधि में निवेश पर आय नकारात्मक बन गई ।

130. नकद लाभ में भी लाभ के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । नकद लाभ में 2010–11 में सुधार हुआ और उसके बाद उसमें गिरावट आई । इसके अलावा, जांच अवधि में अत्यधिक गिरावट के साथ नकद लाभ 2011–12 से नकारात्मक रहा ।

बाजार हिस्सा

131. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच निम्नानुसार की गई है :

बाजार हिस्सा	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
मांग	मी.ट.	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	63.18%	54.06%	54.85%	44.39%
अन्य उत्पादक का हिस्सा	%	22.69%	28.88%	18.68%	11.96%
संबद्ध देश का हिस्सा	%	13.70%	16.80%	26.06%	43.17%
अन्य आयातों का हिस्सा	%	0.43%	0.26%	0.42%	0.48%

132. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और चीन के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्से में 19 प्रतिशत की गिरावट आई । सकारात्मक कीमत कटौती और चीन के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चीन जन.गण. से हुए पाटित आयातों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी

133. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
श्रोजगार	सं0	8,686	9,230	9,027	8,825
प्रति दिवस उत्पादकता	प्रति दिवस	257	285	254	226
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	प्रति मि.ट.	10	11	10	9
मजदूरी	लाख रू0	***	***	***	***

134. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2010–11 में घरेलू उद्योग के पास रोजगार में वृद्धि हुई और इस वर्ष विभिन्न आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ तथा क्षमता में वृद्धि हुई । घरेलू उद्योग के पास रोजगार में उसके बाद गिरावट आई । क्षति अवधि में प्रदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई है । उत्पादकता में 2010–11 में वृद्धि हुई और उसके बाद उत्पादन की प्रवृत्ति के अनुरूप गिरावट आई ।

मालसूची

135. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	**इकाई**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच अवधि**
औसत स्टॉक	MT	8,212	8,568	9,055	10,038

136. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में समूची क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मालसूची में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

वृद्धि

विवरण	माप की इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उत्पादन	वर्ष/ वर्ष		11%	-11%	-11%
घरेलू बिक्री	वर्ष/ वर्ष		13%	-11%	-15%
बिक्री की लागत	वर्ष/ वर्ष		***	***	***
बिक्री प्रकिया	वर्ष/ वर्ष		***	***	***
लाभ/(हानि)	वाई/वाई		***	***	***
आरओआई	वर्ष/ वर्ष		***	***	***

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2010–11 में उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ के बारे में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी । तथापि, देश में उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि के बावजूद इन मापदंडों में वृद्धि नकारात्मक बन गई है । कुल मिलाकर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है ।

विवरण	**इकाई**	2009-10	2010-11	2011-12	**जांच अवधि**
मंग	मी.ट.	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
उत्पादन	मी.ट.	89,380	98,886	88,402	78,331
क्षमता उपयोग	%	78%	86%	77%	67%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	75,081	84,856	75,315	64,211
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	63.18%	54.06%	54.85%	44.39%
लाभ/(हानि)	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*181*	*(272)*	*(464)*
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*143*	*(54)*	*(138)*
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*136*	*1*	*(48)*

निवेश जुटाने की क्षमता

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने क्षमता बढाने के लिए निवेश किए हैं । तथापि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है ।

पाटन तथा पाटन मार्जिन का स्तर

139. यह नोट किया जाता है कि देश में संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं और यह कि पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

140. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और पाटित आयातों से इतर कारकों, जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं आदि की जांच से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत एवं क्षतिरहित कीमत से कम है जिसकी वजह से भारतीय बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री हो रही है । इस प्रकार, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला करक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य है ।

क्षति के बारे में निष्कर्ष

141. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में भारी वृद्धि हुई है । आयातों में भारत में उत्पाद की खपत और इसके उत्पादन की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है । इस प्रकार आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है । पाटित आयातों द्वारा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की जा रही है । पाटित आयातों का कीमत ह्रास के रूप में अत्यधिक प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है । पाटित आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई होती । आयातों की वजह से घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत को बढ़ाने से वंचित हुआ है । घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री की जा रही है । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है । जहां तक घरेलू उद्योग

पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चीन से हुए पाटित आयातों का उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आया के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की है । तथापि, उसके उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है । घरेलू उद्योग के पास मालसूची में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, कीमत में अत्यधिक कटौती और ह्रास के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में इतनी अधिक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ है । घरेलू उद्योग को हुआ वित्तीय घाटा इतना अधिक रहा था कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान नकद घाटा हुआ है और निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है । प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

वास्तविक क्षति का खतरा

142. आवेदकों ने दावा किया है कि वास्तविक क्षति के अलावा, वर्तमान मामले में आगे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है । नियमावली के अनुबंध–।। में इस बारे में निम्नानुसर उपबंध है :

''वास्तविक क्षति के किसी खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि मात्र आरोप, अनुमान और परोक्ष संभावना पर । परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन की वजह से क्षति होगी, का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और उसे आसन्नवर्ती होना चाहिए । वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के बारे में निर्धारण करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे अर्थात

(क) भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर जिससे अत्यधिक सवंर्धित आयात की संभावना का पता चलता हो.;

(ख) निर्यातक की मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त अथवा आसन्नवर्ती क्षमता, उसमें अत्यधिक वृद्धि जिससे किसी अतिरिक्त निर्यात को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से सवंर्धित पाटित निर्यातों की संभावना का पता चलता हो;

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे और अधिक आयात करने की मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और

(घ) वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो । ''

143. वास्तविक क्षति के बारे में प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों की जांच की गई है ।

आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि

144. आयातों की मात्रा मे अपेक्षाकृत अल्पावधि में भारी वृद्धि हुई है । आयात मात्रा में वृद्धि की उच्च दर से यह पता चलता है कि आयातों में अत्यधिक वृद्धि आसन्नवर्ती है ।

निर्यात अभिमुखीकरण

145. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि अत्यधिक उत्पादन क्षमताओं के अलावा चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक काफी अधिक निर्यातोन्मुखी हैं । चीन जन.गण. के उत्पादकों के निर्यात अभिमुखीकरण से घरेलू उद्योग को आगे और वास्तविक क्षति हाने के खतरे का संकेत मिलता है ।

कीमत में अत्यधिक कटौती और कीमत न्यूनीकरण

146. संबद्ध आयातों के कारण कीमत में हो रही कटौती काफी अधिक है । आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे आगे और आयात होने की प्रबल संभावना है । पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत का न्यूनीकरण हो रहा है । क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग उसी सीमा तक अपनी घरेलू बिक्री कीमत को बढ़ाने में असमर्थ रहा है जिसके परिणामस्वरूप उसे घाटा हुआ है । इस प्रकार घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में भारी अंतर से यह पता चलता है कि आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है और इससे आगे और आयात करने के लिए मांग में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है ।

घरेलू उद्योग के पास बढ़ती हुई मालसूची

147. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची में भारी वृद्धि हुई है और इससे आगे और वास्तविक क्षति होने के खतरे की मौजूदगी का संकेत मिलता है ।

पाटित आयातों का बाजार हिस्सा

148. घरेलू बाजार में एक बड़ा हिस्सा संबद्ध देश के आयातों में पहले ही धारित कर लिया है और इसमें वृद्धि हो रही है । वर्ष 2009–10 और जांच अवधि के बीच चीन के बाजार में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि से भी आगे और क्षति होने के खतरे का पता चलता है ।

पीजीसीआईएल द्वारा चीन की कंपनियों को दिए गए ऑर्डर

149. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए सूचना प्रदान की है कि पीजीसीआईएल ने चीन की कंपनियों को भारी मात्रा में आर्डर प्रदान किए हैं और चीन की कंपनियां पीजीसीआईएल द्वारा जारी की जा रही निविदाओं में बढ़–चढ़कर भाग ले रही हैं । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना और वैबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार पीजीसीआईएल द्वारा चीन की कंपनियों को दिए जा चुके आर्डर निम्नानुसार हैं :–

आपूर्तिकर्ता का नाम	आदेश का माह	मात्रा (सं0)	भारित (मी0ट0)
दिए जा चुके ऑर्डर			
शेनडॉग रूइताई ग्लास इंसुलेटर कं0 लि0	मई, 14 एवं जून, 14	15,36,848	17,069
सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0, चीन	मई, 14 एवं जून, 14	2,97,900	3,575
नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0, चीन	मई, 14 एवं जून, 14	8,07,147	9,686
कुल		**26,41,895**	**30,330**

चीन में मांग में आई गिरावट

150. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन में वर्ष 2000 में आए ढांचागत विद्युत असंतुलनों की वजह से विद्युत उत्पादन तथा पारेषण उपकरण की अभूतपूर्व मांग उत्पन्न हुई है । चीन इंसुलेटरों का जरूरत के आधार पर आयातक था और वस्तुतः भारतीय उत्पादक चीन में इंसुलेटरों की आपूर्ति कर रहे थे । तथापि, इलैक्ट्रिकल इंसुलेटरों सहित विद्युत उत्पादन और पारेषण उपकरण की असाधारण रूप से उच्च मांग को पूरा करने के लिए चीन में क्षमताओं में भारी वृद्धि की गई थी । इसकी वजह से इंसुलेटर उत्पादन की क्षमताओं में भारी वृद्धि की गई थी । चीन की उत्पादन क्षमता वर्ष 1965 में 336.5 जीडब्ल्यू से 11 प्रतिशत के जीएजीआर पर बढ़कर 2009 में 874.1 जीबी हो गई । जून, 2010 के अंत तक कुल उत्पादन क्षमता 907.9 जीडब्ल्यू के स्तर पर पहुंच गई । आवेदकों ने आगे यह दावा किया है कि बीजिंग ओलंपिक के बाद चीन के भीतर नई विद्युत क्षमता वृद्धि की मांग में भारी गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप इंसुलेटरों सहित विद्युत उत्पादन तथा पारेषण उपकरणों की मांग में भारी गिरावट आई । इसकी वजह से चीन के उत्पादक अपनी व्यापक क्षमताओं के लिए दूसरे बाजारों को तलाश करने के लिए बाध्य हुए जो क्षमताएं उत्तरोत्तर निष्क्रिय पड़ी हुई थी । इस प्रकार, उत्पाद की चीन की मांग में भारी गिरावट आई है जबकि चीन के उत्पादकों के पास व्यापक क्षमताएं बनी हुई हैं। इसी के साथ–साथ भारत में विद्युत की मांग बढ़ रही है और भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007–2012 में 78000 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम विद्युत संयंत्र लगाने की योजना बनाई है । इसके अलावा, देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च, 2017 तक विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता में 100, 000 मे.वा. की वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है ।

चीन के उत्पादकों को प्राप्त कीमत लाभ

151. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन के आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न लाभ प्राप्त हैं :

- चीन के आपूर्तिकर्ताओं को चीन के उधारदाताओं से आसान वित्त उपलब्ध होता है ।
- उन्हें निर्यात सब्सिडी से लाभ प्राप्त होता है । इंसुलेटरों के लिए नकद रिबेट 17 प्रतिशत है जो इन उत्पादों पर वैट प्रभाव की तुलना में काफी अधिक है ।
- चीन की इस्पात नीति में इस्पात उद्योग को प्रत्यक्ष सब्सिडी देना अनिवार्य है ।
- कोक और कोयले के रूप में चीन में ईंधन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में काफी कम है ।

वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में निष्कर्ष

152. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच से घरेलू उद्योग को पाटन के कारण हुई क्षति का पता चलेगा । उपर्युक्त अभिज्ञात कारकों से आगे और क्षति होने के खतरे की मौजूदगी का स्पष्ट संकेत मिलता है ।

कारणात्मक संबंध

153. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । पाटन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंधी की जांच निम्नानुसार की गई है :–

तीसरे देशों से आयात

154. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस से संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़ों की जांच की है । यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से हुए आयात नगण्य हैं और इनसे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हो सकती है ।

मांग में कमी

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी सुधार प्रदर्शित हुआ है । इसमें आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है । मांग में संभावित कमी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता ।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

157. यह तर्क दिया गया है कि पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । यह नोट किया जाता है कि इंसुलेटर उद्योग मुख्यतः ऑर्डर आधारित उद्योग हैं और ऑर्डर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सबसे कम कीमत पर प्रदान किए जाते हैं । यदि आयातों में क्षति अवधि के दौरान लगभग 284 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो ऐसा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से इन मामलों में आयातों की पहुंच कीमत काफी कम रहने के कारण हुआ है । इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम रहेंगी और उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में गिरावट घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं आई थी ।

प्रौद्योगिकी विकास

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी विश्व भर के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय है । भारतीय उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों की उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है । वस्तुतः घरेलू उत्पादकों द्वारा कुछ समय से उत्पाद का विनिर्माण किया जा रहा है और उत्पादन प्रौद्योगिकी स्पष्ट रूप से सीपित की गई है । इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग प्रौद्योगिकी की दृष्टि से निरपेक्ष है इसलिए प्रौद्योगिकी में कोई अंतर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है ।

खपत की पद्धति में परिवर्तन

159. घरेलू उद्योग द्वारा वस्तु के उस प्रकार का उत्पादन किया जा रहा है जिसका आयात भारत में किया गया है । खपत की पद्धति में संभावित परिवर्तन ऐसा कोई कारक नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हो सकती है ।

160. यह तर्क दिया गया है कि निष्पादन में गिरावट पालीमर इंसुलेटर के प्रति उपभोक्ता की तरजीह में आए परिवर्तन के कारण आई है । यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है जिससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता का अधिमान संबद्ध इंसुलेटरों से बदलकर पालीमर इंसुलेटरों का नहीं हुआ है ।

निर्यात निष्पादन

161. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित अत्यधिक गिरावट के कारण नहीं हुई है । वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा किए जाने वाले निर्यातों में खास गिरावट नहीं आई है । बहरहाल घरेलू उद्योग ने जहां संभव हुआ है, घरेलू निष्पादन पर विचार किया है ।

अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन पर प्रभाव नहीं पड़ा है । प्राधिकारी द्वारा विचारित सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के बारे में है ।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

163. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के समान प्रवृत्ति रही है। उत्पादन मे गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हुई है ।

कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने वाले कारक

164. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में वास्तविक गिरावट आई है । पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि निम्नलिखित आधार पर होती है :

(क) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है । परिणामतः आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

(ख) कीमत में काफी अंतर होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं ने अपनी जरूरतों के लिए उत्तरोत्तर चीन के आपूर्तिकर्ताओं की ओर रूख किया है । अतः कीमत कटौती से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

(ग) देश में पाटित आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने से वंचित हुआ है ।

(घ) संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की कम कीमत पर बिक्री की जा रही है ।

(ड.) लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट पाटित आयातों की प्रत्यक्ष परिणति है ।

(च) क्षति अवधि में पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

(छ) कीमत में अत्यधिक कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है ।

(ज) कीमत और मात्रा से संबंधित कई आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की बिक्री नकारात्मक बन गई ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

165. क्षति एवं कारणात्मक संबंधी की उपर्युक्त जांच से प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन से संबद्ध वस्तु के पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । समूची क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में चीन से पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है । घरेलू कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है । पाटित आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित की गई है जिसे अत्यधिक माना गया है । संबद्ध देश से पाटित आयातों का उत्पादन, बिक्री, तथा क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है जबकि आयातों के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है । लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है । माल सूची में वृद्धि हुई है । प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

166. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक प्रकार के लिए घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत अलग–अलग निर्धारित की है । क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की इस क्षति रहित कीमत की तुलना प्रत्येक प्रतिवादी निर्यातक हेतु संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

क्षति मार्जिन

क्र.सं.	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
			अम.डा./ मि.ट.	अम.डा./ मि.ट.	अम.डा./ मि.ट.	%	% रेंज
1	नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0	नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0	***	***	***	***	85-95%
2	जिगोंग सेडिवर थुंगहैंग्ड इंसुलेटर कं0 लि0	जिगोंग सेडिवर थुंगहैंग्ड इंसुलेटर कं0 लि0	***	***	***	***	30-40%
3	सेडिवार इंसंलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0	सेडिवार इंसंलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0	***	***	***	***	35-45%
4	सेडिवार इंसंलेटर्स (शंघाई) कं0 लि0	सेडिवर एस ए	***	***	***	***	20-30%
	भारित औसत (2+3+4)		***	***	***	***	30-40%
5	डेलियान इंसंलेटर ग्रुप कं0 लि0	***	***	***	***	***	70-80%
6	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं0, लि0	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टेक्नोलॉजी कं0, लि0	***	***	***	***	15-25%
7	चेंगडू ग्लोबल स्पेशल–ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कं0 लि0	सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0	***	***	***	***	115-125%

167. यथा निर्धारित पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का स्तर काफी अधिक माना जाता है ।

संबद्ध देश के अन्य उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए पहुंच मूल्य तथा क्षति मार्जिन

168. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर चीन से विचाराधीन उत्पाद के केवल कुछ ही निर्यातकों द्वारा दायर किया गया है । निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रदान करने में चीन के अन्य निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है । चीन में अन्य उत्पादकों तथा निर्यातकों के संबंध में भारत के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है । इस प्रयोजनार्थ प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना स्वीकार की गई है । इस प्रकार निकालक गए क्षति मार्जिन का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :–

विवरण	अम.डा./मि.ट.
एनआईपी	***
पहुंच मूल्य	***
क्षति मार्जिन	***
क्षति मार्जिन %	***
क्षति मार्जिन % रेंज	210-220

च. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे :

169. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास रूकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापाार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

170. यह स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है । घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पारेषण और वितरण लागत में विचाराधीन उत्पाद का बमुश्किल 5 प्रतिशत हिस्सा बनता है और प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने से शामिल समग्र पारेषण एवं वितरण लागत के संबंध में उपभोक्ताओं के लिए मामूली लगत प्रभाव पड़ता है । अतः भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के हेतु आवश्यक राशि सीमिति रखी जाएगी।

छ. सिफारिशें

171. गए अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(क) संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है ।

(ख) संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

(ग) यह क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

172. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी । पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाना आवश्यक है । प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है ।

173. तद्नुसार, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*854610 854620*	इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स*	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0	नानजिंग इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कं0 लि0	1188	प्रति मि.ट.	अम.डा.
2	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	जिगोंग सेडिवर थंगहेन्ड ग्लास इंसुलेटर कं0 लि0	जिगोंग सेडिवर थंगहेन्ड ग्लास इंसुलेटर कं0 लि0	728	प्रति मि.ट.	अम.डा.
3	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं. लि0	सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं. लि0	728	प्रति मि.ट.	अम.डा.
4	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	फ्रांस	सेडिवर इंसुलेटर्स (शंघाई) कं. लि0	सेडिवर एस.ए. (फ्रांस)	728	प्रति मि.ट..	अम.डा.
5	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	डालियन इंसुलेटर ग्रुप कं0 लि0	डालियन इंसुलेटर ग्रुप कं0 लि0	1407	प्रति मि.ट.	अम.डा.
6	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टैक्नोलॉजी कं0 लि0	लीलिंग हुआक्सिन इंसुलेटर टैक्नोलॉजी कं0 लि0	287	प्रति मि.ट.	अम.डा.
7	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	चेंगडू ग्लोबल स्पेशल ग्लास मैन्यु. कं. लि.	सिचुआन यीबिन ग्लोबल ग्रुप कं0 लि0	1174	प्रति मि.ट.	अम.डा.
8	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण.	उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 7 से इतर अन्य कोई संयोजन		2042	प्रति मि.ट.	अम.डा.
9	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण.	चीन जन. गण. से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	2042	प्रति मि.ट.	अम.डा.
10	- यथोक्त -	- यथोक्त -	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई	चीन जन. गण.	कोई	कोई	2042	प्रति मि.ट.	अम.डा.

* विचाराधीन उत्पाद '' ग्लास के इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर्स अथवा पोर्सलेन/सिरामिक हैं, चाहे वे असेम्बल्ड हो या असेम्बल न किए हुए हों, जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

1. 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के टेलीफोन अथवा टेलीग्राफ इंसुलेटर्स,
2. 1 केवी तक की वोल्टेज रेटिंग के इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक उपकरण/डिवाइस इंसुलेटर्स
3. कंपोजिट इंसुलेटर्स
4. कंडेन्शर बुशिंग और ट्रांसफार्मर

आगे की प्रकिया

174. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:–

क प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे जिन पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया जाएगा ।

ख. निर्यातकों, आयातकों, आवेदक और संबंधित समझे जाने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकार सरकारी राजपत्र में इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भतर अपने विचारोां से अवगत करा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकता है;

ग हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को मौखिक रूप से सुनने के लिए प्राधिकारी एक मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे ।

घ प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सत्यापन किया जाएगा;

ड. अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे ।

जे.के.दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

DEPARTMENT OF COMMERCE
DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES
NOTIFICATION

New Delhi, the1st July , 2014

PRELIMINARY FINDINGS

Sub: Anti-dumping investigation concerning imports of Electrical Insulators originating in or exported from China PR -- Preliminary Findings

No14/11/2013 DGAD: Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed.

a. The Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), under the above Rules, received a written application from Aditya Birla Nuvo Ltd. ('Aditya Birla'), Bharat Heavy Electrical Limited ('BHEL'), Insulators and Electrical Company ('IEC'), Modern Insulators Limited ('Modern') and WS Industries (India) Ltd. ('WSI') (hereinafter referred to as the "applicants") as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of Electrical Insulators (hereinafter also referred to subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country") and resultant injury to DI.

b. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the applicants. The applicants filed an updated petition, which was considered by the Authority for initiation of investigations. The application was, therefore, considered as properly documented.

c. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicants to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country.

d. The Authority notified the Embassy of the People's Republic of China in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.

e. The Authority issued a public notice dated September 5th, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods from the subject country.

f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Applicants) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

g. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

h. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of the People's Republic of China in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

i. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Hunan Liling Huaxin Porcelain Insulator & Electric Apparatus Co.Ltd. Pukou Industrial Park, Liling, Hunan, China PR	Dalian Insulator Co.Ltd. 88, East Liaohe Road, DD Port, Dalian – 116600, China PR
NGK Insulators Tangshan Co.Ltd. Tangshan New & High Technology Development Zone 3, Huoju Road, 188, Hebei – 063020, China PR	Xian XD High Voltage Porcelain Insulator Company Limited Daqing Road, Xian, Shaanxi-710077 China PR
NGK Ceramics Suzhou Co.Ltd. & NGK Technocera Suzhou New District Jaingsu – 215129, China PR	NGK Insulators Suzhou Co.Ltd. 401, Jianlin Road, Suzhou New District, Jiangsu – 215151, China PR
China Electro-Ceramic Imp. & Exp. 3/F, Unit 05 No.333 Hongwu Rd. Nanjing, 210002 China PR	MWB (Shanghai) Co.Ltd. (Trench China) No.3658, Jiancheng Road, Economic & Technological Developing Zone, Minhang/Shanghai, China PR

Trench High Voltage Products Ltd., Shenyang (THVS) No2.Zhengiliang Er Rd, Jing Shen Xi San Str., Daoyi Economic Development Zone 110135 Shenyang, China PR	Hunan Liling Guolian Porcelain Insulator 13/F, Tianxin Hauting Building, 48 Caie Road 410005, Changsha, Hunan, China PR
Nanjing Electric Group Co., LTD 63 Taixin Road Nanjing City, Jiangsu Province, China 210038	Seves Sediver Insulator (Beijing) Co., Ltd. 7th Floor No.2 Building, China Central Place, 79 Jianguo Road Chaoyang District, Beijing 100025 – China
Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Company Ltd. 162 Hutou St., Gongjing District Zigong, 643020 China	Yibin Global Group Co.Ltd. Glass Industrial Park, Yibin Wullangye Group, Sichuan 644007, China

j. In response to the initiation notification, the following exporters/producers from China have responded:
 a. Nanjing Electric (Group) Co Ltd
 b. Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.
 c. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.
 d. Dalian Insulator Group Co. Ltd.
 e. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd
 f. Liling Huacheng Insulators Co., Ltd.
 g. Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.
 h. Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd.
 i. Sediver S.A. (France)

k. Further China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products ("CCCME") has also filed submissions on initiation notification.

l. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

M/s.Crompton Greaves Ltd. A-3, MIDC, Ambad, BNasik – 422 01 Maharashtra	Ms/. Areva T&D India Limited No.142, Vandallur-Walajhabad Road, Salamangalam (Village) Padappai (Post), Sriperumpudur (Taluk) District. Kanchipuram – 601 301 Tamil Nadu
Ms.ABB Limited PPHV-Ckt Brakers, Vadodara THS-LTD (Live Tank Breaker) Maneja Works, Vadodara 390013, Gujarat	M/s.Siemens Ltd. Breaker Division E-76, Waluj, MIDC Aurangabad – 431 136 Maharashtra
Power Grid Corporation of India Limited, Saudamini, Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon - 122001	M/s Adani Power Ltd. Shikhar, 9th Floor, Near Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad- 380009 (Gujarat), India
M/s Tata Projects Ltd. "Mithona Towers-1", 1-7-80 to 87, Opp. Wesley Co-ed Jr. College, Prenderghast Road, Secunedrabad-500003 (Andhra Pradesh), India	M/s Kalpataru Power Transmission Ltd. 101, Part-III, GIDC Estate, Sector-28, Gandhinagar-382028 (Gujarat), India
M/s KEC International Ltd. DLF Infinity Towers, 7th Floor, Tower "B", DLF City, Phase II, Gurgaon- 122002 (Haryana), India	M/s Reliance Infrastructure Ltd. Dhirubhai Ambani Knowledge City, Wing-6, Ground Floor, D-Block, Thane, Maharashtra, India

m. None of the importers/users of the subject goods have responded in the form of questionnaire responses or provided comments to the initiation of the investigation.

n. Copy of initiation notification was also sent to following Indian producers/Association of the product under consideration.

Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association Rishyamook Building, First Floor 85A, Panchkuian Road New Delhi – 110 001	R R Industries C-4, Industrial Estate N.H. 91, G.T. Road Khurja-203131

Allied Ceramics Pvt. Ltd. 91, Lenin Sarani Kolkata 700013	Taruna Dechome Pvt. Ltd. F-51, Bichhwal Industrial Area Phase - II Bikaner 334006
Bhatinda Ceramics Pvt. Ltd. Vill. Jodhpur Romana Dabwali Road Bathinda, Punjab 151001	Bikaner Ceramics Pvt. Ltd. Rani Bazar Industrial Area Bikaner 334001
Bikaner Porcelain Pvt. Ltd. F-179/180, Bichwal Indl. Area Bikaner 334006	CJI Porcelain (P) Ltd. M-17 Dohil House 4th Floor, M Block Main Market Greater Kailash - II New Delhi 110048
Deccan Enterprises Pvt. Ltd. B-58, 59 & 60 APIE Balanagar Hyderabad 500037	Goldstone Teleservices Ltd. Amarchand Sharma Complex, S D Road Secunderabad 500037
Mayur Electro Ceramics Pvt. Ltd. P.O. Pratapgarh Rairangpur Dist Mayurbhanj Mayurbhanj 757050	Saravana Global Energy Ltd. Virudhachalam Road P.N. Kuppam, Kurinjipadi Post Cuddalore Dist. 607 302
Pressgel Insulations Pvt. Ltd. D-52, Sardar Ind. Estate Ajwa Road, Road No. 5 Vadodara 390019	Shreeji Power & Insulators Pvt. Ltd. Survey No. 321 Nani Chirai Dist, Bhachau, Gujarat
Ravikiran Ceramics Pvt. Ltd. Station Road Kanari 387325	A K India Ceramics (P) Ltd N H 15, 15 KM Stone, Jaipur Road, Village Raisai, Bikaner

o. In response, the following have filed their letters supporting the petition
 a. Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association
 b. Shreeji Power & Insulators Pvt. Ltd.,
 c. Bikaner Ceramics Pvt Ltd,
 d. A.K. India Ceramics Pvt Ltd,
 e. Bikaner Porcelain Pvt Ltd
 f. Allied Ceramics Pvt. Ltd
 g. Taruna Dechome Pvt. Ltd.
 h. Prime Insulators
 i. Saravana Global Energy Ltd
 j. Jaipuria Brothers
 k. General Power Co Pvt Ltd
 l. Hindustan Chemicals
 m. Rastriya Electrical and Engineering Corpn

p. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in present findings.

q. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

r. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of preliminary findings.

s. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry. As glass insulators are not produced in India, NIP of porcelain insulator has been considered. Further, separate NIP for different product types has been determined.

t. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2012 to 31st March 2013 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2009-10, 2010-11, 2011-12 and the POI.

u. Exchange rate for conversion of US$ to Rs. is considered for the POI as Rs.54.65 as per customs data.

v. *** in this provisional findings represents information furnished by the applicants on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. The product under consideration in the present investigation is Electrical insulators of Glass, or Ceramics/Porcelain, whether assembled or unassembled, excluding (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators (hereinafter referred to as "Electrical Insulators" or the "product under consideration").

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

3. The interested parties have raised following issues with regard to the product under consideration.

a. Information about size, type, range, models of the subject goods produced by DI is not available in Section II of the petition. Information available on websites of DI is not reliable as it can be changed by DI at any time, as there is no control and monitoring mechanism over the same. Websites of DI are unreliable as it is fairly common for companies to exaggerate about their capabilities on their websites.

b. Product list in Paragraph 5 of Section II is provided without any supporting evidence that the DI actually produces these products. The Authority is obligated to consider the adequacy and accuracy of the evidence submitted by the DI as per Rule 5(3)(b) of the Anti-dumping Rules.

c. The applicant should provide line-by-line export statistics classifying the data up to 8 digit level of the subject product to analyse imports of goods covered under the investigation so that the Authority and the interested parties have a clear and proper understanding of the subject product.

d. The petitioner has provided summary of exports statistics from Chinese customs for HS codes 854610 and 854620 on page 67 of the petition, the latter including HS codes 854620 1000, 854620 9001 and 854620 9090 that include electrical insulators for both transmission and distribution and every kind of glass or porcelain insulators and it is extremely difficult to analyse export statistics that are provided in a summarized form.

e. The data for excluded products is incomplete, as it not even up to the POI. Therefore, such incomplete data cannot be relied upon. UN Comtrade data shows that glass insulators are being re-exported from India, while it is an admitted fact that the Domestic Industry does not manufacture the same. It is prayed that the imports from China and the market size of India should be determined only after making adjustment for re-export of such imported goods.

f. M/s Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. (producer and exporter in China) and CCCME claim that electrical insulators are not homogeneous, as all insulators have different end-use, physical characteristics such as size, capacity, etc., and differ widely for every type of insulator. Insulators find use in:

i. Power transmission and distribution lines
ii. Power sub-transmission lines
iii. Circuit breakers
iv. Disconnectors
v. Power sub-stations
vi. Instruments & Transformers
vii. Railways

g. An objective examination of dumping, injury and causal link, which is mandatory under domestic law as well as WTO AD Agreement requires an apple to apple comparison rather than a comparison of one basket of products with another basket of products. It is argued that bundling electrical insulators of all capacities together as a single PUC is improper and incorrect in view of the significant differences in capacity and other features of the subject product.

h. To buttress their arguments, the interested parties rely on practices in other countries such as EU and USA, where, in anti-dumping investigations specifically concerning electrical insulators, the PUC was based on physical, technical and chemical characteristics of the product, their main use, and application, degree of substitutability and consumer perception. For example, in the US anti-dumping investigation No. 731-TA-1023 concerning Electrical Insulators, the product scope was restricted to 'High and Extra-high Voltage Ceramic Station Post Insulators'. Reliance is also placed on WTO Panel Report in DS 54/55/59/64 in Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobile Industry wherein, the WTO Panel refused to bundle all passenger cars in one basket holding that though the passenger cars might share basic physical characteristics and end-use, they are highly differentiated products, which may vary greatly in terms of size, weight, engine power, technology and features.

i. Bundling all electrical insulators in one umbrella is improper as it is impossible for interested parties to make submissions on the standing of the domestic industry, like article determination, determination of dumping margin by taking weighted average of normal value and export price, address injury claims, etc.

Even the domestic industry describes different electrical insulators as distinct in its brochures and on its websites. The exporter and interested parties have also provided a detailed write-up on different electrical insulators.

j. Electrical insulators are not homogeneous, as all insulators have different end-use, physical characteristics such as size, capacity, etc., and differ widely for every type of insulator. They are not technically or commercially substitutable to each other.

k. Electrical insulators of capacity 765 KV and insulators for HVDC lines be excluded from the purview of the investigation as only a few constituents of the domestic industry produce the above-mentioned electrical insulators. M/s Modern Insulators and M/s IEC have not adduced any reliable evidence to substantiate their ability regarding production of above-mentioned electrical insulators.

l. The Authority has had a consistent good practice of defining products separately in a single investigation based on factors such as kinds of products, end-uses, physical and chemical characteristics, consumer perception, etc. and the same practice be followed in the present case, too. Reliance is placed on below mentioned investigations where different goods in PUC were completely distinct and were not technically or commercially interchangeable. These instances are:

 i. Anti-dumping investigation concerning imports of 'Certain Phosphorous based chemical compounds originating in or exported from China PR & European Union.

 ii. Anti-dumping investigation concerning imports of 'Rubber Chemicals' viz. MBT, CBS, TDQ, PVI and TMT from China and PX-13 from China and Korea RP.

 iii. Anti-dumping investigation concerning imports of catalysts from Denmark.

m. In these investigations, the scope of the PUC was segregated in different products and a separate examination of dumping, injury and causal link between import of the products and injury to domestic industry was carried out.

n. M/s Trench High Voltage Products Ltd. ("THVS"), Shenyang, China is a producer of bushing and M/s MWB (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai, China ("MWB") is a producer of SF6 insulated voltage transformer for gas-insulated switchgears from China PR. THVS and MWB were listed as known producers/exporters of the subject goods in the petition. Both companies received the letters dated 9th September, 2013 from the Authority regarding the subject investigation.

o. On receipt of letters from the Authority, both companies closely reviewed their products exported to India during the POI and came to the following conclusions:

 i. THVS did not export any electrical insulators to India but exported only bushings to India during the POI. THVS has provided its product list that was exported to India during the POI.

 ii. MWB did not export any electrical insulators to India but exported only voltage transformers to India during the POI. MWB has provided its product list that was exported to India during the POI.

p. THVS and MWB have collectively sought clarification regarding the scope of product under consideration and for specific exclusion of their products from scope of product under consideration by their submission dated 15th January, 2014.

q. Electrical insulators are components used for manufacturing bushings, which fact is also acknowledged in the petition filed by the domestic industry. On the other hand voltage transformers are completely different from electrical insulators. Besides, insulators used in the voltage transformers are hollow composite insulators, which have already been excluded from the product under consideration by the Designated Authority.

r. Detailed differences between the subject product, bushings and SF6 Voltage Transformers have been provided by THVS and MWB. It is clear from the discussion that electrical insulators are used as an essential component for manufacturing bushings and voltage transformers, and it would not be possible to manufacture bushings and voltage transformers without them.

s. In light of the significant differences in usage, end-customers, inputs, production process, etc., it is clear that bushings and voltage transformers are different from electrical insulators and not technically and commercially substitutable. THVS and MWB anticipate that customs authorities may impose anti-dumping duty to their above-mentioned products when exported to India. Therefore, they have requested the Authority to specifically exclude bushings and voltage transformers from the scope of the product under consideration.

t. Further, parties have argued that the Authority may issue corrigendum to clarify or amend the PUC. Earlier instances where corrigendum were issued to clarify PUC scope include.

 i. Anti-dumping investigation concerning imports of Phosphoric Acid from China PR.

 ii. Anti-dumping investigation concerning imports of Certain Grade Alloy and Non-Alloy Steel Billets, Bars and Rounds from Russia, China PR and Ukraine.

 iii. Anti-dumping review investigation concerning imports of Oxo Alcohols from Poland, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Russia, Iran, USA and European Union.

 iv. Mid-term review anti-dumping investigation concerning imports of certain types/grades of alloy and non-alloy steel billets, bars and rounds from Russia and China PR.

u. Goldstone Infratech Limited claimed that Polymer/Composite Insulators have similar functions and uses to Glass and Porcelain Insulators and hence, are being utilized interchangeably by customers in the market. The Domestic manufacturers of Composite/Polymer Insulators are also suffering due to imports of such from China. Therefore, ADD should be imposed on all Electrical Insulators from China, be it porcelain or glass or Composite/ Polymer.

v. Ceramic and glass insulators are not like articles due to differences in raw material, production process, time taken to produce the insulator, cost of raw materials (for Glass insulators is around 600 RMB / Ton, whereas Porcelain Insulators cost around 910-1160 RMB/Ton), weight, performance, tonnage, life, Customs classification, etc.

w. Ceramic and Glass insulators are not "Like Article" within the meaning of definition in Article 2.6 of WTO Anti Dumping Agreement for the following reasons:

(i) The raw materials used are different.

(ii) The production process is different for Porcelain insulators and Glass insulators.

Porcelain insulators:- Porcelain insulators are produced through shaping-drying-glazing-sintering process. Raw material heated for 14 days at 850 degree C. It takes around 45 days in the manufacturing process.

Glass insulators: Raw material are molted at 1450 degree C. undergoes fusion mould pressing toughening and high pressure air cooling. No curing process. Can be produced in 1 day.

Difference becomes crystal clear on physically watching the two distinct production processes.

(iii) Cost comparison and technical characteristics comparison shows differences

(iv) Customs classification Glass: HS Code 854610; Ceramic: HS Code 854620

(v) Glass insulators are not manufactured in India

(vi) Therefore products are not technically and commercially substitutable.

x. The relevance for exclusion of certain products is found in the case of AD investigation of Cold Rolled Flat Steel Products of Stainless Steel from China, Japan, Korea, EU, South Africa, Taiwan, Thailand and USA where following broad principles were adopted

i. Where the production process pleaded by interested parties results in a different product where the distinctiveness can be established with clarity and precision

ii. Whether the DI is manufacturing/supplying such distinctive items at all during the POI

iii. Whether grades manufactured by DI for POI are equivalent to grades considered for exclusion.

iv. By adopting these principles to present case, it is evident that glass and ceramic insulators are not like articles

y. Judicial Pronouncements on exclusion of grades not produced by DI

(i) Birla Periclase v DA (2000 116 ELT 336 Tribunal):
"*Fused Magnesia not interchangeable with sintered Magnesia therefore not like product*"

(ii) Indian Refractory Makers Association v DA (2000 119 ELT 319 (Tribunal)):
"*If dumped import does not or is not capable of causing injury to DI, imposition of ADD is not warranted*"

(iii) Oxo-Alcohol Industries Association v DA (2001 130 ELT 58 Tribunal Delhi):
"*Normal Hexanol not produced or manufactured by DI. So its import cannot cause injury to DI*"

(iv) Magnet Users Association v DA (2003 157 ELT 150 Tribunal Delhi):
"*There is no justification for including grades of ring magnets which are not produced in India for the purpose of imposition of ADD*"

(v) Videocon Narmada Glass v DA (2003 151 ELT 80 Tribunal Delhi):
"*We cannot hold that imported Strontium Carbonate in granular form is in commercial competition with domestically produced strontium carbonate in powder form…therefore clear that imported article is not capable of causing injury to DI*"

z. The Authority by its letter dated 11th February 2014 requested all interested parties to submit supplementary information by 21st February 2014. Such supplementary information requirement was arrived at after discussions with the Domestic Industry. M/s Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. expressed their objection to the Authority's request and submitted their data by the due date under protest reserving their right to challenge the same. M/s Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. protested on the following grounds:

i. Provision of data as per new format in such a short span of 10 days is an exercise in haste and puts an onerous burden on the interested parties;

ii. The Domestic Industry has now conceded that due to the different product types involved, it is not appropriate to determine dumping margin and injury margin on the basis of weighted averages. The Domestic Industry should have ideally followed this procedure at the time of filing their petition;

iii. Initiation of the investigation based on the Domestic Industry's data itself is questionable as the Authority has now found that data as inappropriate and has requested all interested parties to

submit data afresh. Initiation based on such inappropriate evidence falls short of the adequacy and accuracy requirements under the WTO Anti-dumping Agreement;

iv. The Authority has not provided Domestic Industry's amended petition, which would have already been filed with the Authority based on the Authority's aforementioned request for data. M/s Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. is not able to provide its data without perusal of the amended petition, as it requires the amended petition to analyse for like product and directly substitutable product.

v. The Authority should have formulated a PCN system to identify products as per various characteristics, since this investigation includes a number of different types of products. Till this stage, the Authority has not done that.

vi. The Authority's request to provide data afresh is akin to preparing fresh questionnaire responses for which 40 days' time should have been granted, as it requires refilling and revising all appendices of the questionnaire.

vii. Introducing new and onerous procedural requirements at this stage of the investigation is a violation of principles of natural justice and denies procedural due process to M/s Nanjing Electric (Group) Co. Ltd.

viii. In the alternative, the Authority may terminate this investigation and initiate a fresh investigation after identifying the correct product scope in an appropriate and adequate manner.

aa. In reply to the letter dated 11 February 2014, M/s Zigong Sediver Toughened Co Ltd, M/s Sewdiver (Shanghai) Co Ltd and Sediver S A (France) stated as follows.

i. Exporters have filed complete data regarding product type as part of sales and cost data. Further detailed breakdown of the basic product code has also been provided as the initiation notification or the communication of the Designated Authority has not mentioned any specific PCN.

ii. Unless the information like transaction wise entries of the import data, Normal value, cost, dumping margin, injury margin and causal link based on requested parameters is not provided by the domestic industry, it is inequitable that the opposing parties are being made to undertake such a cumbersome exercise.

bb. The Petitioners are not producing Insulator ≥ 420kN even though the demand for such goods exists in the Indian market. The Petitioners are also not known to have the capability to produce Insulator ≥ 420kN. They generally supplied insulators in the range of 70 kN to 300 kN. Due to non-availability of Insulator ≥ 420kN, users have to import the same.

cc. As the Domestic Industry has not the ability to supply Insulator ≥ 420kN in domestic market, where is the injury suffered regarding Insulator ≥ 420kN claimed by Domestic Industry?

dd. Prices differ greatly depending on the exact specification of insulators. Each insulator is ordered for a very specific function and one insulator cannot be replaced by another that is not exactly alike in all respects such as rated E&M failing load.

ee. As the kind of designed product, that whether a machine is imported or domestically purchased the most important consideration for purchase is "technical ability". Thus buyers like Power Grid Corporation will provide their required technical specifications to the company that can manufacture insulators as per the technical specification is given the order. The quality, the ability of a manufacturer to honor delivery schedules and its ability to even manufacture the specific insulators required are critical deciding factors that play a major role in the purchasing decisions.

ff. Insulator ≥ 420kN is not 'like product' when we compare it with the product under consideration as it has many differences. One cannot really say that an Insulator ≥ 420kN is similar to an insulator with rated E&M failing load of 210KN. Insulator ≥ 420kNshould therefore be excluded from the scope of investigation.

Views of the Domestic Industry

4. The domestic industry has made the following submissions with regard to the issue of the product under consideration.

a. An insulator can be either of porcelain/ceramic or of glass. Porcelain Insulators are produced using clay, silica, alumina, feldspar and metal parts, while glass insulators are produced using silica and metal parts. Both constitute one article, considering the characteristics of these two types, manufacturing process, functions, uses and prices. In fact, the product is a technology neutral product. Power Grid Corporation has floated tenders for procurement of insulators which can be of Glass or Porcelain. The Corporation has placed no distinction between glass and porcelain insulators and has placed orders solely on the basis of price difference. The Corporation has not made any technical distinction between the two products. Further, the product is sometimes invoiced by the suppliers without reference to glass or porcelain. The commercial invoice available in respect of manufacturers of glass insulators does not refer to glass. Import data of the product under consideration also at several instances does not refer to glass.

b. Both porcelain/ceramic and glass insulators have the following characteristics:

i. The national / international standards for dimensions/testing are the same.

ii. The dimensions are the same.

iii. The cap and ball pin material are the same.
iv. Major steps in manufacturing like shaping of the products, vitrification (raw insulators are to be passes through heat fusion to make into a glassy substance) and assembly are the same.
v. The cement used for assembly is the same.
vi. The assembly process is the same.
vii. The curing process is the same.
viii. All type / acceptance / routine tests are the same except those that characterize the raw materials used.
ix. Packing type is the same.
x. Electrical / Mechanical / Thermal stress requirements are the same.
xi. Performance requirements are the same

c. The major steps involved in the manufacturing process of glass/porcelain are raw material mixing, slurry preparation (in ceramic/porcelain) and melting (in case of glass), molding, shaping, drying, metal assembly and testing. The production process in respect of glass insulator is similar to the production process in respect of porcelain insulator. However, the technology involved is to some extent different in view of difference in raw material.

d. There is no known difference in subject goods exported from China and that produced by the petitioner companies. Porcelain/ceramic insulators produced by the domestic industry and imported from China are like articles and comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

e. As regards claims of exclusions of 765 KV and HVDC insulators, the fact that a particular product type is not produced by one of the constituents of the domestic industry is entirely immaterial under the rules. The industry is entitled to protection so long as the product has been produced and supplied by a constituent of domestic industry. Constituetns of domestic industry have sufficient swappable capacity and can cater country's demand right upto 1200 KV As regards exclusion of 420KN, such insulators have been supplied by all major players of the domestic industry.

f. The petitioners have considered line by line import data for 854620 and excluded all those entries which are not product under consideration. The petitioners have not adopted summary statistics without eliminating non-product under consideration.

g. The petitioner has specified 6 digit classification for the product for the reason that petitioner has requested anti dumping duty on product under consideration which falls under 6 digit. A number of countries have not distinguished products differently based on voltage rating in their HS Codes systems. Thus, difference in voltage rating in Indian customs classification does not mean that product types with different 8 digit HS Code are different products.

h. With respect to TVHS and MWB being listed as exporters despite exporting condenser bushings and voltage transformers respectively and BHEL being the only domestic producer that manufactures them, condenser bushings and transformers are beyond the scope of the present petition and investigations.

i. With respect to insulators used in voltage transformers being hollow composite insulators, it is accepted that composite insulators are beyond the scope of the product under consideration.

j. With respect to the Authority issuing a corrigendum, the scope of the product under consideration can be clarified in the findings.

k. Composite insulators constitute a distinctly different article for the reasons mentioned below:
(i) Composite insulators fall under a different category from Glass/ Porcelain insulators as per IEC (International Electrotechnical Commission) and are subject to separate IEC standards.
(ii) The raw materials, composition, manufacturing process, cost of production per kg, selling price for composite insulators is significantly different.
(iii) Polymer/Composite insulator technology is relatively young and these insulators have certain limitations, as regards uses. Polymer/composite insulators have not been developed so far for substation post insulator applications requiring higher bending strength. In some countries, Polymer/composite insulators are not usually preferred at voltages of 230KV and above or for high mechanical strength applications.
(iv) Consumers such as Power Grid Corporation have floated tenders wherein they have sought procurement of glass and porcelain insulators interchangeably, but separate tenders for composite insulator.
(v) Consumers such as Rajasthan State Electricity Board have floated a tender which include glass, porcelain and composite insulators. The bidders for composite insulators quoted for the entire quantities and their bid price was the lowest. However, the electricity board ordered composite insulators only for 10% of its total tender quantities. 90% of the order was placed on ceramic insulator suppliers.
(vi) Generally, composite insulator price per insulator is much lower (as much as 30-40%) than porcelain insulator prices. By contrast, glass insulator suppliers must offer a comparable price per insulator as compared to porcelain insulators if the supplier wishes to get the order.

(vii) Despite being significantly cheaper as compared to porcelain insulators, there are significant unutilized capacities of composite insulators with the Indian producers due to user preference for ceramic and glass insulators. Hence, composite insulators are commercially not substitutable with glass/porcelain insulators.

l. Though different types of glass and porcelain insulators constitute a single product, the petitioners have already proposed segregation of the product under consideration into different types for the purpose of fair comparison. The exporters are required to provide separate information for different product types in their questionnaire responses.

m. In Cold Rolled Flat Steel Products of Stainless Steel from China, Japan, Korea, EU, South Africa, Taiwan, Thailand and USA, relied on by the responding party, there was absence of identical article offered by the domestic industry. In the present case, specifications of the product supplied by the domestic industry are identical and the consumers have refused to pay any differential price for either of the product.

n. The cases referred by the opposing interested party in fact support the contention of the domestic industry that if the product is used interchangeably and is in commercial competition with each other, then it constitutes one article and the Designated Authority is justified in including the two as one article.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

5. The product under consideration in the present investigation is electrical insulators of glass or porcelain/ceramic, whether assembled or unassembled. However, (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators are excluded from the scope of present investigation.

6. The petitioners have claimed that porcelain/ceramic insulators (classified under Customs Tariff sub-heading 8546.20) and glass insulators (classified under sub-heading 8546.10) are to be considered one article for the purpose of the present investigation. They have made this claim on the basis of the essential characteristics, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and technical and commercial interchangeability of glass insulators and porcelain/ceramic insulators.

7. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.

8. From the above definition of the term "like article", it is clear that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects. Therefore, the usage of the words "in the absence of" is of critical significance for the interpretation of the term like article under the statute. There is no dispute that the words "in the absence of" have to be understood in the context of domestic industry alone whether there exists a "domestic industry" producing the "like article" or not. In other words, if there is no domestic industry producing identical article, the law permits the authorities to cover, in the scope of the term, even those articles which have closely resembling characteristics.

9. As regards inclusion of glass insulators within the scope of the product under consideration and treatment of glass and porcelain insulators as one article, the Authority has considered a number of parameters. It is noted that electrical insulators made of glass are not produced in India. The domestic industry contended that electrical insulators made of both glass and porcelain falls in the category of ceramic insulators. The Authority notes that the mere fact that electrical insulators of glass are not produced in India does not imply that the same cannot be included within the scope of the product under consideration. The Authority is required to consider whether the domestic industry is offering like article to the imported product. The Authority therefore considered whether electrical insulators of porcelain produced by the domestic industry constitute like article to the imported electrical insulators of glass. The Authority therefore examined whether electrical insulators of both glass and porcelain constitute like article.

10. (a) It is noted that the national and international standards relating to glass and porcelain insulators do not show any difference in the product specifications specified in respect of Glass and Porcelain Insulators. Tender documents of purchasers of the product have been provided by the domestic industry, which shows that the consumers do not differentiate in glass and porcelain insulators. The technical parameters for glass and porcelain insulators specified by the consumers are the same. The Authority examined the production process involved for production of porcelain and glass insulators and found that while some production processes are different, some processes are similar. Common processes between the two products include shape forming process, verification process, assembly process, curing process, testing process and packing methodology. It is however noted that there is difference in a number of raw materials and some part of the production technology. Production of glass insulator primarily involves molding molten silica into shape and thereafter fixing metal parts. In case of porcelain insulators, the clay is molded into the desired shape either pressing a clay mixture into the required shape or by shaping it using tools into the required shape. Metal parts are fixed thereafter. However, despite these differences, the eventual product is identical in terms of product properties. The Authority finds that the consumers consider the product as a technology neutral product. Domestic industry provided evidence showing that Power Grid Corporation floated tenders for procurement of insulators which could be of glass or porcelain with no distinction between the two and price being the sole criteria for placement of orders. The

information on record shows that Glass and Porcelain Insulators perform the same function. The consumers have not disputed the fact that the Glass and porcelain Insulators are interchangeably used. It is also noted that there is no difference in the prices of the two insulators. In fact, Power Grid Corporation has placed orders with the sole criteria of prices and has not made any distinction between glass and porcelain insulators. The Authority thus notes that the two products perform the same function and are used interchangeably. Power Grid is one of the largest consumers of glass and porcelain insulators and has not disputed the claim of the domestic industry that porcelain and glass insulators are technically and commercially substitutable and the two have been interchangeably consumed by the company.

(b) From the table below, it is noted that the imports of Glass insulator has increased significantly during POI as compared to the base year, however, the import of Porcelain insulator has decreased during the POI as compared to the base year. This indicates substitutability between glass and porcelain insulators. The Authority provisionally determines that glass and porcelain insulators constitute like article and duty will be recommended on insulator as a whole.

Particular	Unit	2009-10	**2010-11**	**2010-11**	**POI**
Glass insulator					
Volume	MT	6,738	12,782	20,063	55,028
Porcelain insulator					
Volume	MT	9,544	13,594	15,718	7,416

11. As regards lumping electrical insulators of different types as one product, the Authority notes as follows.
 a. Different types of Electrical Insulators are comparable in term of essential product characteristics including physical, production technology, manufacturing process, plant & equipment, functions & usage, etc.
 b. Different product types serve the same general function of insulating one conducting body from other conducting body.
 c. While different insulators have different specific end applications, it is noted that all Electrical Insulators essentially perform the same function. Different categories/types are intended to meet different end-user requirements. The design and shape of the insulators differs as per the end -use requirements. For example disk insulator is used in transmission and distribution line whereas hollow and solid core are used in substation. However the operations and machinery necessary for manufacturing are essentially the same for all kinds of insulators.
 d. Producers often make no distinction between Electrical Insulators, classified in different categories, with regard to production, distribution or accounting. Both domestic industry and Chinese producers have, for all their different categories/types of Electrical Insulators, a similar manufacturing process. Further, same distribution channels are used for all categories/types of Electrical Insulators.
 e. The questionnaire prescribed by the Authority requires the exporters to provide information separately for each type of the product. It is however noted that while disputing the claim of the domestic industry in the petition to proceed with weighted average of various types of insulators, none of the exporters provided separate information for different types of insulators in their initial questionnaire responses, even though the prescribed questionnaire requires the exporters to provide a number of information separately for each type of the product. However, this information has been subsequently provided by the responding exporters, on being requested by the Authority.

12. As regards the argument that the information on product type, size, range, models, etc. is not available in the petition, the Authority notes that the petitioner provided details of various types of the product under consideration produced by them. Further, the petitioners have referred to their websites. It would not be appropriate to conclude that the information placed on websites of these companies in this regard is not sufficient for the purpose for which the Authority has sought this information in the application proforma. The interested parties have also contended that the information on various product types produced by the domestic industry were not made available in the petition. The Authority notes that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses.

13. As regards the contention that the petitioners should provide transaction by transaction details of exports as per China customs in order to facilitate proper understanding of the product, the Authority notes that the detailed transaction by transaction details of exports as per China customs in any case contains description as given in customs tariff. Moreover, the questionnaire responses filed by the responding exporters show that only a few types of the product have been exported during the POI.

14. As regards the contention that the customs data adopted by the petitioners include every kind of glass or porcelain insulators, it is noted that the petitioners have segregated imports of the product not forming part of the investigations on the basis of imports information obtained from Indian customs data. As regards the contention that the data for excluded product is not complete, the Authority has adopted the data for the POI in the present determination. It is also noted that the volume of imports of excluded category of the product is insignificant considering the total volume of imports during the POI.

15. The Authority considers that the similarities of all categories/types of Electrical Insulators, as far as their technical and physical characteristics as well as their application and end use are concerned, outweigh, for the purposes of these proceedings, any differences and therefore constitutes like article. However, for the purpose of dumping margin, price undercutting and injury margin analysis and in view of the submissions made by the interested parties, the Authority directed the domestic industry to provide separate information for different types of insulators. Domestic industry submitted that if the data is segregated considering the type of insulators, the mechanical strength and the polarity, it would be sufficient to differentiate and distinguish different types of insulators for the purpose of fair comparison. The domestic industry suggested categorization of the product under consideration into different types by considering following parameters.

a. Type of insulator – The insulator can be disc, hollow, long rod, solid core, pin, and LT insulator.

b. Mechanical strength – The mechanical strength in the insulator can be of anywhere between 4 kN to 420 kN. Insulators above 420 kN have not been consumed in India so far. Further, for mechanical strength, insulators can be grouped as follows –

Disc insulators	a. Upto 90 kN b. 120 kN – 160 kN c. 210 kN d. 320 kN – 420 kN
Hollow insulators	a. Upto 5 kNm b. 5.1 – 10 kNm c. 10.1 – 20 kNm d. 20.1 kNm – 30 kNm e. 30.1 kNm – 50 kNm f. 50.1 kNm and above
Long rods	a. Upto 90 kN b. 120 kN – 160 kN c. 210 kN d. 320 kN – 420 kN
Solid core	a. Upto 4 kN b. 6 kN c. 8 kN d. 10 kN e. 12.5 kN f. 15 kN and above
Pin and low tension insulators	All mechanical strength

c. Polarity –The insulators can be used in AC or DC current.

Thus the Authority for the purpose of Preliminary Findings has used the PCNs bearing the type of insulators, the mechanical strength and the polarity.

16. The Authority requested the responding exporters to provide supplementary information and made available a copy of the submissions made by the domestic industry to other interested parties. While providing the said information, even though some of the interested parties pointed out to short time period given to them to provide supplementary information, the Authority notes that none of the interested parties raised any objection with regard to product segregation proposed by the domestic industry. The Authority thus notes that the interested parties in a way accepted the categorization proposed by the domestic industry and provided relevant information.

17. As regards the argument of interested parties that the Authority has called such information after filing of questionnaire response, such information should have been called at the stage of initiation itself, the time allowed to provide such information was too short, the amended petition filed by the domestic industry should be made available to all interested parties and the investigation should be terminated as the exercise was not undertaken at the stage of initiation, the Authority notes that the prescribed questionnaire requires the exporters to provide the said information separately for each product type and thus, the exporters were obliged to provide such information while filing questionnaire response. Further, the interested parties could seek additional time to provide the requested time, which could have been considered by the Authority appropriately. None of the responding exporters however sought additional time for providing the desired information and in fact all the

responding exporters provided the desired information within the time given by the Authority. It is clarified that the domestic industry has not filed any amended petition. The domestic industry suggested product categorizations vide their letter dated 8th Feb., 2014, a copy of which has been promptly made available to the interested parties. The Authority further notes that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses. The Authority has duly taken note of the argument of the interested parties that weighted average analysis of different types of insulators is not appropriate and has accordingly sought relevant information from the interested parties.

18. As regards the product scope considered by EU and USA, the Authority notes that the scope of the product under consideration adopted by the Authority need not be the same as the scope of the product under consideration considered by other authorities globally.

19. As regards the argument raised by opposing interested parties that different types of product are dislikes articles and investigations have to be conducted separately by considering different product. It is noted that in the instant case, the Authority has considered various types of electrical insulators as like article and therefore entire investigation must be conducted for electrical insulators as whole.

20. As regards M/s Goldstone Infratech Limited request for inclusion of product Glass Fiber Silicone Rubber Insulators, being manufactured by them in the current investigation on the ground that their product is like or similar to Ceramic/Porcelains Insulators, the Authority holds that it would not be proper to extend the scope of the product under consideration to include this product type. While M/s Goldstone Infratech Limited has contended that composite insulators and Glass/Porcelain Insulators are like articles, the Domestic Industry itself has submitted that these insulators are not like articles to the product under consideration. The Domestic Industry has further submitted that composite Insulators are quite different from Porcelain or Glass Insulators and constitute distinctly different article on the basis of various parameters such as raw material composition, manufacturing process, cost of production, selling price. The two are not technically and commercially substitutable. Composite Insulators have not been substituted with Glass/Porcelain Insulators and vice versa. The two have significant difference in price. The Authority also notes that the product under consideration in the present investigation is "Glass/Porcelain Insulators" from China PR and there is no justification to expand the scope of the product under consideration. It would therefore be inappropriate to extend the scope of present investigations to include composite Insulators.

21. Glass and Porcelain insulators are classified under customs heading 8546 under Chapter 85 of the Customs Tariff Act.

22. **Request for exclusion:** interested parties have argued on exclusion of certain type of Electrical Insulators which are examined in detail below.

 a. As regards the argument on exclusion of 765KV insulator and HVDC on the grounds that all constituents of the domestic industry does not produce the same, the Authority notes exclusion of this insulator is not justified. It is not necessary under the law that each and every constituent of the domestic industry should produce all the types of product under consideration. Further, the domestic industry has provided copies of commercial invoices showing sale of this insulator by constituent of the domestic industry.

 b. As regards request for exclusion of 'Disc Insulator for DC Transmission Line with Rated E&M Failing Load≥420kN', the Authority holds that evidence on record show that the constituents of domestic industry has produced and sold 420kN disc insulators and therefore it would not be appropriate to exclude this product type from the product scope.

 c. As regards request for exclusion of condenser bushings and transformers, the Authority notes that condenser bushings and transformers are not within the scope of product under consideration. The domestic industry has also stated that the scope of product under consideration did not include bushings and transformers. However, the Authority hereby clarifies that the scope of the product under consideration and proposed measures excludes condenser bushings and transformers. Since the Authority has not included bushings within the scope of the product under consideration, the argument of the interested parties in this regard have not been examined in detail.

23. As regards request for restricting the product scope to 6 digit level, it is noted that the product under consideration in the present investigation is Electrical insulators of Glass, or Ceramics/Porcelain, whether assembled or unassembled, excluding (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators. The product under consideration does not have one dedicated six or eight digit customs classification. The purpose of customs classification is to identify the article liable for anti dumping duty. The Designated Authority is required to give description of the product which is sufficient for customs purposes. It is therefore necessary to specify the customs classification at six digit level. The purpose of specifying the customs classification is correct identification of the product under consideration at the time of imports and therefore if the product under consideration falls under a number of different customs classifications, the same are required to be specified. It is however clarified that any import reported under the HS code shall not be subjected to anti dumping duty merely because the HS code has been specified in the scope of the product under consideration and under anti dumping duty table. It is clarified that anti dumping duty being proposed is on the product description and not on HS

classification. Any imports of a product not within the scope of the product under consideration should not be subjected to anti dumping duty merely because the HS code has been specified under duty table.

24. As regards the contention that the Authority should issue a corrigendum on the scope of the product under consideration, the Authority notes that there is no necessity for the same. The Authority has neither expanded nor restricted the scope of the product under consideration. The mere fact that the Authority has now categorized the product into different types, the same does not imply a need for corrigendum.

25. As regards reference to the decision of the Authority in the matter of cold rolled flat steel products of stainless steel, the Authority notes that the broad principles listed in that case have been applied in the present case as well. It has not been pointed out by any interested party that there is some product type, like article of which is not offered by the domestic industry. The Authority notes that the properties of insulators whether made of glass or porcelain are similar, as is clearly established by the bids issued by Power Grid Corporation.

26. As regards decision of the CESTAT in the matters of Birla Periclase, Indian Refractory Manufacturers Association, Oxo Alcohols Industries Association, Magnet Users Association and Videocon Narmada Glass, the Authority notes that in the present case, the domestic industry has offered a product having characteristics closely resembling those of the product under consideration. In fact, Power Grid Corpn has considered that insulators made of glass and porcelain will have identical specifications.

27. On the basis of information on record and considering the submissions made by the interested parties, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Consumers use the two interchangeably. Evidence provided by the domestic industry shows that the consumers are placing orders after specifying technical parameters of the product under consideration, where the supplies could be made either by the domestic industry or by the Chinese suppliers, so long as the product supplied meets the technical specifications. Thus, the suppliers sell the product conforming to the specifications laid down by the buyers. The questionnaire responses filed by the responding exporters show that they have supplied to same set of customers to whom the domestic industry has sold the product.

28. The Authority provisionally concludes that the product manufactured by the Applicants constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

Conclusion on product scope

29. In view of the foregoing, the scope of product under consideration for the purpose of present investigation and proposed measures is electrical insulators of glass or porcelain/ceramic, whether assembled or unassembled. However, (a) telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV, (b) electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV, and (c) composite insulators are excluded from the scope of present investigation. Further, it is clarified that bushings and voltage transformers are beyond the scope of the product under consideration and proposed measures.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

30. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

> "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

31. The application was filed by Aditya Birla Nuvo Ltd. ('Aditya Birla'), Bharat Heavy Electrical Limited ('BHEL'), Insulators and Electrical Company ('IEC'), Modern Insulators Limited ('Modern') and WS Industries (India) Ltd. ('WSI') (hereinafter referred to as the "applicants") as domestic industry of the subject goods. Post initiation, the applicant has been supported by Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association**,** Shreeji Power & Insulators Pvt. Ltd., Bikaner Ceramics Pvt Ltd, A.K. India Ceramics Pvt Ltd, Bikaner Porcelain Pvt Ltd., Allied Ceramics Pvt. Ltd., Taruna Dechome Pvt. Ltd., Prime Insulators, Saravana Global Energy Ltd., Jaipuria Brothers, General Power co Pvt Ltd., Hindustan Chemicals, Rastriya Electrical and Engineering Corpn (hereinafter referred to as the 'supporters'). Further, there are a number of other producers, apart from the applicants and supporters.

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

32. Interested parties inter alia stated as follows:

a. The domestic industry have not provided complete picture of the domestic industry as a whole. It is argued that market intelligence, based on which domestic industry has submitted information in the petition, is a highly arbitrary and a subjective criterion that falls short of the threshold of "positive evidence", as required under the WTO AD Agreement.

b. The applicants do not constitute domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules and the WTO Agreement, as there are several other producers of the subject products in India having substantial production that do not find any mention in the petition. The interested parties place reliance on the Appellate Body Report of the WTO in DS 397 – European Communities – Definitive Anti-dumping measures on certain iron or steel fasteners from

China PR, wherein the meaning of the phrase 'domestic industry as a whole' was clarified. The Appellate Body held that:

> *"413. a major proportion of the total domestic production should be determined so as to ensure that the domestic industry defined on this basis is capable of providing ample data that ensure an accurate injury analysis.*
>
> *419. … a proper interpretation of the term "a major proportion" under Article 4.1 requires that the domestic industry defined on this basis encompass producers whose collective output represents a relatively high proportion that substantially reflects the total domestic production. This ensures that the injury determination is based on wide-ranging information regarding domestic producers and is not distorted or skewed…"*

c. Almost all producers of the subject products are members of the association IEEMA, which provides a list of all manufacturers on its website. A mere perusal of the list available on the website of IEEMA shows that there are many more producers of the subject product than the list provided in the petition indicates. Certain names of domestic producers that are missing include
 i. Power & Control Transformers India Pvt. Ltd.
 ii. Raychem RPG Pvt. Ltd.

d. The following are other prominent manufacturers of the subject products:
 i. Rashtriya Electrical & Engineering Corporation
 ii. Pranya Associates
 iii. Hindustan Chemicals
 iv. General Power Company Pvt. Ltd.
 v. Satraj Ceramics
 vi. Prime Insulators Pvt. Ltd.
 vii. Jaipuria Brothers Electricals Pvt. Ltd.

e. The above-mentioned producers have substantial production capacity, comparable to each of the applicants. For example, M/s Bikaner Ceramics Pvt. Ltd. has a production capacity of 9000 MT of electrical insulators, but this fact has not been disclosed by the petitioners.

f. The domestic industry's standing should be examined in light of the above information and only then the Authority may determine whether to continue with the investigation.

g. M/s WSI be excluded from the purview of "domestic industry" as they have imported the subject product during the POI. WSI was also excluded in previous investigation concerning the subject product. In the alternative, it is argued that if WSI is not excluded, their data related to one of their units under an SEZ in Vishakhapatnam must be excluded from the purview of the investigation. Reliance is placed on the final findings issued by the DG Safeguards dated 27th September 2012 where WSI's SEZ unit was excluded.

h. Furthermore, it is argued that M/s Saravana Global Energy Ltd. and Sheerji Power & Insulators Pvt. Ltd. do not support the petition as averred by the petitioners, as their authorization letters indicating their support are not provided in the petition.

i. The phrase major proportion means to include all producers in an organized sector and almost all in an unorganized sector.

j. Review of price bids of PGCIL would show that domestic producers are undercutting the prices of each other and that cannot be attributed to imports. In such case how Authority can conduct meaningful investigation without the data of other producers. This cannot be brushed out by stating that other producers are selling at prices less than petitioners. Then they should have been the first to provide injury information.

k. Any interpretation that the word "a major proportion" means there can be more than one major proportion is illogical and requested the Designated Authority to direct all the producers to provide financial information.

l. Non confidential summary of the imports made by WSI has not been provided in the petition.

m. WSI should provide data regarding unfinished imports and value additions done in India and sales of these products in India and abroad.

n. The domestic producers that does not provide information has no standing in anti-dumping investigation.

o. M/s WSI Industries (India) Limited, which is forming part of DI is an importer of the subject product as established from previous investigation on the same product initiated on 9th April 2012. A similar finding is made in the initiation notice of the present investigation as well, but the Authority has erred in considering WSI as eligible Domestic Industry in the present investigation in violation of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.

Views of the Domestic Industry

33. The domestic industry has made the following submissions with regard to the issue of standing.

 a. The production of the applicants constitutes a major proportion of total Indian production and so the petition should be considered as having been made on behalf of domestic industry.

 b. The collective production of the other Indian producers not part of the application is quite low. As there is no published information with regard to their production, the applicants have relied on the letter of IEEMA.

 c. There are no imports of the product under consideration from China during the investigation period by

any applicant, except WSI. WSI imported unfinished product from China PR and processed it further to sell in the Indian market.

d. Discretion rests with the Authority to include WSI within the scope of domestic industry. While there was some amount of uncertainty with respect to this issue at the time of initiation of previous investigations for the same product, both the Calcutta and Madras High Courts have since passed final orders clearly holding that the Designated Authority has sufficient discretion under Rule 2(b).
Further, WSI should be considered eligible domestic industry for the following reasons:
 i. WSI was importing low-end, unfinished articles of the product under consideration in view of very low price for Chinese product and restricted its production to high-end product types.
 ii. WSI has not acted as a mere trader but has undertaken significant process on the imported product, including 100% testing of all articles, repacking as per customer-approved drawings and, in some cases, assembly of metal fittings onto the articles.
 iii. The behavior of WSI is not different as compared to other major Indian producers. The trends of various economic factors of all domestic producers, including WSI, are similar. Therefore, it cannot be said that WSI is benefitting out of dumping from the subject country.
 iv. WSI's thrust continues to be on own production and not on imports. WSI production continues to be quite significant. Majority of the sale by WSI continues to be from production.
 v. The proposed anti dumping duty shall apply on exports made by the supplier concerned. WSI has not sought exclusion for this supplier. Once anti dumping duty is imposed, any imports made by WSI will also will subject to such anti-dumping duties.
 vi. WSI has already stopped importing the product from China .
 vii. The imported product has been sold at a materially higher price in the market, after being further processed by WSI. The resale price of WSI products would not have caused injury to Indian producers.

e. None of the other companies should be considered ineligible within the meaning of Rule 2(b).

f. Whether or not WSI is considered an eligible domestic industry constituent, the production of the applicants constitutes majority of Indian production.

g. Information relating to the imports made by WSI is not publically available. It constitutes business sensitive data, disclosure of which could be detrimental to the company.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

34. The application has been filed by Aditya Birla, BHEL, IEC, Modern and WSI as the domestic industry of the product under consideration. Further, post initiation, the applicant has been supported by Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association**,** Shreeji Power & Insulators Pvt. Ltd., Bikaner Ceramics Pvt Ltd, A.K. India Ceramics Pvt Ltd, Bikaner Porcelain Pvt Ltd., Allied Ceramics Pvt. Ltd., Taruna Dechome Pvt. Ltd., Prime Insulators, Saravana Global Energy Ltd., Jaipuria Brothers, General Power co Pvt Ltd., Hindustan Chemicals, Rastriya Electrical and Engineering Corpn (hereinafter referred to as the 'supporters'). Further, there are a number of other producers, apart from the applicants and supporters.

35. The Authority considers that none of the applicants needs to be excluded from the scope of domestic industry since none of them, barring WS Industries, have imported the subject goods from the subject country during the period of investigation, nor are they related to any exporter or importer of the subject goods. It is noted that WS Industries has imported the product under consideration from China PR.

36. As regards WSI, the Authority considers that WSI should be considered as eligible domestic industry for the following reasons –

a. the focus of the company continues to be production. WSI is not primarily a trader of the subject goods.

b. WSI has also suffered from the effects of dumping.

c. The company has gradually reduced the imports of the product under consideration in the recent period. Further, barring very low volume of imports in Feb., 2013, there are no imports of the product under consideration after August, 2012.

	Import volumes (MT)
2009-10	***
2010-11	***
2011-12	***
Apr.-12	***
May-12	***
Jun.-12	***
Jul.-12	***
Aug.-12	***

Sep.-12	***
Oct.-12	***
Nov.-12	***
Dec.-12	***
Jan.-13	***
Feb.-13	***
Mar.-13	***
Total	***

d. The company has stated that there are no future plans to import the material. The company has given a certificate in this regard that it shall not import the product in future.

e. Imports made by WSI constituted ***% of consumption in India of the product during the POI.

.

37. Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides discretion to the Authority to either include or exclude a domestic producer on reasonable and equitable grounds in certain situations. In view of the above and facts of the case, the Authority considers it appropriate to treat all petitioning companies as eligible domestic industry.

iii. Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products ("CCCME") has argued that there are nine other Indian producers of product under consideration which are not identified by the petitioners. The interested parties have relied on the website of IEEMA for the names of other Indian producers. The Authority sought information on Indian producers and their production figures from the Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. The department in return provided IEEMA information for names and production of other Indian producers. Therefore, it is found appropriate to rely on the information by IEEMA. IEEMA further provided details of companies mentioned by the opposing interested parties, except Satraj Chemicals, alongwith their production, sales, etc. to examine the standing of the domestic industry. IEEMA has submitted its reply to the contention of interested parties with regard to production by these other producers and has contended that production of these producers are very low. Regarding Power & Control Transformers India Pvt. Ltd. and Raychem RPG Pvt. Ltd, IEEMA has clarified that they are not producer of Electrical Insulators

38. The Authority notes as per the information provided by IEEMA that there are a number of small producers of the product under consideration in India. However, the collective production of these producers is quite low. The production of the applicants accounts for more than 50% of Indian production and production of the applicants constitutes a major proportion of the total domestic production of the like article in India.

39. As regards disclosure of volumes of imports made by WSI, it is noted that such information is provided on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

40. It has been argued that SEZ unit of WSI should not be treated as eligible domestic industry. It is noted that such proposition is without any factual and legal basis. The Authority notes that Foreign Trade Policy provides that although the SEZ units are specially delineated areas beyond the Customs Tariff Zone, they belong to the national geographic territory of India. The SEZ Act and SEZ Rules allow the SEZ units to sell their products in the DTA. Rule 2(b) nowhere provides that an SEZ unit shall not be considered as a part of the domestic producer/domestic industry. Production of SEZ unit sold in the domestic market competes with their DTA counterparts as well as the imported goods. The SEZ plant at Vizag of WS Industry has been considered as eligible domestic industry and for the purpose of domestic industry and standing only domestic sales and related injury parameters has been considered.

41. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicants satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Applicants satisfy the requirement of standing under the Rules. Further, applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

OTHER ISSUES

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

42. The interested parties argued as follows:

a. Normal value constructed on Canada as surrogate country is wrong as Canada being a developed country is not at the same level of development as China. Moreover, the constructed normal value is wrong, as the UN Comtrade website shows export price of USD 2670 per MT for the subject product, while the constructed normal value in the petition puts the export price from Canada at 3643 per MT at page 158 of the petition. There is gross exaggeration in constructed normal value, which cannot be accepted by the Authority. Further, constructed normal value is based on some purchase orders, invoices, which cannot be relied upon by the Authority as it fails the adequacy and accuracy test [Reliance is placed on WTO Panel Report in DS 60 Guatemala – Anti-dumping Investigation Regarding Portland Cement from Mexico].

b. The data for excluded products is incomplete, as it not even up to the POI. Therefore, such incomplete data cannot be relied upon. UN Comtrade data shows that glass insulators are being re-exported from India, while it is an admitted fact that the Domestic Industry does not manufacture the same. It is prayed that the imports from China and the market size of India should be determined only after making adjustment for re-export of such imported goods.

c. The petition provides no support as to how it arrived on export price and net landed price after adjusting certain values such as 3% towards Commission; 0.5% towards Port expenses; 1% towards Inland Freight; 0.5% Bank Charges; USD 50 per ton towards freight and 5%/MT towards Insurance. These values are arbitrarily applied with no evidence. Such values cannot be relied upon and the Authority may direct the Petitioners to provide the basis as per which such values were used.

d. The conversion factor of 1.27 is unscientific and arbitrarily applied by the Petitioners to distort the export price of glass insulators, leading to deflation in FOB price (on pages 161 and 162 of the petition). After applying such a conversion factor, the export price of glass insulators has been drastically lowered from USD 1319 to USD 1039. Price undercutting shot up to 20-40% in 2011-12 and 30-50% in the POI from 0-20% in 2011-12 and 20-40% in POI as a result of application of the conversion factor (on pages 174 and 176 of the petition).

e. The petitioners have equated importers with users on Section I of the petition in Question 9 on page 15. The names mentioned therein are not actual users. The users of the subject product are state government corporations/companies that are engaged in the installing power transmission lines and establish power stations.

f. Inconsistency in data as the petitioner has relied on China customs for import statistics and for excluded products they have relied upon DGCI&S. The fact that this data was relied on in safeguard findings is no justification and more so the data used there was not of POI.

Views of the Domestic Industry

43. The applicants have made the following submissions on other issues.

a. Import data has been procured for the purpose of analysis from the following sources:

i. Information on imports from China has been procured from China Customs.

ii. For imports from other countries, DGCI&S published data has been adopted.

iii. For excluded products, DGCI&S transaction wise data has been adopted.

b. DGCI&S data for imports from China has not been adopted for the following reasons:

i. The available options for determining volume and value of imports are (i) Indian customs statistics, (ii) Chinese customs statistics, (iii) consumer-wise imports statistics. Imports of the product under consideration are in two categories – (i) project imports under chapter 98 and (ii) other than projects category under chapter 85, heading 8546.

ii. All imports of the product under consideration are made against orders. Some of these insulators are made as per specific design & drawing of the consumers. Therefore, these products do not have any standard weight. Further, the Chinese producers have produced and supplied goods against specific requirements of the customers in India, the goods have been exported from China for eventual consumption in India. The goods would not have been exported from China to India for eventual consumption in third countries. Further, the transaction wise statistics relating to exports from India clearly establishes that exports from India are not of glass insulators. The mere fact that the UNComtrade data shows exports under the customs classification does not mean that glass insulators have been exported from India.

iii. Information provided by secondary sources is insufficient for the reason that the same does not contain imports reported at various Customs Ports such as Mundra port. Significant volume of the product under consideration has been reported at Mundra port.

iv. As the investigation is in respect of imports from China, there is no reason why Government of China statistics should be considered unreliable.

v. The Authority has accepted exporting country trade data in a large number of investigations in the past.

vi. In the safeguard investigation on the same product, the Director General (Safeguards) accepted China customs data. Further, the final findings notified by the Director General (Safeguards) were accepted by the Board on Safeguards and Ministry of Finance.

vii. As regards contentions of insufficient information, the petitioners have provided the product range and specifications of the product under consideration being produced by each of the constituents of the domestic industry at Annexure 2.3 of the petition.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

44. As regards the argument of insufficient information provided by the domestic industry in the application filed by them, it is noted that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the applicant to the extent deemed necessary and the same has been provided by the applicant for the purpose of the present findings. The Authority notes that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses.

45. It is clarified that the dumping margin and injury margin have been determined for the responding exporters on the basis of their data and therefore as far as the question of dumping margin, injury margin and quantum of anti dumping duty proposed to be recommended is considered, the same is on the basis of the information and evidence provided by the responding exporters. The Authority has adopted China customs data only for the purpose of injury analysis.

46. For the purpose of injury analysis, the Authority is required to consider the trends in volume and price of imports. The Authority notes that the responding exporters have not provided information for the present injury period to determine volume and price of imports and therefore injury analysis in any case cannot be carried out using the information provided by the responding exporters from China.

47. The Authority considers that adoption of China customs data is appropriate in the present case. The prescribed unit of measurement under Customs Tariff Act is weight. The imports as per DGCI&S data have however been reported in a large number of other unit of measurement viz., Kgs, LOT, MT, NOs, Pcs, SET etc. Given the nature of product, it would be difficult to precisely determine volume of imports from Indian customs data when the unit of measurements in these import transactions is not weight. Even though the product is eventually consumed in numbers, assessment of volume and price of imports on the basis of numbers would be highly misleading in view of significant difference in the costs and prices of different types of the product, when measured in terms of numbers. The Authority has therefore considered weight of the product as the unit of measurement for the purpose of injury analysis, which is also the prescribed unit under the Customs Tariff Act. It is also noted that in those cases where insulators are made to order as per the customer's requirements, there is no standard weight and, if the imports have not been reported on weight basis, the weight of those consignment cannot be accurately determined. In case of China customs, it is noted that the prescribed unit of measurement in China customs is also weight and the exports from China have been reported in China customs on weight basis only. In view of the foregoing, the Authority holds that it would be appropriate to adopt China customs for analyzing volume and value of imports.

48. Further, since the investigations concerns China as the subject country, it would not be inappropriate to adopt China customs data. It is also noted that the product is largely produced against specific orders and therefore the goods invoiced for exports to India were therefore meant for consumption in India.

49. The interested parties contended that the Indian customs data shows exports under the category of glass insulators. However, since glass insulators are not produced in India, this implied re-export of goods imported in India. The petitioners provided transaction wise export data as per Indian customs (based on IBIS), analysis of which shows that the product description in these exports does not show that these exports were of glass insulators.

50. As regards excluded items, the Authority notes the following.

a. None of the responding exporters have exported any of the excluded items.

b. The domestic industry contended that imports of excluded items are quite low in volume.

 a. Since China customs does not specify the full product description and contains only the description mentioned in the relevant HS code, detailed China customs data could not be used for identification of excluded item.

 b. The DGCI&S data contains detailed description of the imported product and it is possible to identify imports of excluded items in DGCI&S data.

 c. The responding parties have not provided any adequate or sufficient information on exports of excluded products from China to India.

51. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to adopt DGCI&S data to determine volume and value of excluded items.

52. After examining the material placed by different interested parties, it is provisionally concluded that it would be appropriate to consider data from China Customs provisionally accepted for the PF to determine volume and value of imports from China and DGCI&S data to determine volume and value of imports of excluded products It is also noted that the Director General (Safeguards) had also adopted the same methodology in determination of volume and value of the imports of the product under consideration.

53. As regards consideration of Canada as appropriate market economy third country, the Authority has for the purpose of the present findings has not adopted Canada as an appropriate market economy third country for determining normal value in China.

54. As regards determination of net ex-factory export price in the petition, Authority notes that the petition is based on best available information. In any case, the Authority has now adopted questionnaire responses filed by the responding exporters for determination of export price.

55. As regards adoption of conversion factor in the petition for determination of normal value of glass insulators, the Authority for the purpose of present determination has not applied any conversion factor, pending further investigation in this regard.

56. As regards the argument that the petitioners have equated importers with users, the Authority notes that the petitioners contended that majority of the imports from China are by Power Grid Corpn., which is both an importer and consumer. In any case, the Authority has issued a notification, published in the Gazette of India, extraordinary. The consumers of the product in India are deemed to be aware of the present proceedings.

57. As regards adoption of different source of information for determination of volume and price of imports, the Authority notes that the petitioners have provided best available information in this regard. None of the interested parties have been able to provide or point out to any other source of information which could be adopted for the purpose.

D. DUMPING MARGIN

1 NORMAL VALUE

58. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

59. The following submissions are made by interested parties in respect of normal value, export price and dumping margin.

Views of the Domestic Industry

60. The following are the submissions made by the applicants in respect of normal value.

a. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

b. Market economy status cannot be granted unless following conditions are fulfilled.
 i. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity
 ii. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values
 iii. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards
 iv. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied
 v. The onus/obligations to establish market economy status is onto responding Chinese exporters and not onto the Designated Authority.
 vi. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.
 vii. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

c. The major inputs required for the production of the product are metal parts and fuel in the form of natural gas, LPG or liquid fuels such as kerosene oil, furnace oil, etc. Steel prices in China do not substantially reflect market values. Chinese steel companies benefit heavily from government subsidies. As regards fuel, its prices do not reflect market values in China.

d. Besides subsidies for specific industry-related raw materials, all industrial state-owned enterprises (SOEs) received energy subsidies. Distortions caused by the intervention of the government have led to overcapacity.

e. The applicants have determined normal value of Porcelain/Ceramic Insulator based on constructed cost of production of the subject goods.

f. The applicants determined separate normal value for Porcelain/Ceramic and Glass insulators .

g. The applicants determined normal value for Glass insulators in three different ways:
 i. Prices prevailing in the market economy third country (Canada).
 ii. Best cost estimates derived by the applicants for cost of glass insulators.
 iii. Based on normal value of porcelain insulators, duly adjusted for the weight difference.

h. Applicants determined weighted average import price on the basis of import data. The export prices have been adjusted for Commission, Port Expenses, Inland Freight and Bank Charges.

i. The web research done by the domestic industry shows that all related companies of Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. and Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd involved in production of product under consideration have not responded to the present investigation.

j. The exporter has provided no evidence to establish that prices of inputs procured substantially reflected market value.

k. The gaps in the questionnaire response filed by Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. and Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd are in the nature of vital defects in the questionnaire responses and the exporter has cautiously decided not to provide relevant information. Thus, the Designated Authority is not under obligation to point out these defects in the questionnaire responses. The opportunities for clarification or rectifying deficiencies cannot be used to file complete questionnaire reasponse.

l. Shanghai Seves Glass Co.Ltd. makes glass cells and Zigong Safam Cast Iron Co Ltd makes caps for insulators for Zigong Sediver and Sediver Shaghai. The basic production process involved in glass insulator is in making glass cells. In fact, once glass cells has been made, the only production process left out is fixing of metal parts, which is a screw driver technology. The basic production technology, plant & equipment, manufacturing process, investment is in making glass cells. The costs upto the stage of glass cells constitutes majority of the cost of production of a glass insulator. Such manufacturing activities are undertaken by Shanghai Seves Glass Co.Ltd. Thus, the basic manufacturing activities are undertaken by a company who is not before the Authority. In the absence of questionnaire response from these companies who are making glass cells and caps for glass insulators, it would not be possible for the Authority to undertake verification of production and cost of production involved in producing and selling glass insulators. The questionnaire response is thus grossly incomplete and inadequate for normal value determination. The petitioner submits that this fact alone sufficient to reject the entire response as far as determination of normal value is concerned.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

61. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed exporter questionnaire responses:

i. Nanjing Electric (Group) Co. Ltd.
ii. Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.
iii. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.
iv. Dalian Insulator Group Co. Ltd.
v. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd.
vi. Liling Huacheng Insulators Co., Ltd.
vii. Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.
viii. Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd.
ix. Sediver S.A. (France)

62. In addition to exporter questionnaire responses, the following companies from the subject country have filed market economy questionnaire responses:

i. Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.
ii. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd

Examination of Market economy claims

63. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.

64. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China PR are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

65. The Authority notes that Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. and Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd from China PR have responded to the questionnaire pertaining to market economy status and to the exporters' questionnaire, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. The questionnaire responses and the market economy responses of the responding producers and exporters were examined for determination of normal value of the responding producers/ exporter of the subject goods.

66. The Authority has examined the submissions of the cooperating exporter, Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. based on its responses to the market economy questionnaire and also with regard to various appendices of the exporter's questionnaire. After examining the responses, the Authority finds that Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. was established in 1993 under Chinese laws. It is a Joint-Venture limited liability company. 98%of the Company shares is owned by Seves S.p.A and 2% of the Company share is owned by Zigong Chuan Sheng Electrica Porcellain Insulator co The Company's majority shareholder Seves S.p.A. controls/owns number of companies in China that produce / export the subject merchandise. However these producers of the product concerned from China PR have not responded to the present investigation. , although it is claimed that these companies did not exported insulators to India during Period of Investigation.

67. Since MET criteria must be requested and fulfilled for all companies within the same group, it has not been established that the MET claim is complete. Further PPC Wuxi Insulator Co Ltd, a company of Seves Group manufactures porcelain insulators and has not responded to the present investigation. Normal value determination of the Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd on the basis of its domestic sales of glass insulators would not be adequate as the related party PPC Wuxi Insulator Co Ltd who is a producer of porcelain insulators in China would also have porcelain domestic sales and that cannot be ignored. In any case, market economy treatment claim cannot be considered as complete unless all companies involved in production and sale of the product under consideration are before the Authority through questionnaire response. The company has also admitted that it is procuring inputs from related companies but these are not before the Authority as they have not filed response. However, it is noted that this company has not substantiated their inputs provided by related parties are at market price.

68. Further with reference to major inputs required for the production of the product i.e., metal and fuel, the exporter has not provided any evidence to establish that the prices of these inputs substantially reflect market values.

69. It is also noted that there are other producers of glass and porcelain insulators in China, who have filed questionnaire response and have not claimed market economy treatment.

70. Therefore in view of the facts placed on record by the domestic industry and pending further examination of market economy treatment claim and verification of the information and claims made by the exporter and producer from China PR in respect of their market economy claims and individual treatment claims, for the purpose of the preliminary finding, the Authority has not granted market economy treatment to the company at this stage and has provisionally adopted the constructed normal value for determination of normal value in terms of Para-7 to Annexure-1 to the Rules.

71. It is also noted that Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd has also responded to market economy questionnere response . Sediver Insulator (Shanghai) Co. Ltd. ("Company") was established in 2007 under Chinese laws. It is a 100% foreign-owned limited liability company. It has been claimed that the Company has no structure changes in the past three years. It is registered at 162 338 Minle Road, Spark Zone, Shanghai, China 201319. The Company is 100% owned by Seves S.p.A. Seves S.p.A. has related companies in China which are related to the sales of the subject merchandise. The company has also admitted that it is procuring inputs from related companies and has not substantiated their inputs provided by related parties are at market price. In view of the position explained market economy status for present findings cannot be given to Sediver Insulators (Shanghai) Co as Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. and Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd are owned by Seves S.p.A and thus are related companies.

72. Sediver SA France has exported to India the product under consideration produced by Sediver Insulators (Shanghai) Co and has filed Exporter's questionnaire response

Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd and Liling Huacheng Insulators Co., Ltd.

73. This questionnaire is replied by Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd. ("Liling Huaxin", or "the company") and its subsidiary company Liling Huacheng Insulators Co., Ltd. ("Liling Huacheng"). Liling Huaxin is an exporting producer of the subject merchandise which involves into the activities of production, domestic sales and export sales to both India and other third countries. Its subsidiary company Liling Huacheng is a producer of the subject merchandise and only makes domestic sales. The company and its affiliated Liling Huacheng have not applied for the Market Economy Treatment ("MET") in this investigation. The two companies have filed one consolidated questionnaire response. The company has claimed that, there aren't any other related companies engaged in production and sale of the subject goods both in China and other countries. Further they have claimed that the company has not given any such incentives by the government in any form to the product concerned. Huacheng doesn't have the product brochure and share the same product code with Huaxin.the Company has claimed that the negotiation and sales process in the home market and export to India

are generally the same. The company doesn't issue such price lists for sales in both markets. The sales are negotiated on a transaction basis.

Sichuan Yibin Global Group Company and Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd.

74. This questionnaire is replied by Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd. ("Yibin Global", or "the company") and its subsidiary company Chengdu Global Special – Glass Manufacturing Co., Ltd. ("Chengdu Global"). Yibin Global is an exporter of the subject goods which involves into the activities of domestic and export sales to both India and other third countries. Its subsidiary company Chengdu Global is a producer of the subject goods. All the products manufactured by Chengdu Global are first sold to Yibing Global, and further resold to all markets by Yibing Global. The company and its affiliated Chengdu Global have not applied for the Market Economy Treatment ("MET") in this investigation. The two companies have filed one consolidated questionnaire response. Tianwo Trading Co., Ltd., as a paper company, involved into the sale of subject goods between Chengdu Global and Yibin Global. No actual sales and production activities are conducted and it is only for accounting purpose. The company has claimed that as far as the it knows, there aren't any other related companies engaged in production and sale of the subject goods both in China and other countries. Further it claimed that they are not given incentives by the government in any form to the product concerned and no other subsidiaries or other related companies in all countries are involved with production, sales, or supply of raw materials of the product concerned. The company has claimed that the negotiation and sales process in the home market and export to India are generally the same. The company doesn't issue such price lists for sales in both markets. The sales are negotiated on a transaction basis.

Dalian Insulator Group Co., Ltd.

75. The Company was established with the name Dalian Insulator Co., Ltd. on July 16th, 2003 as a limited liability company with registered capital RMB *** and obtained the business license on November 15th of the same year. On February 19th, 2009, the name of the Company was changed into Dalian Insulator Group Co., Ltd. On August 13th, 2009, the audited net assets of the Company were converted into *** shares and the Company was changed into a company limited by shares. On August 5th, 2011, the Company was listed for trading at the SME board of Shenzhen Stock Exchange. In addition to the above, the Business Scope and other registration particulars of the Company do not change. The exported product of the Company is under the policy of value added tax return on exports stipulated by Chinese government. The VAT return rate for the subject goods is 17%. The company has claimed that there are no financial or contractual links and joint ventures with any other company concerning Research and Development, production, sales, licensing, technical and patent agreements for the product concerned. The company has claimed that they sell directly to the Indian and domestic customers. Dalian Insulator and their clients contact with each other for general information at the beginning of selling the goods, and keep negotiating on prices, quantity, delivery date and payment condition until agreement is reached. After execution of the contract, both parties perform their responsibilities according to the contract. Further they have claimed that they have no price lists for sales in the home market and exports to India. Sale price is determined by negotiation of both parties taking into consideration of our production cost, SA&G and reasonable profit, which shall follow the market supply and demand The producer/exporter has not claimed market economy treatment.

Nanjing Electric (Group) Co., Ltd.

76. Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. ("producer/exporter") was established in December 1997 as a limited liability company under Chinese Company Law, and registered at No. 63, TAIXIN Road, Nanjing, 210038, Jiangsu, China. Since 2004, Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. is 100% controlled by Baiyun Electric Group. The two current shareholders of Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. are Baiyun Electric Group Co. Ltd. and its subsidiary Guangzhou Baiyun Electric Investment Co. Ltd. Nanjing Electric (Group) Co. Ltd. is the only producer of electrical insulators within Baiyun Group. The producer/exporter only produces Toughened Glass Insulators and a limited quantity of Composite Insulators and High Voltage Porcelain Insulators. During the period of investigation, the producer/exporter only exported "Toughened Glass Insulators of Cap and Pin Type" to India. The producer/exporter makes direct sales to end-users in Indian market through bidding process. The producer/exporter has only one subsidiary that is still in its initial process, and does not have any business activity. The subsidiary is not involved in manufacture of the product under investigation. The producer/exporter has not claimed market economy treatment.

Methodology for determination of normal value

77. In view of the above, the Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of preliminary findings. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for major raw materials, international prices for quartz, cost of other raw materials as per domestic industry prices, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry. 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

78. For the purpose of the present preliminary findings and pending further investigations, the Authority has not determined separate normal value for glass insulators, even though the petitioners have contended that the normal value of glass insulators shall be significantly higher than the normal value for porcelain insulators, when determined in terms of weight. The petitioners have contended that normal value for glass insulators should be

considered at higher level at least to the extent of the weight difference between the glass and porcelain insulators. To determine normal value of Glass Insulators, the Authority requires input consumption and conversion cost data of Glass Insulator. Since Domestic Industry is not producing Glass Insulator, these data could not be provided by Domestic Industry. M/s Sediver has provided cost data of glass insulator but could not be adopted as MET is not granted to them for preliminary finding, pending verification and due to reasons explained regarding procurement of inputs from related parties.. It is also noted that customer are procuring glass and porcelain Insulator on the basis of prices. In view of the non availability of any reliable and verifiable data of glass insulators, the Authority has considered the Normal Value of Porcelain and Glass Insulator of the same level although Domestic Industry has contended that Normal Value of glass insulators shall be significantly higher than the normal value for porcelain insulators, when determined in terms of weight. The constructed normal value determined for China PR is shown in the dumping margin table below under the heading Dumping Margin.

2 EXPORT PRICE

Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.

79. Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold directly to customers in India. The company has exported only toughened glass insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC and DC insulators of mechanical strength 70 KN, 120 KN, 160 KN, 210 KN and 420 KN, during the investigation period. The sales to Indian customers are on CIF basis. The exporter has claimed adjustments towards overseas expenses, overseas insurance and credit cost to arrive at ex factory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT**.**

Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.

80. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold to direct customers in India. The company has exported only glass disc insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC insulators of mechanical strength 120 KN, 160 KN and 210 KN during the investigation period. The sales to Indian customers are in CIF term. The exporter has claimed adjustments towards inland freight, overseas freight, overseas insurance and credit cost to arrive at exfactory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT**.**

Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd. (producer) through Sediver S.A. (France) (Exporter)

81. Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd. through Sediver S.A. (France) (Exporter) has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold through Sediver S A to direct customers in India. The company has exported only glass disc insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC insulators of mechanical strength 120 KN, 160 KN and 210 KN during the investigation period. The sales to Indian customers are in CIF term. The exporter has claimed adjustments towards inland freight including insurance, clearance and handling charges; international freight, international insurance, commission and bank charges to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT**.**

Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd and Liling Huacheng Insulators Co., Ltd.

82. Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold directly to customers in India. The company has exported only hollow porcelain insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC insulators of mechanical strength 5.1-10 KN, 10.1-20 KN, 20.1-30 KN, 30.1-50 KN and 50.1 KN during the investigation period. The sales to Indian customers are on CIF basis. The exporter has claimed adjustments towards internal transportation, port auxiliary fees, overseas transportation and insurance and credit cost to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT**.**

Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd and Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.

83. Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold to direct customers in India. The company has exported only glass disc insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC insulators with mechanical strength 120 KN, 160 KN and 210 KN during the investigation period.. The sales to Indian customers are in CIF term. The exporter has claimed adjustments towards inland freight and port charges, ocean freight and ocean insurance to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT.

Dalian Insulator Group Co. Ltd.

84. Dalian Insulator Group Co. Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The company has exported only disc and solid core insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC and DC insulators of mechanical strength 120-160 KN, 210 KN and 320-420 KN during the investigation period. The sales to Indian customers are in CIF and CFR term. The exporter has claimed adjustments towards ocean freight, insurance, handling, fumigation inspection, CHA, custom clearance and bank charges to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT**.**

Nanjing Electric (Group) Co Ltd

85. Nanjing Electric (Group) Co Ltd. has reported export of subject goods to India during the POI. The goods have been sold to direct customers in India. The company has exported only glass disc insulators in India during the investigation period. Further, the company has exported AC insulators of mechanical strength 120 KN, 160 KN and 210 KN during the investigation period. The sales to Indian customers are in CIF term. The exporter has claimed adjustments towards inland transportation, handling and loading charges, ocean freight, insurance, credit cost, bank charges and export packing to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the weighted average export price of the above exporter as US$*** per MT**.**

3 DUMPING MARGIN

86. The export price to India (net of all the adjustments claimed by the exporter and provisionally accepted by the Authority) have been compared with the normal value to determine dumping margin. Separate normal value and export price has been determined for each type of insulator exported to India. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from subject country has been determined as provided in the table below.

S.No	Producer	Exporter	Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
			US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	% Range
1	Nanjing Electric (Group) Co Ltd	Nanjing Electric (Group) Co Ltd	***	***	***	***	105-115
2	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.	***	***	***	***	40-50
3	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	***	***	***	***	40-50
4	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	Sediver SA.	***	***	***	***	25-35
	Weighted Average (2+3+4)		***	***	***	***	40-50
5	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	***	***	***	***	80-90
6	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
7	Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd.	Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.	***	***	***	***	110-120

Export Price and Dumping Margin for other producers and exporters from subject country

87. The Authority notes that response to questionnaire has been filed only by some of the exporters of the product under consideration from China. Other exporters from China have not cooperated with the Authority in providing relevant information in the form and manner prescribed. The Normal Value and export price to India in respect of other producers and exporters in China has been determined on the basis of best information available. Information provided by the responding exporters has been adopted for the purpose. The dumping margin so worked out is mentioned in the table below.

Particulars	US$/MT
Normal Value	***
Net Export Price	***
Dumping Margin	***
Dumping Margin %	***
Dumping Margin % Range	200-210

88. It is seen that the dumping margins are quite significant and more than the limits prescribed under the Rules in respect of exports made by all the Chinese producers-exporters of the product under consideration.

E. INJURY

Submissions made by importers, exporters, users and user associations

89. Submission made by the interested parties are summarized below :

a. Review of price bids of PGCIL would show that domestic producers are undercutting the prices of each other and that cannot be attributed to imports.

b. Article 3.4 of the WTO AD Agreement mandates that domestic industry is required to show actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization incapacity. The domestic industry has not only failed to show actual decline is certain factors but has also not shown potential decline in any of the factors.

c. Production of domestic industry has only marginally declined in POI. This decline is due to inability of the domestic industry to upgrade its facilities to produce high voltage rating Electrical Insulators. This demand is met by imports.

d. Excluding WSI, domestic industry profitability has declined in period of investigation which is a temporary fall. Including WSI shows decline in profits which means only WSI has suffered losses.

e. The domestic industry has claimed significant deterioration in profits when the range of price undercutting in consistent (20-40%).

f. Domestic industry's injury claim is based on a temporary decline in production and profitability in the POI, while in their annual reports they have quoted the contrary. M/s Modern Industries has reported profit in its Annual Report dated 2012-13, and M/s Aditya Birla Nuvo Limted has further reported in their Annual Report 2012-13 that capacity utilization and productivity of domestic manufacturers will improve due to imposition of safeguard duty.

g. Capacity utilization has shown a constant favorable trend in injury period, and dipped only marginally in the POI by 9%. The actual reason is that the domestic industry has not been able to upgrade its facilities to manufacture higher voltage rating electrical insulators, which are in high demand by Indian users.

h. Domestic industry has reported ROI in same range (0-20%). Since capacity utilization has declined and ROI is positive, it shows profit margins have increased. Further sales price increased, whereas cost declined, which lead to increase in profit margin.

i. The domestic industry is performing well in terms of productivity. Number of employees was at 102 indexed points in POI. Productivity per employee has remained very high. Sales have been high throughout injury period, only showing a marginal decline of 10% which cannot be attributed to imports.

j. The domestic industry is able to sell its goods at a very high price in POI. Decrease in sales volume is due to trend in power sector as reported in annual report of ABI. Annual report of Hindustan Vidyut states that demand of product is likely to improve. Therefore decline in sales is temporary. Fluctuation within 10% is common in business operations.

k. Domestic industry would be able to meet only 89% of the demand. But due to its inefficiency domestic industry is only able to meet 52% of the demand and that cannot be attributed to imports.

l. There is no causal link between injury and dumping. Following are relevant

 i. Despite increase in selling price, profitability has declined.

 ii. ABI conceded level playing field and Modern stated encouraging circumstances due to imposition of safeguard duty.

 iii. Hindustan Vidyut also reported increase in sales due to increase in investments by NTPC and PGCIL.

 iv. Decline in profits is due to change in consumer preference to polymer insulator as stated by Hindustan Vidyut.

 v. As this industry is an order-based industry, all domestic producers indulge in lowering their prices to win tenders and orders and not due to imports. Inter se competition in the market is the cause of injury, as it is an order based industry and number of bulk buyers are only few.

 vi. Under-utilization and inability of the domestic industry to upgrade their production facilities to produce high voltage insulators are factors that are intrinsic to domestic industry alone.

m. Public interest: domestic industry does not stand to gain anything with imposition of anti dumping duty when price undercutting is a result of inter se competition and not imports. ADD will drive prices upwards to the detriment of consumers.

Submissions made by Domestic Industry

90. The domestic industry has submitted that:

a. Demand for the product under consideration has remained positive throughout the injury period.

b. Subject country imports have shown significant increase over the period in absolute terms. Chinese imports constitute almost the entire volume of imports into India. Chinese dumped imports have increased in relation to consumption and production of the product under consideration in India.

c. Weighted average import prices (after including basic customs duties) have been significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. There is a significant injury margin.

d. The landed price of imports is significantly below the cost of production of the domestic industry throughout the injury period. Imports have had significant suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The gap between the cost of sales and the selling price of the domestic industry is shrinking throughout the injury period due to presence of dumped imports and the domestic industry is unable to increase its prices in proportion to increase in cost , thereby suffering huge losses.

e. The domestic industry enhanced capacities in the year 2010-11. The production of the domestic industry has declined since 2010-11. It has declined significantly in the POI when compared with the previous year. Domestic sales have seen a similar trend. Capacity utilization increased in 2010-11, but has declined significantly thereafter.

f. Export sales have not changed much over the injury period.

g. Inventories have shown massive increase throughout the injury period with a significant increase during period of investigation.

h. The profits of the domestic industry have declined throughout the injury period since 2010-11. The domestic industry has been suffering losses since 2011-12, which have intensified considerably in the POI. Profitability and cash profits have shown the same trend. PBIT and ROI have shown a similar trend, becoming negative in the POI.

i. Market share of the domestic industry has declined throughout the injury period whereas the market share of the dumped imports has significantly increased throughout the injury period.

j. Domestic industry has lost substantial orders during the injury period.

k. The employment level increased in 2010-11 and declined thereafter. Wages paid have increased over the injury period but this is in line with the expected increase of wages in the country.

l. Productivity has moved in the same direction as production.

m. Even if the performance of the domestic industry is considered excluding WSI, it would be seen that performance has significantly deteriorated.

n. There is a threat of further material injury due to significant increase in volume of imports, surplus capacities with Chinese producers and their export orientation, significant price undercutting and price suppression, increasing inventories with the domestic industry, market share of dumped imports, orders placed by PGCIL on Chinese producers, decreased demand in China and price advantages enjoyed by Chinese producers.

o. Regarding the argument that domestic producers are undercutting the prices of each other, price undercutting amongst domestic producers would not have led to decline in sales volumes. It would have only led to re-alignment of sales between different domestic producers. Further, the increase in procurement from China and the decline in procurement from India clearly establish that the Chinese producers have caused injury to the domestic industry.

Examination by the Authority

91. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.

92. Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

93. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

94. All parameters of injury need not show deterioration. While some parameter may show deterioration, some may show improvement. The Designated Authority must consider all injury parameters and thereafter conclude whether the domestic industry has suffered injury.

95. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions.

96. As regards the arguments based on injury statement excluding WS Industries, it is noted that since the Authority has considered WS as eligible domestic industry, the injury analysis has been conducted including WS

Industries. The SEZ plant at Vizag of WS industry has considered as eligible domestic industry and for the purpose of injury analysis only domestic parameters has been considered.

97. As regards the arguments concerning statements in annual report of some of the petitioner companies, the Authority notes that these public statements in the Annual Report does not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry. The Authority is required to determine injury to the domestic industry by considering performance of the domestic industry as a whole. Individual company performance is not relevant for the purpose.

98. As regards the argument of demand supply gap, it is noted that if the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value and to capture the market. Further it has not been demonstrated by the interested parties that there exist demand supply gap.

99. As regards the argument that reduction in production and capacity utilization is due to inefficiency of domestic industry as they are unable to upgrade their facilities to produce high voltage, it is noted that domestic industry has supplied high voltage insulators. It is not established that reduction in production and capacity utilization is due to possible inefficiency of the domestic industry.

100. It is noted that price undercutting increased during period of investigation. In any case even if undercutting percentage is the same, it implies that the domestic industry prices have also declined in line with import prices and does not imply that the trend of cost of sales and selling price would not undergo any change.

101. It has been argued by the interested parties that the decline in sales is temporary as demand is likely to improve. It is noted that domestic industry is unable to improve its sales since 2011-12 despite increase in demand. In fact, sales of the domestic industry declined.

102. As regards the argument on causal link, following are relevant:

i. Increase in selling price is due to increase in cost. However. Despite increase in selling price, dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry.

ii. Any anti-dumping duty imposed will take into account the existing safeguard duty so as not to award double protection.

iii. As regards the argument that decline in profits is due to change in consumer preference to polymer insulator, it is noted that positive trend of demand does not corroborate with the argument of change in consumer preference.

iv. As stated above, that the domestic industry has supplied high voltage insulators.

103. As regards the argument of inter se competition, it is noted that the insulator industry is largely order based and the orders are placed on the basis of lowest price offered by the suppliers. Therefore, the effect of dumping is more significant. Chinese producers are being increasingly quoting lower prices and are significant undercutting the domestic industry prices, which substantiate the argument of domestic industry that injury to the domestic industry is due to dumping. The question of inter se competition would have arisen, when the tenders were majorly awarded to Indian producers.

Assessment of Demand

104. The demand of subject goods has been determined by adding domestic sales of domestic like product with imports of subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from China customs. The Authority notes that demand of subject goods increased significantly over the injury period as can be shown in the table below.

Particulars	Units	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Assessed Demand	MT	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
Subject Country imports-China PR	MT	16,282	26,376	35,782	62,444
Other Countries-Imports	MT	517	405	573	687
Sales of Domestic Industry	MT	75,081	84,856	75,315	64,211
Sale of Other Indian Producers	MT	26,960	45,327	25,650	17,294

105. It is seen from the above table that the demand for the product has shown a significant increase during POI as compared to the base year. It has been contended by the responding exporter that the increase in imports is due to inefficiency of the domestic industry to upgrade to the required technology and the requirement of high voltage insulators. The Authority therefore analyzed the imports by considering the questionnaire responses of the responding exporters. It is seen that the domestic industry has produced and sold those types of insulators which have been imported in India. Since the domestic industry has produced and sold the types of insulators imported from China, it is not established that the imports have been made due to inefficiency of the domestic industry to upgrade to the required technology and the requirement of high voltage insulators.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Import Volumes and Share of Subject Country

106. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country have been analyzed as under:

Volume of Imports	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI(April 2012-March 2013)
Subject Country China PR	MT	16,282	26,376	35,782	62,444
Subject Country – Trend		100	162	220	384
Other Countries	MT	517	405	573	687
Trend		100	78	111	133
Total Imports	MT	16,799	26,781	36,356	63,131
Trend		100	159	216	376
Indian Production	MT	1,16,340	1,44,213	1,14,052	95,625
Imports from subject country relative to domestic production	%	14.00%	18.29%	31.37%	65.30%
Demand	MT	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
Imports from subject country relative to consumption	%	13.70%	16.80%	26.06%	43.17%
Share of imports from subject country in total imports	%	97%	98%	98%	99%

Source of import data :For China: China Customs and for other countries DGCI&S.

107. It is noted from the above table that:

a. Imports from China have increased significantly in absolute terms. The increase in imports during POI is quite significant.

b. Imports from China constitute 99% of total imports during POI.

c. Imports from China PR in relation to production have increased from 14.00% during 2009-10 to 65.30% in the POI.

d. Imports from China PR in relation to total demand have increased from 13.70% in 2009-10 to 43.17% in POI.

e. Imports from China in have increased in relation to production & consumption in India consistently throughout the injury period.

108. It is thus provisionally concluded that imports from China PR have increased both in absolute and in relation to production and consumption in India.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

109. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

110. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, Price Underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

111. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject country were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling prices of the domestic industry. It is thus noted that imports of subject goods were undercutting the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Volume of Imports	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
CIF import price	Rs/MT	81,507	97,006	95,710	81,415
Landed value of imports	Rs/MT	88,682	105,544	104,135	88,581
Selling price of the domestic industry	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting range	% Range	20-30	10-20	15-25	30-40

112. It has been argued by some of the interested parties that it is difficult to reconcile huge losses to domestic industry when the range of price undercutting is in consistent. The Authority notes that price undercutting increased during period of investigation as compared to the base year.

Price Underselling

113. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from China PR. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Particulars	**UOM**	**POI**
Weighted average-non injurious price	Rs/MT	***
Landed Price	Rs/MT	88,581
Price Underselling	Rs/MT	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	% Range	55-65%

114. It is seen that the landed price of the subject goods from China were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry.

Price Suppression/Depression

115. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the Table below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of sales (Domestic)	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*123*	*134*
Sales Value (Domestic)	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*111*	*114*

116. It is seen that though both costs as well as selling price of the domestic industry increased over the injury period. However, the increase in the selling price is far lower than the increase in cost. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market and preventing the price increases that would have otherwise occurred.

Economic parameters of the domestic industry

117. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry

has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

118. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Capacity	MT	114,489	114,489	115,239	117,789
Production	MT	89,380	98,886	88,402	78,331
Capacity Utilization	%	78%	86%	77%	67%
Domestic Sales	MT	75,081	84,856	75,315	64,211

119. It is seen from the above table that the domestic industry enhanced capacities in the year 2011-12 and POI. The demand for the product under consideration in the Country has increased significantly over the injury period.

120. Production of the domestic industry increased in 2010-11. However, the production declined significantly thereafter in 2011-12 and further in the POI when compared with the previous years. Production of the domestic industry in investigation period was lower than production in 2009-10 by about 11%, whereas demand for the product under consideration increased by 22% over the period.

121. Capacity utilization of the domestic industry has followed the same trend as that of production. Capacity utilization increased in 2010-11 and thereafter declined significantly in 2011-12 and investigation period. Capacity utilisation during the POI was lower than capacity utilisation in 2009-10 by 11%.

122. It has been argued by some of the interested party that reduction in capacity utilization is due to inefficiency of domestic industry as they are unable to upgrade their facilities to produce high voltage insulators. It is noted that domestic industry has produced and sold those kinds of insulators which have been imported in India during the POI.

123. Sales of domestic industry in the domestic market increased in 2010-11 and declined thereafter. The domestic sales in POI declined by 14% as compared to 2009-10 and by 24% as compared to 2010-11.

124. It has been argued that the petitioners have not demonstrated potential decline in sales. It is noted that the data shows actual decline in sales, which itself establishes injury to the domestic industry. The Authority has conducted injury analysis as per the AD Rules and established practice of the Authority.

125. It has been argued that the decline in sales is temporary as demand is likely to improve. It is noted that domestic industry is unable to improve its sales since 2010-11 despite increase in demand. In fact, sales of the domestic industry declined.

126. It is thus concluded that production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry deteriorated significantly despite increase in demand for the product in the Country.

Profits, profitability, return on investment and cash profits

127. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Profit/loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*160*	*-271*	*-542*
Profit before interest	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*133*	*2*	*-72*
Cash profit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*126*	*-54*	*-161*
Gross profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*181*	*-272*	*-464*
Gross profit before interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*150*	*2*	*-62*
Gross cash profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*143*	*-54*	*-138*
ROCE	*%*	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*136*	*1*	*-48*

128. The Authority notes that the domestic industry has earned profit in the base year. The situation improved in 2010-11 and the domestic industry earned profits in that year. However, the profitability of the domestic industry deteriorated significantly thereafter and the domestic industry suffered financial losses in 2011-12 and thereafter in the POI. Further, the profitability deteriorated significantly in the investigation period.

129. Return on investment over the injury period has shown the same trend as that of profits. Profit before interest and taxes (PBIT) increased in 2010-11 and declined thereafter, becoming negative in the POI. The return on investment (ROI) for the domestic industry improved in 2010-11 and was positive till 2011-12. Return on investment however became negative in the investigation period.

130. Cash profits have also shown the same trend as that of profits. Cash profits improved in 2010-11 and declined thereafter. Further, cash profits were negative from 2011-12 with a significant deterioration in the investigation period.

Market Share

131. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Market Share	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Demand	MT	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
Share of Domestic Industry	%	63.18%	54.06%	54.85%	44.39%
Share of other producers	%	22.69%	28.88%	18.68%	11.96%
Share of Subject Country	%	13.70%	16.80%	26.06%	43.17%
Share of Other Imports	%	0.43	0.26	0.42	0.48

132. It is seen from the above table that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period and that of China has increased consistently. The market share of the domestic industry declined by 19% during POI as compared to the base year. Considering the positive price undercutting and increase in market share of China, it is concluded that the market share of the domestic industry has declined as a direct result of dumped imports from China PR.

Employment, Productivity and Wages

133. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	No	8,686	9,230	9,027	8,825
Productivity per day	Per Day	257	285	254	226
Productivity per employee	MT	10	11	10	9
Wages	Rs lacs	***	***	***	***

134. It is noted that employment with the domestic industry increased in 2010-11 with enhancement in capacity and improvement in various economic parameters in this year. Employment with the domestic industry declined thereafter. Wages paid have increased over the period of injury. Productivity increased in 2010-11 and declined thereafter, in line with the trend of production.

Inventories

135. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	8,212	8,568	9,055	10,038

136. It is seen that inventories with the domestic industry have increased throughout the injury period. The inventory

has increased by around 22% during OI as compared to the base year.

Growth

Particulars	UOM	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Production	Y/Y	-	11%	-11%	-11%
Domestic Sales	Y/Y	-	13%	-11%	-15%
Cost of Sales	Y/Y	-	***	***	***
Selling Price	Y/Y	-	***	***	***
Profit/(Loss)	Y/Y	-	***	***	***
ROI	Y/Y	-	***	***	***

137. The Authority notes that growth of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity utilization, profits, return on investment, cash profits was positive in 2010-11. The growth in these parameters however became negative thereafter, despite positive growth in demand for the product in the Country. On the whole, the growth of the domestic industry has been negative over the injury period.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Demand	MT	1,18,840	1,56,964	1,37,321	1,44,636
Production	MT	89,380	98,886	88,402	78,331
Capacity utilisation	%	78%	86%	77%	67%
Domestic sales	MT	75,081	84,856	75,315	64,211
Market share of domestic industry	%	63.18%	54.06%	54.85%	44.39%
Gross Profits	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*181*	*-272*	*-464*
Cash profits	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*143*	*-54*	*-138*
Return on investment	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*136*	*1*	*-48*

Ability to raise capital investments

138. The Authority notes that given rising demand of the product in the country, the domestic industry has made investments in enhancing capacity. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

Level of dumping & dumping margin

139. It is noted that subject country imports are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

Factors Affecting Domestic Prices

140. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price under selling in the Indian market. Thus, the factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from subject country.

Conclusion on injury

141. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from subject country in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the product in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression. Effect of dumped imports has been to prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. Imports have prevented the domestic industry from raising its prices in proportion to cost increases. The domestic industry is suffering significant price underselling. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from China have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of production, domestic sales, capacity utilization, inventories, market share, profits, cash profits and return on investment. Whereas the demand for the product under consideration has increased over the injury period and the domestic industry has

enhanced capacities, its production, sales volumes, capacity utilisation and market share declined significantly. Inventories with the domestic industry increased. Further, as a result of significant price undercutting and suppression, profitability of the domestic industry deteriorated so significantly that the domestic industry was suffering significant financial losses. Further, the domestic industry suffered cash losses and negative return on investment during the POI. The Authority concludes provisionally that the domestic industry has suffered material injury.

Threat of Material Injury

142. The applicants have claimed that, in addition to material injury, there is the threat of further material injury in the present case.

Annexure II to the Rules provides as under in this regard.

"A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter-alia, such factors as

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and,

(d) Inventories of the article being investigated."

143. Submissions made before the Authority with regard to threat of material injury have been examined.

Significant Increase in Volume of Imports

144. The volume of imports has increased significantly in a relatively short period. The high rate of increase in the volume of imports indicates that significant increase in imports is imminent.

Export Orientation

145. The domestic industry contended that in addition to significant production capacities, the producers/exporters from China PR have high export orientation. The export orientation of the producers in China PR indicates a threat of further material injury to the domestic industry.

Significant Price Undercutting and Price Suppression

146. The price undercutting by the subject imports is significant. The imports are entering at such prices that there is strong likelihood of further importation. Dumped imports are causing price suppression of domestic industry prices. Despite an increase in the cost of sales over the injury period, the domestic industry has been unable to increase its domestic selling price to the same extent, resulting in losses. Thus, significant price difference between the domestic and imported product shows that the imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports.

Increasing Inventories with Domestic Industry

147. Inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period and indicate the existence of a threat of further material injury.

Market Share of Dumped Imports

148. A significant share in the domestic market is already held by subject country imports and the same is increasing. Increase in Chinese market share by about 200% between 2009-10 and POI clearly also shows threat of further injury.

Orders placed by PGCIL on Chinese Companies

149. The domestic industry has provided information to show that PGCIL has placed huge orders on Chinese companies and Chinese companies are aggressively participating in tenders being floated by PGCIL. As per the information provided by the domestic industry and information available in the website of PGCIL, the orders that have already been placed by PGCIL on the Chinese companies are as follows:-

Name of supplier	Order month	Volume (Nos)	Weight (MT)
Orders already placed			
Shandong Ruitai Glass Insulator Co. Ltd.,	May'14 & June'14	15,36,848	17,069
SiChuan YiBin Global Group Co. Ltd., China	May'14 & June'14	2,97,900	3,575
Nanjing Electric (Group) Co. Ltd, China	May'14 & June'14	8,07,147	9,686
Total		**26,41,895**	**30,330**

Decline in demand in China

150. The domestic industry claimed that the structural power imbalances that China experienced in 2000 led to an unprecedented demand for power generation and transmission equipment. China was a net importer of insulators, and, in fact, Indian producers were supplying insulators in China. However, significant capacities were added in China to meet their extraordinarily high demand for power generation and transmission equipment, including electrical insulators. This led to substantial additions to the capacities for insulator production. China's power capacity increased from 236.5 GW in 1965 to 874.1 GW in 2009 at a CAGR of 11%. By the end of June 2010, total generation capacity reached 907.9 GW. The applicants have further claimed that after the Beijing Olympics, the demand for fresh power capacity addition within China declined considerably, resulting in substantial decline in demand for power generation and transmission equipments, including insulators. This has forced the Chinese producers to look for other markets for their large capacities, which are increasingly becoming idle. Thus, Chinese demand for the product has considerably declined, while producers in China continue to hold large capacities. Simultaneously, India has a growing demand for electricity and the Government of India planned to build power plants capable of generating 78000 MW in the Eleventh Five Year plan period 2007-2012. Further, the country envisages increasing the total power generation capacity by 100,000 MW by March 2017 as part of the Twelfth Five Year plan.

Price Advantages Enjoyed by Chinese Producers

151. The domestic industry has claimed that the Chinese suppliers enjoying various advantages:

- Chinese suppliers enjoy easy financing from Chinese lenders.
- They benefit from export subsidies. The cash rebate for insulators is 17%, which is much higher than the VAT impact on these products.
- The steel policy of China mandates direct subsidization of the steel industry.
- Fuel price in China in the form of coal and coke are much lower than international prices.
- The Chinese government has been granting vast subsidies to Chinese manufacturers, in the form of cheap capital and underpriced raw materials and power, and this has led to overcapacity.

Conclusion on Threat of Material Injury

152. Examination of information on record shows the dumping would cause injury to the domestic industry. The factors identified above clearly show existence of a threat of further injury.

Causal Link

153. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

Imports from third countries

154. The Authority has examined the imports data of the subject goods from DGCI&S. It is noted that imports from third countries are negligible and could not have caused claimed injury to the domestic industry.

Contraction in demand

155. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement during the injury period. It has increased in the POI from the base year and the previous year. Possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

156. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

157. It has been argued that inter se competition has caused claimed injury to the domestic industry. It is noted that the insulator industry is largely order based industry and the orders are placed on the basis of lowest price offered by the suppliers. If imports have increased by about 284% over the injury period, the same is clearly because the landed prices of imports in these cases were below the selling price of the domestic industry. This clearly shows that the import prices were below the domestic industry prices and deterioration in production, sales, capacity utilisation were not due to inter-se competition between the domestic producers.

Developments in technology

158. The Authority notes that the technology adopted by the domestic industry is comparable with that adopted by producers all over the world. There is no significant difference in the manufacturing process of Indian producers and foreign producers. In fact, domestic producers have been manufacturing the product for quite some time, and the technology for production is fairly established. Further, the user industry is technology neutral, so any difference in the technology is not the reason for injury to the domestic industry.

Changes in pattern of consumption

159. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption is not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

160. It has been argued that the decline in performance is due to change in consumer preference to polymer insulator. It is noted that demand for the product under consideration has increased over the injury period, which shows that the consumer preference has not changed from subject insulators to polymer insulators.

Export performance

161. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export

performance of the domestic industry. In fact, exports by the domestic industry have not materially declined. In any case, the domestic industry has considered domestic performance wherever possible.

Performance of the domestic industry with respect to other products

162. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

163. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production. Deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

164. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from subject country. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds.

a) Imports are undercutting the prices of the domestic industry. The volume of imports has increased significantly.
b) The consumers have increasingly switched their requirements to Chinese suppliers as a result of significant price difference. Thus, the price undercutting has led to significant increase in market share of imports and decline in market share of the domestic industry.
c) The presence of dumped imports in the country is preventing the domestic industry from increasing its prices in proportion to the rise in costs.
d) The subject imports are underselling the product sold by the domestic industry.
e) Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits is a direct consequence of dumped imports.
f) The market share of dumped imports increased over the injury period, with a consequent decline in the market share of the domestic industry.
g) As a result of significant price undercutting, production, sales and capacity utilsation of the domestic industry has deteriorated.
h) The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of price and volume related economic parameters.

Conclusion on Injury and Causation

165. From the above examination of injury and causal link, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumping of the subject goods from China. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from China in absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India. The dumped imports are significantly undercutting the domestic prices. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. The dumping margin for the subject country has been determined and is considered significant. Dumped imports from subject country have adversely impacted production, sales and capacity utilization. Market share of the domestic industry has significantly declined whereas that of subject imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. Inventories have increased. The Authority concludes that the domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports from the subject country.

166. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry separately for each type of the product under consideration. This non-injurious price of the domestic industry for each type has been compared with the landed values of the subject imports of corresponding type for each of the responding exporters to determine injury margin. The injury margin so determine for each type has been considered for determination of weighted average injury margin. The injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

S.No.	Producer	Exporter	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
			US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	% Range
1	Nanjing Electric (Group) Co Ltd	Nanjing Electric (Group) Co Ltd	***	***	***	***	85-95
2	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40
3	Sediver Insulators	Sediver Insulators	***	***	***	***	35-45

	(Shanghai) Co. Ltd.	(Shanghai) Co. Ltd.					
4	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	Sediver SA.	***	***	***	***	20-30
	Weighted Average (2+3+4)		***	***	***	***	30-40
5	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	***	***	***	***	70-80
6	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	***	***	***	***	15-25
7	Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd.	Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.	***	***	***	***	115-125

167. The level of dumping margins and injury margins as determined are considered significant.

Landed Value and Injury Margin for other producers and exporters from subject country

168. The Authority notes that response to questionnaire has been filed only by some of the exporters of the product under consideration from China. Other exporters from China have not cooperated with the Authority in providing relevant information in the form and manner prescribed. The landed value to India in respect of other producers and exporters in China has been determined on the basis of best information available. Information provided by the responding exporters has been adopted for the purpose. The injury margin so worked out is mentioned in the table below.

Particulars	US$/MT
NIP	***
Landed Value	***
Injury Margin	***
Injury Margin %	***
Injury Margin % Range	210-220

F. Indian industry's interest & other issues

169. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

170. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product. The domestic industry submitted that product under consideration constitutes hardly 5% of the transmission & distribution cost and imposition of proposed duty shall have insignificant cost implications for the consumers in terms of the overall transmission and distribution costs involved. Therefore, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

G. Recommendations

171. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

(a) The product under consideration has been exported to India from the subject country below normal value.

(b) The domestic industry has suffered injury on account of subject imports from subject country.

(c) The injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

172. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-dumping Rules and having established a positive dumping

margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is necessary to offset dumping and injury. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non-injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.

173. Accordingly, anti-dumping duty equal amount indicated in the column 8 of the table below, to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central government on all imports of subject goods originating in or exported from subject country.

S.N.	Heading/ Sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount of duty	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*854610 854620*	Electrical Insulators*	China PR	China PR	Nanjing Electric (Group) Co Ltd.	Nanjing Electric (Group) Co Ltd.	1,188	PerMT	US$
2	- do -	- do -	China PR	China PR	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.	Zigong Sediver Toughened Glass Insulator Co. Ltd.	728	PerMT	US$
3	- do -	- do -	China PR	China PR	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	728	PerMT	US$
4	- do -	- do -	China PR	France	Sediver Insulators (Shanghai) Co. Ltd.	Sediver S.A. (France)	728	Per MT	US$
5	- do -	- do -	China PR	China PR	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	Dalian Insulator Group Co. Ltd.	1,407	Per MT	US$
6	- do -	- do -	China PR	China PR	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd.	Liling Huaxin Insulator Technology Co., Ltd	287	Per MT	US$
7	- do -	- do -	China PR	China PR	Chengdu Global Special-Glass Manufacturing Co., Ltd	Sichuan Yibin Global Group Co., Ltd.	1,174	Per MT	US$
8	- do -	- do -	China PR	China PR	Any combination other than Sl. No. 1 to 7 above		2,042	Per MT	US$
9	- do -	- do -	China PR	Any other than China PR	Any	Any	2,042	Per MT	US$
10	- do -	- do -	Any other than China PR	China PR	Any	Any	2,042	Per MT	US$

* product under consideration is "Electrical insulators of Glass, or Ceramics/Porcelain, whether assembled or unassembled, excluding the following:

1. telephone or telegraph insulators of voltage rating up to 1 KV,
2. electrical or electronic appliances/device insulators of voltage rating up to 1 KV,
3. composite insulators
4. condenser bushings and transformer

H. Further Procedure

174. The following procedure will be followed subsequent to notifying the preliminary findings: -

(a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same will be considered in the final findings;

(b) Exporters, importers, the applicant and other interested parties known to be concerned may make known their views, within forty days from the date of the publication of the these Preliminary findings in the official gazette. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

(c) The Authority will hold a hearing to hear the views of various interested parties orally;

(d) The Authority will conduct further verification to the extent deemed necessary;

(e) The Authority will disclose essential facts as per the Anti-dumping Rules before announcing final findings.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.